खण्ड-234, अंक-4
शुक्रवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(14 सितम्बर, 1962 ई0)

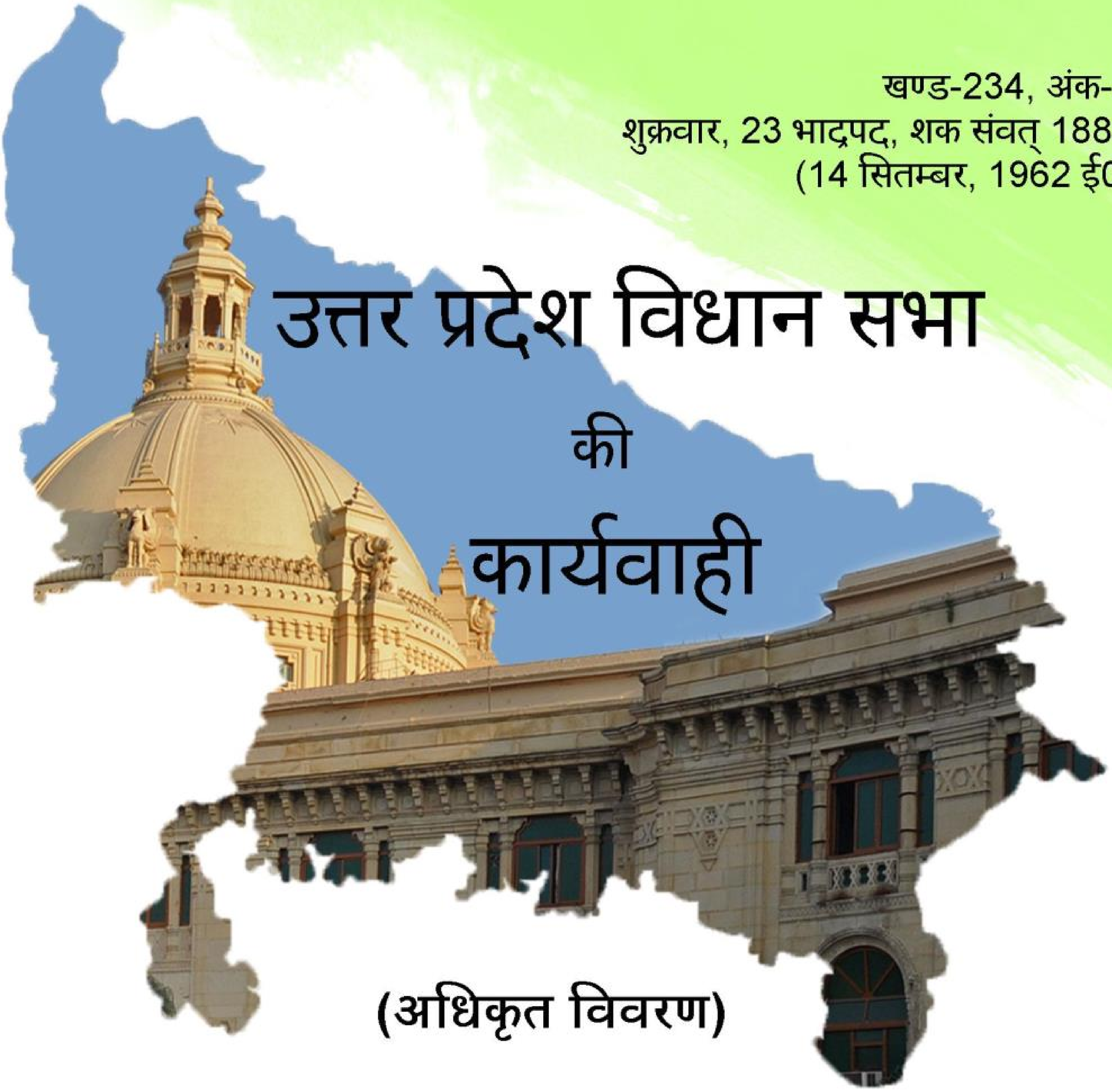

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४२५–४२९
प्रश्नोत्तर	४२९–४७८
प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति ..	४७८
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	४७८
प्रिज़न्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (उपस्थापित किया गया) ..	४७८
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका ..	४७८–४७९
विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सी० आई० डी० के रिपोर्टर द्वारा किये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का स्पष्टीकरण	४७९–४८८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४८८
कानपुर नगर महापालिका द्वारा नगर की बस सर्विस बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४८८–४९३
विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सी० आई० डी० के रिपोर्टर द्वारा किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग	४९३–४९४
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये प्रश्नों के संबंध में जानकारी.. ..	४९४
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद (विवाद जारी)	४९५–५२०
श्री उग्रसेन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना ..	५२०
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद (विवाद जारी)	५२०–५२५
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव	५२५–५२७
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद (समाप्त)	५२७–५३२
नत्थियां	५३३–५६९

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद श्री
गंगाप्रसाद, वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्त रसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी श्री
जगवीरसिंह श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वाराकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री

नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पिलईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेवालाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य
मोहनलाल, वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण श्री
राजनारायण मिश्र श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कालेज ऐण्ड स्कूल कर्मचारी यूनियन, देहरादून

**१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कालेज ऐण्ड स्कूल कर्मचारी यूनियन देहरादून की साधारण सभा की बैठक दिनांक १८ अगस्त, १९६२ के निश्चय के अनुसार सरकार तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास यह नोटिस दिया गया है कि यदि उनकी मांगों पर विचार न किया गया तो यूनियन प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—जी हां। नोटिस पर शासन ने कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनकी क्या मांगें थीं और क्यों नहीं उचित समझा गया ?

श्री अजीज इमाम—प्रान्त के स्तर पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके ऐसे नोटिसेज की सूचना ली जाय। मांगें ये हैं—

It is all known that the employees and workers in various establishments/ industries (public and private, are hard up due to high prices and low income. In addition, tax, as have become additional burden for these low grade employees workers.

Thus, realising this and appreciating the problems and difficulties, the Government, both in the Centre and in the Province, have been obliged to increase the scale of pay of the employees and workers, pay commissions had been set up, interim relief had been granted and are being granted and fair price shops have also been started though, of course, the high price in the market have not been controlled or reduced by the Government.

In the Private Sector also the employers have been forced by the workers and employees to give higher rate of pay, dearness allowances have been enhanced, canteens have been started, wage boards have been set up in basic industries and bonus are being paid on higher rates.

In the Indian Labour Conference, presided over by the Hon'ble Labour Minister (Sri Gulzari Lal Nanda), it had been unanimously agreed that minimum wages of workers in the country should not be less than Rs. 100 per month.

But in spite of all these decisions and recommendations, the conditions of the workers and employees of educational institutions in the country and in the district in particular are rather pathetic. No rules and regulations have been framed for their service conditions, leave rules are not in existence, service benefits are denied, wages are rather low, trade union rights are denied and workers are threatened if they take part in trade union activities, medical facilities are dreams to them, educational facilities are also not granted to the workers and their dependents in the way it should have. Thus, the workers and employees are on the mercy and whims of the management and the principal of the respective institutions.

Considering all these and considering also the fact that the authorities have failed to realise and appreciate the real conditions of workers, the general body meeting of the Union, held on August 18, 1962, has at last decided to serve notice on the authorities which will be in force for a month to consider the conditions mentioned above and to take favourable decisions in the matter within the period of the notice, failing which the Union will be at liberty to take any steps suitable in the occasion guided by rules.

The Union is, however, prepared to discuss and negotiate in the affairs to avoid any troubles and dislocation in work.

मुख्यतः इस नोटिस में उन्होंने यह मांग की है कि उनका पे-स्केल बढ़ाया जाय और इंडस्ट्रियल ऐक्ट के मातहत जैसे इंडस्ट्रियल लेबर को सहूलियतें दी जाती हैं वे उन्हें भी दी जायं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—आपको इसमें क्या आपत्ति है कि जब वे इंडस्ट्रियल कर्मचारी हैं तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सुविधायें उनको भी मिलें ?

श्री अजीज इमाम—ये लोग इंडस्ट्रियल ऐक्ट के मातहत नहीं आते हैं। इसलिये इन्हें वे सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार उनकी मांगों को न्यायोचित समझती है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---इनकी बहुत सी मांगों पर कार्यवाही हो चुकी है, कुछ पर विचार हो रहा है और कुछ पर कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---जब अध्यापकों का वेतन-क्रम कई बार संशोधित किया गया है तो क्या कारण है कि उन्हीं स्कूल और कालेजों के निम्न स्तर के कर्मचारियों का वेतन-क्रम संशोधित नहीं किया जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम---बजट के मौके पर मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी इन्हें भी दी गई थी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---उनका वेतन इस समय क्या है ?

श्री अजीज इमाम---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---वे कौन सी मांगें हैं जिन पर सरकार अभी विचार कर रही है और कब तक उनके पूरे होने की आशा है ?

श्री अजीज इमाम---लीव रूल्स हैं और एकाध इसी तरह की और हैं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट और फैक्ट्री ऐक्ट इत्यादि, ये सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं .....

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि ये लोग इंडस्ट्रियल ऐक्ट में नहीं आते हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---क्या मंत्री जी इस झगड़े को किसी पंच के सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अजीज इमाम---इसकी आवश्यकता नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

मथुरा जिले में जूनियर हाई स्कूल

*१---**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में जूनिययर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है और क्या यह सत्य है कि उक्त जिला अन्य जिलों से शिक्षा में पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई जायगी ?

श्री अजीज इमाम---मथुरा में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या ७३ है । यह जिला अन्य जिलों से शिक्षा में पिछड़ा हुआ नहीं है ।

*२---**श्री लखीसिंह**---क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि क्या छाता क्षेत्र के ग्राम नौगाया व तरौली व चौमुहा गांव में जूनियर हाई स्कूल किसी कमेटी द्वारा चल रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम---तरौली का जूनियर हाई स्कूल कमेटी द्वारा तथा नौगायां का स्कूल जिला परिषद् द्वारा संचालित है । चौमुहां के जूनियर हाई स्कूल को इस वर्ष हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हो गई है और यह स्कूल भी कमेटी द्वारा संचालित है ।

*३—श्री लखीसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि यह भी सत्य है कि इन गांवों के स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई ? यदि हां, तो इनको मान्यता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं।

श्री लखीसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ७३ जूनियर हाई स्कूलों में से ४ तहसीलों में प्रत्येक तहसील में कितने-कितने हैं ?

श्री अजीज इमाम—तहसीलवार सूची मेरे पास नहीं है।

श्री लखीसिंह—नौगाय जूनियर हाई स्कूल को किस तारीख और महीने में जिला परिषद् ने मान्यता दी है ?

श्री अजीज इमाम—महीना और तारीख तो मुझे मालूम नहीं लेकिन जिला परिषद् उसको चला रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—पिछड़े हुये क्षेत्र में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी तादाद कम है तो क्या सरकार उनको बढ़ाने के लिये अपनी ओर से कोई अनुदान भी देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—गवर्नमेंट की ओर से जूनियर हाई स्कूलों को खोलने की व्यवस्था होती है। प्लान में हमारी जो स्कीम होती है उसके अनुसार खोले जाते हैं। प्राइवेट भी खोले जाते हैं और अगर वे शर्तें पूरी करते हैं तो गवर्नमेंट भी उनको मान्यता देने के लिये तैयार रहती है।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि छाता तहसील के स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक हैं वे सब दूसरे स्थानों के ही हैं तो क्या इससे वह पिछड़ा हुआ इलाका साबित नहीं होता ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोई इलाका शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है अथवा नहीं, यह किन बातों को मद्देनजर रखकर कहा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा की दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ है अथवा नहीं तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—जैसा कि उत्तर में कहा गया कि तरौली और चौमुंहां गांवों में जूनियर हाईस्कूल, कमेटी के द्वारा चलाये जाते हैं। उस कमेटी में कौन-कौन लोग हैं और क्या सरकार ने उस कमेटी का रिकगनिशन किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आप अलग से पूछ लें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि मथुरा में ७३ जूनियर हाईस्कूल हैं और दूसरे जिलों में इससे भी अधिक संख्या हो सकती है तो इस दृष्टि से क्या वह पिछड़ा हुआ जिला नहीं है ?

श्री अजीज इमाम—पिछड़ा हुआ दो तीन वजह से होता है पहले तो स्कूलों का औसत और दूसरे आबादी जो वहाँ होती है। इन चीजों को देख कर कहा जाता है कि कोई इलाका पिछड़ा है या नहीं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले में कितने स्कूल बनने थे और उनमें से कितने बने ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशीनाथमिश्र (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस क्षेत्र को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जाता है वह सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—इसको आप फिर पूछ लीजिये ।

गाजीपुर जिले में ग्राम समाजों की भूमि से आमदनी

*४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में मरदह विरनो जखनिया ब्लाकों के अलग-अलग ग्राम समाजों को ग्राम समाज की भूमि से कितने रुपयों की आमदनी हुई है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—वांछित सूचना प्राप्त हो गई है । सूची लम्बी होने के कारण सदन की मेज पर नहीं रक्खी जा सकती है । माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

श्री झिलमिटराम—क्या माननीय मंत्री जी जो वांछित सूचना प्राप्त हुई है उसकी प्रतिलिपि प्रश्नकर्त्ता को देने का कष्ट करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैंने तो कह दिया कि जब आप चाहें देख लें ।

इलाहाबाद की कचेहरियों में हरिजन कर्मचारी

*५—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद कचेहरी (कलेक्टरी) में कुल कितने लिपिक और चपरासी अस्थाई तथा स्थाई काम कर रहे हैं और उनमें से कितने हरिजन लिपिक हैं, कितने हरिजन चपरासी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१६९ स्थायी और १०९ अस्थायी लिपिक हैं जिनमें ८ परिगणित जाति के हैं । ३८१ स्थायी तथा ४४ अस्थायी चपरासी हैं जिनमें ३२ परिगणित जाति के हैं ।

*६—श्री बंशीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि रिजर्वेशन (सुरक्षित स्थान) के अनुसार हरिजन लिपिक चपरासी काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण परिगणित जाति के लोगों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से कम है ।

फैक्टरी डेवलपमेंट, बलरामपुर में सी० सी० ट्रैक तथा भैंसहवा घाट का पुल

*७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फैक्टरी डेवलपमेंट, बलरामपुर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११ मील सी० सी० ट्रैक बनने की योजना थी जिसमें ७ मील बनी, शेष ५ मील कब तक बनने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां । शेष मार्च, १९६३ तक बन जाने की आशा है ।

*८—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि भैंसहवा घाट पर पुल बनाने की योजना थी परन्तु नहीं बना और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के बनाने के लिये आगणन तैयार किया जा रहा है जिसके स्वीकार होने पर पुल का निर्माण कार्य चालू किया जावेगा ।

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिया गया ।]

सिसई—चौधरीडीह सड़क

*१०—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिसई के पास राप्ती नदी पर इस वर्ष पुल बनकर तैयार हो जाने पर सिसई से कौवापुर होते हुये महराजगंज तराई से जो सड़क हरैया चौधरीडीह जाती है उसे पक्की कराकर उस पर चलाने की योजना है ? यदि हाँ, तो वह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

जैन फार्म लि० की जमीन

*११—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास बिजनौर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें डालमियाँ जैन ग्रुप के अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार जैन के पास जैन फार्म लि० के नाम पर काशीपुर, जिला नैनीताल, तथा बबलपुर गुजरपुरा, इसलामपुर, दीप व जैभूरपुरी, जिला बिजनौर में लगभग ४०,००० बीघा भूमि होने की सूचना दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उस पर सीलिंग आफ लैण्ड होलडिंग लगाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन जमीनों पर सीलिंग लगाने हेतु किसी उच्चाधिकारी से जाँच करायेगी ?

श्री बृजबिहारी—जी हाँ । उनकी भूमि के विषय में सीलिंग ऐक्ट के अनुसार नियमित कार्यवाही की गई है ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय उनके पास कितनी जमीन है तथा यह सीलिंग ऐक्ट लागू होने के पश्चात् कितनी जमीन निकल जाने वाली है और कितनी जमीन शेष रहेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से ३१.७८ एकड़ जमीन नैनीताल के काशीपुर में है जो सीलिंग के अन्दर आती नहीं है । और फार्म के नाम ६९६ बीघा १२ बिस्वा जमीन है, उसमें उन्होंने अपना बाग साबित किया है । हमने बोर्ड आफ रेवेन्यू को आदेश दिया है कि इसके औचित्य को उस आर्डर में देख लें और अगर जरूरत हो तो अपील दायर करें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए और कब उनके ऊपर कार्यवाही की गयी ? मेरा मतलब तिथि की जानकारी से है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र में क्या क्या मुख्य बातें हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें उन्होंने लिखा है कि ४० हजार बीघा जमीन उनके पास है और उसमें सीलिंग की कार्यवाही जो होनी चाहिये वह नहीं हुई है ।

श्री भीखालाल—जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन्होंने उस जमीन को बाग साबित किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जाँच मौके पर करायी है या नहीं और कागजात में वह बाग दर्ज है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मैंने बोर्ड आफ रेवेन्यू को आदेश दिया है कि वे इसकी जानकारी प्राप्त करें और यह अगर आर्डर गलत हो तो फिर हम अपील करें, क्योंकि कोर्ट तो हमारे लिये ओपेन है ही।

गाजीपुर जिले की कन्या पाठशालाएं

*१२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में किन-किन स्थानों पर कन्या पाठशाला चल रही हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी और किन स्थानों पर कन्या पाठशाला खोलने की योजना है ? इन पाठशालाओं की बिल्डिंग का निर्माण हुआ है या नहीं ?

श्री अजीज इमाम—जिन स्थानों पर कन्या पाठशालायें चल रही हैं उनके नाम संलग्न सूची 'अ' एवं 'ब' में हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला गाजीपुर में बालिकाओं के १०० जूनियर बेसिक स्कूल खोलना प्रस्तावित है। योजना के प्रथम वर्ष १९६१–६२ में २० स्कूल खुल चुके हैं जिनके नाम सूची 'स' में हैं जो उपरोक्त सूची 'ब' में भी सम्मिलित हैं। १९६२–६३ में २० स्कूल खोले जायेंगे जिनके नाम सूची 'द' में हैं। शेष ६० स्कूलों के लिए अभी स्थानों का चुनाव नहीं हुआ।

सूची 'स' में दिये गये पाठशाला भवनों का निर्माण कार्यारम्भ हो चुका है किन्तु अभी पूर्ण नहीं हुआ। सूची 'द' में दिये गये पाठशाला भवनों के निर्माण का कार्य खण्ड विकास अधिकारियों को दे दिया गया है किन्तु अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ५३३–५३६ पर)

श्री रघुवीर—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सूची के "अ" और "ब" में जितने स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों की बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुवीर—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह मेरी ओर से इसको सूचना मान कर कि वह इमारत अभी तक नहीं बनी है जांच कराने के बाद उसकी इमारत को बनवाने का आदेश देंगे ?

श्री अजीज इमाम—इमारत बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों पर है और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कूल खोले जा रहे ह उनकी इमारत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है जिसका पैसा जिला परिषद् में भेज दिया गया है और उसी हिसाब से इमारत बनाई जा रही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि यह जो बालिकाओं के लिये स्कूल बन रहे हैं उनमें एक कमी यह रहती है कि वहां अध्यापिकाओं के लिये निवास स्थान का बन्दोबस्त नहीं होता और देहातों में इसी कारण से आम तौर पर उनकी कमी है, तो क्या अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स के लिये भी रुपया स्वीकृत हुआ है या नहीं ?

श्री अजीज इमाम—यह देख कर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स के लिये कुछ रुपया मंजूर किया गया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मंत्री जी ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो स्कूल खुलेंगे उनमें भवन निर्माण की जिम्मेदारी सरकार पर है तो क्या पहली और दूसरी योजना में जो स्कूल खोले गये उनकी जिम्मेदारी से सरकार अपने को मुक्त समझती है ?

श्री अजीज इमाम—वह तो मैंने बहुत साफ कह दिया कि जो स्कूल पहले खोले जा चुके हैं उनकी इमारत की जिम्मेदारी जिला परिषद् पर है और तृतीय योजना में गवर्नमेंट की तरफ से भी इमारत बनाने के लिये कुछ रुपया दिया गया है ।

मुरादाबाद तहसील के देहाती इलाके में हाई स्कूल

*१३—श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील मुरादाबाद के देहाती इलाके में कितने हाई स्कूल हैं ? यदि नहीं है, तो क्या कोई हाई स्कूल खोलने का उसका विचार है ?

श्री अजीज इमाम—कोई नहीं और न कोई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले की इस समय योजना ही है ।

श्री रियासत हुसैन—दूसरी पंच योजना खत्म होने के बाद भी वहां कोई स्कूल न खोले जाने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगल किशोर—शिक्षा विभाग की निर्धारित योजना के अनुसार ही स्कूल खोले जाते हैं और जहां आवश्यकता होती है उसको देख कर ज्यादातर प्राइवेट बाडीज ही संस्थाये खोलने के लिये प्रोत्साहित की जाती हैं और जहां तक हो सकता है सरकार उनको सहायता देती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इस तहसील की आबादी कई लाख की है और इस कारण से वहां की जनता को तकलीफ होती है इससे कि वहां कोई हाई स्कूल नहीं है, तो क्या इस तकलीफ को ध्यान में रख कर क्या सरकार ऐसा कोई स्कल खोलेगी जिससे देहाती जनता को लाभ हो ?

श्री आचार्य जुगल किशोर—जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट की कोई नीति अपनी ओर से हाई स्कूल खोलने की नहीं है और जो यूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट के हैं उन्हीं को अपग्रेड करने की बात रहती है, बाकी प्राइवेट बाडीज को गवर्नमेंट कुछ सहायता देकर जरूर प्रोत्साहित करती है कि वह अपने स्कूल खोलें ।

श्री रामायणराय—क्या इस तहसील के किसी जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड करने की बात मंत्री जी सोच रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—इस वक्त नहीं कह सकता, सूचना की जरूरत है ।

श्री केसरी प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यदि उस क्षेत्र में कोई स्कूल खोलने की योजना तैयार की जाय तो उसे तुरन्त मान्यता दी जायगी ?

आचार्य जुगल किशोर—यदि वह शर्तें पूरी करेंगे, मान्यता देने का कार्य इंटरमीडियेट बोर्ड का है, तो मान्यता साधारणतया मिल जाती है ।

श्री हिम्मत सिंह—कितने जूनियर हाई स्कूलों ने इन २ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर अपने को हाई स्कूल बनाने के प्रार्थना-पत्र दिये और उन पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—कोई ऐसी दरख्वास्तें दी गईं कि हाई स्कूल कर दिया जाय ?

श्री अजीज इमाम—इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

खैराट ग्राम में वर्षा व बाढ़ से क्षति

*१४—श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के ग्राम खैराट थाना खामपार में १९५६ से १९६१ तक बाढ़ और बरसात के कारण धन-जन और मकानों की कितनी क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम खैराट में उक्त अवधि में बाढ़ व वर्षा से लगभग ५४,००० रु० की फसल को तथा लगभग ६०,०० रु० के अनुमानित मूल्य के कुल ५१ मकानों को क्षति पहुंची । कोई जनहानि नहीं हुई ।

कानपुर से गुजरने वाली सड़कों की मरम्मत

*१५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर नगर महापालिका ने सरकार से अनुरोध किया है कि कानपुर नगर से गुरजने वाली सड़कों (जी० टी० रोड, हमीरपुर रोड, काल्पी रोड तथा कैनाल रोड) की मरम्मत के काम को सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा महापालिका मिल कर करें तथा मरम्मत के खर्चे का भार दोनों संस्थायें (महापालिका तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग) मिल कर उठायें ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त अनुरोध पर क्या निर्णय किया है तथा इन सड़कों की मरम्मत का काम कब आरम्भ होने वाला है ?

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—जी हां । ऐसा प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है । प्रश्न गत सड़कों की देख भाल तथा मरम्मत विभाग द्वारा इस समय की जा रही है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—हमारे शहर में सिर्फ ४ सड़कें, कानपुर की लिमिट में स, जी० टी० रोड,हमीरपुर रोड, कालपी रोड और कैनाल रोड, गुजरती हैं । अभी तक यह झगड़ा था कि कारपोरेशन कहती थी कि यह प० डब्लू० डी० की हैं और पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते थे कि क्योंकि कारपोरेशन की लिमिट में है इसलिये वे नो मैन्स लैंड थीं । अभी मंत्री जी ने कहा देख रहे हैं । हमारा कहना है कि अभी तक इन सड़कों की बुरी हालत शहर में है । इसलिये मैं चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी०, कारपोरेशन और कैनाल रोड मिलकर इनका कोई इंतजाम करें जिससे इनकी ठीक ढंग से मरम्मत हो जाय ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक मरम्मत की बात है, वह मैं देख लूंगा । अभी यह सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत हैं और जैसा जबाव में बताया गया, ऐसा प्रश्न कारपोरेशन की तरफ से आया कि वह और पी० डब्ल्यू० डी० मिल कर काम करें । तो यह विचारणीय बात है । लेकिन बाकी चीजें देख लेंगे कि कहां तक कार्यवाही हो रही है, कहां तक नहीं । सड़कों को बुरी हालत में डालना ठीक नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार के जो प्रस्ताव आते हैं उन पर बहुत दिन तक विचार होता है और चूंकि यह नितांत आवश्यक सड़कें हैं, जो कारपोरेशन का प्रस्ताव है उस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करके उसकी मरम्मत कराने का मंत्री जी निर्णय करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें दो प्रश्न हैं । जहां तक मरम्मत की बात है, वह तो मैंने बताया कि देख लूंगा और जो आवश्यक होगा किया जायेगा । जहां तक दूसरा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में सचमुच दिक्कत और देर लग जाती है क्योंकि बहुत कुछ बातें सोचनी पड़ती हैं । उसका इंतजाम है, कहां तक उस दिक्कत को बरदाश्त कर सकेंगे, कहां तक नहीं । फिर यह नेशनल हाई वेज हैं । तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करने में समय लगता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—महापालिका से जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको १० महीने हो गये। उस पर सरकार अपना निर्णय कब तक लेगी ?

श्री गिरधारीलाल—१० महीने जो हुये वह दूसरा प्रस्ताव था। वह यह था कि इन सड़कों को हमें दे दिया जाय। उसके लिये मना कर दिया गया था। अभी २, ३ महीने हुए, जुलाई में दूसरा प्रस्ताव आया है कि सड़कों की देख भाल पी० डब्ल्यू० डी० और कारपोरेशन मिल कर करें।

घोसी तथा सगड़ी तहसीलों में दैवी आपदाग्रस्त ग्राम

*१६—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के किन-किन क्षेत्रों में १९५३ व १९५४ दोनों साल बराबर दैवी या नेचुरल कैलेमिटी (बाढ़, सूखा, ओला इत्यादि) आई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५४ में इस तहसील के २२६ गांव बाढ़ से तथा १३७ गांव सूखे से प्रभावित हुए। सगड़ी तहसील के इन गांवों में सन् १९५३ में दैवी आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१७—**श्री उमाशंकर** (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी आजमगढ़ की घोसी तथा सगड़ी तहसीलों के उन गांवों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जहां १९५२ से १९५५ तक सूखा, ओला, बाढ़ आई हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील घोसी में जिन-जिन गांवों में १९५२ से १९५४ में दैवी आपदाओं का प्रभाव पड़ा उसकी सूची उपलब्ध नहीं है। तहसील सगड़ी में १९५४ में दैवी आपदाओं से प्रभावित गांवों के विषय की सूचना प्रश्न १६ के उत्तर में समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त इस तहसील में तथा घोसी तहसील में १९५५ में जो गांव दैवी आपदाओं से प्रभावित हुये थे उनका विवरण निम्नलिखित है :—

नाम तहसील	बाढ़	सूखा	ओला	योग
सगड़ी	२९६	..	४६	३४२
घोसी	३२	..	..	३२
				३७४

गांवों के नामों की सूची अधिक बड़ी है। कार्यालय में देखी जा सकती है।

रामपुर—देवबन्द कच्ची सड़क

*१८—**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर से देवबन्द जाने वाली कच्ची सड़क महेशपुर में मिलती है, इस सड़क के पक्की न बनने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है ? क्या सरकार बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सड़क को पक्की बनवाने का इरादा है ? यदि हां, तो किस समय से प्रारम्भ करने का इरादा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को पक्का करने का कोई प्राविधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

धनेटा–अक्सौरा सड़क

*१९—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली–रामपुर रोड पर बरेली से १६वें मील पर स्थित धनेटा–अक्सौरा की कच्ची सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम प्राथमिकता दिये जाने पर भी अभी तक पक्की न बनाई जाने का कारण क्या है ?

श्री गनेशीलाल—धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में सम्भव न हो सका ।

*२०—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बरेली जिले की इस महत्वपूर्ण सड़क को जो लगभग १०० गांवों को बरेली–रामपुर रोड से मिलाती है इस वर्ष बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री गनेशीलाल—इस वर्ष सड़क का निर्माण कार्य पूरा होना सम्भव नहीं है किन्तु इसको शीघ्र निर्माण कराने का सरकार प्रयत्न करेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सड़क पर जो ७,८ पुलियां बनायी गई हैं उनका ऊपरी हिस्सा, सब नष्ट प्रायः हो गया है ? ऐसी स्थिति में उसको कितनी जल्दी बनाने का विचार कर रहे हैं जिससे हमारा और अधिक खर्चा न पड़े ?

श्री गनेशीलाल—बड़ी शीघ्र कोशिश इसकी की जा रही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क के बनवाने के सम्बन्ध में गत वर्ष या इस साल बरेली जिला किसान सभा का कोई डेपुटेशन मंत्री जी से मिला था और उनसे बातचीत हुई थी ? यदि हां, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था ?

श्री गिरधारीलाल—इस वक्त तो याद नहीं है कि इस सड़क के विषय में कौन साहब मुझसे मिले थे और क्या आश्वासन दिया था । पत्र देख कर जरूर बतला सकता हूं ।

श्री हिम्मतसिंह—यह धनेटा–अक्सौरा की कच्ची सड़क कितनी लम्बी है और उसका कितना एस्टिमेंट है ?

श्री गनेशीलाल—इसकी सूचना इस वक्त नहीं है ।

विलायती शराब की दुकानें तथा आबकारी विभाग में हरिजन

*२१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में विलायती शराब की दुकानें कितनी हैं और प्रत्येक असिस्टेंट कमिश्नर के डिवीजन में क्या लाइसेंस फीस बढ़ी है ? यदि हां, तो कितनी ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२२–श्री गंगाप्रसाद तथा श्री हरीसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में आबकारी विभाग में कुल कितने कर्मचारी किन पदों पर कार्य रहे हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेश भर में आबकारी विभाग में कुल १,३८५ कर्मचारी हैं । पद सहित उनकी सूची संलग्न है । इनमें से १०७ कर्मचारी हरिजन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ५३७ पर)

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि कितने समय के अन्दर यह सूचना एकत्रित हो जायेगी ?

डाक्टर सीताराम--इसका जवाब मुझे १५ दिन के अन्दर तो देना ही पड़ेगा।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतलायेगी कि जो १८ फी सदी निर्धारित कोटा है उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर सीताराम--इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेन्ट १८७१ में एस्टेब्लिश किया गया और इस प्रदेश में हरिजनों का रिजर्वेशन १९४७ से ५२ तक १० फी सदी रहा। ५३ में १८ फी सदी हुआ और जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां जब भी कोई वेकेन्सी होती है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसलिये पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री गंगाप्रसाद--यह बहुत पुराना विभाग है और अब तक इस विभाग में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो १८ फी सदी को लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों वेकेन्सी होती जाती है हम रिजर्वेशन को पूरा करते जाते हैं।

श्री भीखालाल--जैसे सरकार के आदेश हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में नई जगह खाली हों तो हरिजनों का कोटा हरिजनों में से भर्ती करके पूरा किया जाय, इसका पालन इस विभाग में हो रहा है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--माननीय सदस्य का चतुर्थ श्रेणी से मतलब पियोन्स से है। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेन्ट में चतुर्थ श्रेणी में, जैसा कि प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है, दो स्वीपर्स हैं। उसमें रिजर्वेशन पूरा है। जहां तक पियोन्स का सम्बन्ध है, एक्साइज मैनुअल के सेक्शन ६०,६१,६२,६३ और ६४ के मातहत एक्साइज पियोन्स की वही ड्यूटी है जो कलेक्टर, एस० पी०, एसिस्टेन्ट कमिश्नर, एक्साइज और डिप्टी एस० पी० के पियोन्स की है। उसको रखने के लिये एक्साइज मैनुअल के मुताबिक कुछ नियम दिये हुये हैं और उन नियमों के मुताबिक भर्ती होती है क्लास फोर की।

श्री रघुनाथसिंह--माननीय मंत्री जी ने विभाग में जो हरिजनों की संख्या दी है उसमें कितने राजपत्रित और कितने अराजपत्रित हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम--कुल ४० गजेटेड हैं और बाकी नान-गजेटेड। हरिजन कोई गजटेड नहीं है।

प्रसार अध्यापकों का अवशेष वेतन

*२३-श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्था योजना में सन् १९५४ से अब तक कितने ऐसे प्रसार अध्यापक हैं जिनका वेतन अब तक नहीं दिया गया जबकि वे इस विभाग के सेवा कार्य से मुक्त हो गये हैं ? यदि वेतन नहीं दिया गया, तो क्यों, कितने प्रसार अध्यापक ऐसे हैं और क्यों जो अब तक ससपेंड हैं ? उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री अजीज इमाम--१२ सेवा मुक्त अध्यापक ऐसे हैं जिनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इनमें से कुछ का वेतन निर्धारण किया जा रहा है, कुछ के बारे में आवश्यक कागजातों की जांच की जा रही है और उनमें जो कमी है उसकी पूर्ति के सिलसिले में कार्यवाही हो रही है तथा कुछ अध्यापकों के अवशेष वेतन के क्लेमों की जांच महालेखापाल कर रहे हैं।

दो अध्यापक निलम्बित हैं जिनमें से एक पर दफा ३७७/२ का मुकदमा कायम है और उन्हें Suspension allowance दिया जा रहा है। दूसरे अध्यापक को बिना किसी प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किया गया था। उन्हें पुनः कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। उनका कोई पता नहीं है।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया उनको कितनी अवधि तक काम करने के बाद सेवा मुक्त किया गया और उस अवधि के बीच उनका वेतन निर्धारण क्यों नहीं किया गया ?

श्री अजीज इमाम—जब से रिओरियन्टेशन स्कीम शुरू हुई है तब से और जब तक हटाये गये हैं उस वक्त तक का यह जवाब है ।

श्री विजयसिंह—श्रीमन्, मैंने समय पूछा है कि कितने साल उन्होंने काम किया जिसके बाद उन्हें सेवा मुक्त किया गया और जितने टाइम तक उन्होंने काम किया उस बीच में उनका वेतन-क्रम क्यों नहीं निर्धारित किया गया, उनको सेवा मुक्त कर देने के बाद क्यों किया जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम—उन्होंने कब तक काम किया, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुये कि प्रसार अध्यापकों की संख्या प्रदेशभर में करीब दो हजार के है और उनके ग्रेड और सीनियारिटी, जूनियारिटी का सवाल अभी तक खटाई में है, क्या सरकार इन सब मसलों पर जल्दी निर्णय लेने की कृपा करेगी ?

श्री अजीज इमाम—इस सम्बन्ध में एक डिपार्टमेंटल कमेटी बनायी गयी है । उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है । उसके आ जाने पर निर्णय किया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रसार अध्यापकों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया वह उन्हें कब तक मिल जायगा ?

श्री अजीज इमाम—इसका तो जवाब दे दिया गया है कि जिनमें जो-जो कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही वह पूरी हो जायेंगी उनका वेतन दे दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जो अध्यापक मुअत्तल हैं वह कितने दिनों से मुअत्तल हैं और सस्पेंशन अलाउन्स कितना दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर देने में देर होने पर बहुत देर में जवाब आता है । अगर सूचना है तो कहिये, नहीं है तो कहिये सूचना नहीं है ।

श्री अजीज इमाम—इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतायेगी कि पुनर्व्यवस्था योजना विभाग स्थायी है या अस्थायी है ?

श्री अजीज इमाम—अभी टैम्पोरेरी है ।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि १२ अध्यापक, जिनको वेतन नहीं दिया गया है, उनके नाम और जिले क्या हैं ?

श्री अजीज इमाम—श्री मुलायम सिंह, जालौन, श्री सुरेन्द्रकुमार विश्नोई, टेहरी गढ़वाल, श्री शिवबहादुर सिंह, राय बरेली, श्री जगदीशशरण उपमन्यु, मैनपुरी, श्री शिवदान सिंह तथा बाबू राम शर्मा, मेरठ, श्री रघुवीर सिंह, मुजफ्फरनगर, श्री रामनरेश तिवारी तथा राम किशोर गुप्त, जौनपुर, श्री इंद्रपाल सिंह, अलीगढ़, श्री नरेशचन्द्र भारद्वाज, बदायूं । लखीमपुर के एक साहब हैं, उनका नाम नहीं है ।

श्री विजयसिंह—लिस्ट दिला दीजिये तो ठीक है । पढ़ने में देर लग रही है ।

श्री अध्यक्ष—तो आपको लिस्ट दे दीजियेगा ।

श्री रघुनाथसिंह—जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है १९५४ से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है और उत्तर में कहा गया है कि वेतन का निर्धारण अभी हो रहा है, तो वेतन के निर्धारण होने में इतनी देर क्यों हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री अजीज इमाम—कागजात अधूरे रहने के कारण यह बात हुई ।

श्री उग्रसेन—निर्धारण में आठ वर्ष हो गये । श्रीमन्, मंत्री जी से कह दीजिये कि अब तो जल्दी करें । एक मंत्रिमंडल गया, दूसरा आया, तीसरा आया ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

धर्मसीपुर गांव में मालगुजारी की वसूली

*२४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना मोहम्मदाबाद गोहाना, जिला आजमगढ़, के गांव धर्मसीपुर में मालगुजारी की अनियमित वसूली के खिलाफ दिनांक २४ मार्च, १९६१ को गांव के कुछ किसानों का आवेदन-पत्र जिलाधीश आजमगढ़ के नाम प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—धर्मसीपुर नामक गांव में मालगुजारी की अनियमित वसूली के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र २४-३-६१ को प्राप्त नहीं हुआ था । अतएव उक्त प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यदि २४ मार्च को नहीं तो मार्च, १९६१ की किसी तारीख को प्राप्त हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस मिलेगा तो पता लगाऊंगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों की प्रातः व सायंकाल कक्षायें

*२५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर), श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़), श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भीखालाल तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि डिग्री कलासेज की प्रभात की तथा सायंकाल की कक्षाओं को कुलपति महोदय ने बन्द करने के आदेश दे दिये हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन कक्षाओं में कितने विद्यार्थी पिछले वर्ष पढ़ते थे तथा कितने अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहे थे ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं । विद्यार्थियों की संख्या २,१०२ व अध्यापकों की संख्या १०४ थी ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि प्रभात की डिग्री क्लासेज में अब की बार प्रथम वर्ष में इतनी देर से ऐडमीशन हुये और इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—लेट ऐडमिशन का कारण यह है कि इस बारे में वाइस चांसलर ने कुछ कालेजों से यह कहा था कि इस साल मार्निंग क्लासेज न खोलें लेकिन बाद में विचार किया गया कि इस साल के लिये इजाजत दे दी जाय । इसलिये देर में चूंकि इजाजत दी गयी तो देर में दाखले हुये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुत से ऐसे लोगों ने, जो नौकरी करते हैं या दूसरा काम करते हैं, उन्होंने इन मार्निंग क्लासेज को ज्वाइन कर लिया है और सरकार ने निर्णय कर लिया है कि अगले साल से यह क्लासेज नहीं होंगे तो जिनका दो साल का कोर्स है उनकी क्या स्थिति होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुये जब तक उनका दो साल का कोर्स पूरा न हो जाय तब तक इस स्कीम को लागू रखने के ऊपर विचार करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरा तो खयाल है कि यह तो यूनिवर्सिटीज निश्चय करती हैं लेकिन जो विद्यार्थी इस वर्ष हैं उनके लिए तो दो साल का ही कोर्स रहेगा। लेकिन मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं कह सकता कि वाइस-चांसलर इसके ऊपर क्या निश्चय करेंगे।

श्री रामायण राय—माननीय, प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न सरकार के सामने आता है तो इस सम्बन्ध में सरकार अपनी कोई निश्चित नीति क्यों नहीं तय कर लेती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—गवर्नमेन्ट की तो निश्चित नीति यह है; और यह आल इंडिया पालिसी है, कि जो सर्विस में आदमी हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया जाय लेकिन शर्त यह है कि वह अगर सर्विस करते हैं तो उनको तीन साल का कोर्स करना पड़ेगा। यह आम नीति सब जगह पर है और आगरे में भी इसे लागू किया गया है; और भी प्रदेशों में इस प्रकार की नीति लागू है।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—यह साफ जाहिर नहीं है कि यह किस यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप यूनिवर्सिटी बता दीजिये और प्रश्न कर लीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तीन वर्ष वाली जो व्यवस्था है क्या अगले साल से उसे लागू करके उस प्रकार की कक्षायें यहां खोलने का आदेश हो गया है ?

श्री अजीज इमाम—आगामी वर्ष ६३-६४ में जो कालेज प्रातः कालीन कक्षायें अपने यहां चलाना चाहें उनको तीन वर्ष का कोर्स अपनाना होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्वर्गीय सरदार पटेल जी की बात को याद दिलाऊंगा कि एक दफा उन्होंने कहा था कि शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिये यह जो शिफ्ट सिस्टम है फैक्टरी की तरह उसे बन्द करना चाहिये, तो क्या उस नीति पर सरकार विचार कर रही है कि शिफ्ट सिस्टम कहीं न रखा जाय और जो नौकरी करने वाले पढ़ना चाहते हैं, उनको अलग से जैसे विलायत में या और जगह होता है, कि छुट्टी लेकर वे पढ़ते हैं, वैसी व्यवस्था की जाय ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)—जहां तक शिफ्ट सिस्टम का सवाल है, सरकार भी उसको प्रोत्साहन नहीं देती है, उसको डिसकरेज करना चाहती है।

इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का अनुपात

*२६—श्री जेड० ए० अहमद (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई सन् १९५८ में (रीडर और लेक्चरर ग्रेड एक करने के पहले) लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और रीडरों का, कुल अध्यापकों का क्या अनुपात था और इस समय क्या अनुपात है ?

श्री अजीज इमाम—इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों में रीडर और लेक्चरर ग्रेड को एक करने के पूर्व तथा अब प्रोफेसरों और रीडरों का कुल अध्यापकों की संख्या से अनुपात निम्न प्रकार है :

	दो ग्रेड लागू होने के पूर्व अनुपात		वर्तमान अनुपात
१—इलाहाबाद विश्वविद्यालय	२९ प्रति शत	..	१३ प्रति शत
२—लखनऊ विश्वविद्यालय	३५ प्रति शत	..	२२ प्रति शत

*२७—**श्री जेड०ए० अहमद** (अनुपस्थित) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई ऐसा निर्देश भेजा है कि विश्वविद्यालयों के कुल अध्यापकों की संख्या का ४० प्रतिशत प्रोफेसर और रीडर होने चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार को इसका ज्ञान है और यह निर्देश कब आया है ?

श्री अजीज इमाम—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है ।

*२८—**श्री जेड०ए० अहमद** (अनुपस्थित) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसियेशन ने मई सन् १९६२ में विश्वविद्यालय के कुल अध्यापकों तथा प्रोफेसरों और रीडरों के अनुपात के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीज इमाम—केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसियेशन से इस विषय पर एक प्रस्ताव पास हुआ है । यह शासन के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राधाकृष्णन कमीशन ने उस बात की सिफारिश की थी कि पूरे टीचर्स और रीडर्स के अनुपात को बढ़ाया जाय, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटीज में उसके प्रतिकूल २९ से १३ और ३५ से २२ पर सेंट घट रही है तो क्या सरकार भविष्य में टीचर्स के पूरे अनुपात को कमीशन के निर्देश के अनुसार बढ़ाएगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—कोशिश यह रहती है कि जहां तक हो सके टीचर्स का अनुपात विद्यार्थियों के मुकाबले में ज्यादा हो जाय । हम धन के अभाव के कारण इस अनुपात को पूरी तरह से कार्यान्वित कर नहीं पा रहे हैं । अब यह जो अनुपात है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री जी ने कहा कि यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है । मेरे पास यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ७ जुलाई का वह सरकुलर है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया गया है । उसमें यह कहा गया है "I am directed to say that the Commission had earlier agreed in principle that up to 20% of the present posts of Lecturers in Delhi University may be placed in Readers' grade and designated as post of Senior Lecturer." और आगे कहा है कि "to attract and retain really first rate teachers, it would be best to treat the above as equivalent to converting 20% of the exising Lecturers' posts into additional Readerships" कमीशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस बात की हिदायत दी है । क्या इस प्रकार की हिदायत राज्य की यूनीवर्सिटियों को भी कमीशन ने दी है कि २० पर सेंट रीडर्स और प्राफेसर्स की तादाद को बढ़ाया जाय, सरकार ने उस राय के ऊपर क्या कदम उठाया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास तो इस तरह की सूचना नहीं आई है ।

श्री रामायणराय—जिस समय वर्तमान शिक्षा मंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे उस समय क्या इस तरह का एकेडमिक काउंसिल ने कोई प्रस्ताव किया था कि यह प्रतिशत ४० कर दिया जाय, यदि हां तो आज जब वह स्वयं शिक्षा मंत्री तो उसको वे कार्यान्वित करने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इस बात का स्मरण नहीं है कि उस वक्त क्या निश्चय हुआ था लेकिन सरकार इस समय उस अनुपात को बढ़ाने में असमर्थ है जिसका कारण धन की कमी है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने धन की आवश्यकता इस अनुपात को पूरा करने के लिये है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह वाइस चांसलर थे तो एकेडमिक काउंसिल ने उनकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव किया था कि ४० प्रतिशत का अनुपात हो और आज की स्थिति में अनुपात गिर गया है। उसके लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राध्यापक यूनियन ने रेज्यूलेशन भेजा है और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लेटर लिखा है तो उनके ऊपर विचार करके सरकार कब निर्णय लेगी और कौन सा कदम उठाने जा रही है जिससे वह प्रतिशत गिरने न पाये और कम से कम जो पहले अनुपात था वह पूरा हो जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो विचाराधीन है ही कि गवर्नमेंट इस अनुपात को कैसे बढ़ावे और जो कमी है टीचर्स की वह पूरी की जाय।

श्री रामायणराय—मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर और छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए सदन में बार-बार यह सुझाव दिया गया। १९४७ में टीचर्स और स्टूडेंट्स रेशियो १ और २० का था आज वह बढ़कर १ और ४० हो गया है। इस स्थिति में शिक्षा विभाग को यह अनुपात बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इतनी संख्या में आज विद्यार्थी कालेजों में जा रहे हैं, इसके लिये हमें खुशी है, परन्तु खेद है कि धनाभाव के कारण हम इस अनुपात के आधार पर शिक्षकों के वेतन के लिये कोई इन्तजाम नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में पहले ३ ग्रेड थे रीडर, लेक्चरार और प्रोफेसर का। बाद को दो कर दिये गये असिस्टेंट प्रोफेसर के। फिर तीन कर दिये गये। यह परिवर्तन जो किया गया इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसका कारण यह है कि यह समझा गया कि अच्छे अध्यापकगण दूसरी यूनिवर्सिटियों से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आने के लिये तैयार नहीं थे। रीडर की पोस्ट पर ज्यादा अच्छे योग्य व्यक्ति आते हैं। दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से ही प्रोफेसर की पोस्ट होती है। इस बीच में उनको कोई उन्नति का रास्ता नहीं मालूम होता था। इस खयाल से यह समझकर कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा यह स्केल इंट्रोड्यूस किये गये हैं।

श्री रामायणराय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री के सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अगर कोई सिफारिश नहीं है तो क्या उन्होंने राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश को देखने की कृपा की है ?

श्री अध्यक्ष—टीचर, लेक्चरार के संबंध में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि धनाभाव के कारण वह अनुपात नहीं हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कम से कम दो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसी काम के लिये वहां यह अनुपात बहुत हायर है। तो इस प्रकार यदि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सामने जायं और उनसे कहें कि जो ग्रांट्स उनको दी जाती हैं जिनकी वजह से उनके ग्रेड हायर हैं तो हमको भी ज्यादा ग्रांट दी जाय ताकि हम अपने यहां उस अनुपात को बढ़ा सकें ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में अध्यापकों और विद्यार्थियों के अनुपात की क्या संख्या है लेकिन जैसा मैंने कहा हमको यह दिक्कत है कि हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम ज्यादा बढ़ा सकें।

भदोही तहसील में हरिजन बस्तियों का इन्दराज

*२९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला वाराणसी के भदोही तहसील (ज्ञानपुर) में ऐसे कितने नम्बरान व मवाजियात हैं जिनमें पुश्त दरपुश्त हरिजन या पिछड़ी जातियों की बस्तियां आबाद हैं; किन्तु लेखपाल के कागजात में बस्ती आबादी का इन्दराज नहीं किया गया है ? क्या सरकार को इस प्रकार की इन्दराजों को सही दर्ज कराने की मंशा है ? यदि हां, तो इस प्रकार के इंदराज कब तक दुरुस्त कर दिये जायेंगे ?

श्री बृजबिहारी—ऐसा कोई मामला शासन की जानकारी में नहीं है। फिर भी इस संबंध में जांच के लिये आदेश दे दिया गया है।

आराकोट—शाला सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*३०—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि हिमांचल प्रदेश की सरकार ने आराकोट से ट्यूनी होते हुये शाला तक जाने वाली सड़क का निर्माण बिना उत्तर प्रदेश सरकार की आज्ञा के कर रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण के सिलसिले में जिन किसानों को हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति कहां से मिलेगी ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं। निर्माण द्वारा हुई क्षति की पूर्ति इस सड़क की स्वीकृत धनराशि से की जायगी। अभिप्राप्त भूमि का मुआवजा जिलाधीश देहरादून द्वारा वितरित किया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क का निर्माण अपनी प्रदेशीय सरकार की तरफ से हो रहा है या हिमांचल प्रदेश की सरकार की तरफ से हो रहा है ?

श्री गनेशीलाल—हिमांचल प्रदेश की सरकार की तरफ से हो रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर इस सड़क के निर्माण के पहले हिमांचल प्रदेश की सरकार ने अपनी सरकार से आज्ञा ले ली थी ?

श्री गनेशीलाल—आज्ञा ले ली गई थी।

टांडा नगरपालिका में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार

*३१—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका टांडा, जिला फैजाबाद ने कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये सरकार से अनुमति मांगी थी ? यदि हां, तो उस पर किस तारीख को आदेश हुआ ?

श्री अजीज इमाम—जी हां। अभी उस पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती रामरती—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निरीक्षिका महोदया भप्तम मंडल, गोरखपुर को चेयरमैन, म्युनिसिपलबोर्ड, टांडा ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि उक्त पाठशाला की जूनियर कक्षाओं को तोड़कर इन बालिकाओं को आर्य कन्या इंटर कालेज, टांडा में भेज दिया जाय ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जो जूनियर हाई स्कूल नगरपालिका का खुला हुआ है इसके करीब आर्य कन्या इंटर कालेज है जिसमें २०० गज का फर्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह जूनियर हाई स्कूल खुला तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस विषय में जब विचार किया जायगा तो क्या इस बात पर भी विचार किया जायगा ?

श्री अजीज इमाम—वैसे तो सभी बातों पर गौर किया जायगा, लेकिन अगर आप लिख कर देंगे तो खास तौर से इस पर गौर हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जूनियर हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की फीस में काफी अन्तर है और इसे देखते हुए वहां जूनियर हाई स्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

आगरा-जगनेर सड़क का ठेका

*३२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-जगनेर रोड पर सड़क ऊंची करने का ठेका किस तारीख को दिया गया था तथा काम समाप्त होने की अवधि क्या थी ?

श्री गिरधारीलाल—इस मार्ग के ऊंचा करने का ठेका इसी वर्ष दिया गया था और इस कार्य को मार्च, १९६३ के अन्त तक पूरा होना है।

*३३—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या यह सही है कि उक्त कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ और वर्षा शुरू होने के कारण इस वर्ष इस कार्य के पूरे होने की आशा भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह सही है कि यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, परन्तु यह कार्य पूर्व निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार किया जा रहा है। अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नोटः—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रुद्रपुर-क्षेत्र में कुर्ना नाला से क्षति

*३४—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर क्षेत्र में कुर्ना नाला का पानी करीब ८५६ एकड़ में हर साल फैला रहता है जिससे उतने एकड़ में किसानों को कोई पैदावार नहीं मिलती है तथा पैदावार न होने पर भी उस भूमि की मालगुजारी वसूल होती है? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह नुकसान कितने दिनों से किन-किन गांवों का, कितना-कितना हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में कुर्ना नाला १३ गांवों से होकर बहता है और अथुवा नदी में जा कर मिल जाता है। बाढ़ आने पर इस नाले का पानी लगभग १७६७ एकड़ में फैलता है, बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी की छूट दी जाती है, पिछले वर्ष १३६९ फसली खरीफ में उक्त १३ ग्रामों में १७१७ रु० ८७ न०पै० की छूट दी गई है, जिसका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है। बाढ़ के कारण जब कभी नुकसान होता है तो मालगुजारी में छूट दी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३८ पर)

श्री बापू महाविद्यालय, सलेमपुर में गबन

*३५—श्री उग्रसेन—क्या शिक्षा मंत्री जी को देवरिया के एक विधायक द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में इस आशय का पत्र मिला है कि श्री बापू महाविद्यालय, सलेमपुर, जिला देवरिया में १०,००० रु० से अधिक रकम का गबन है? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री ने अब तक जांच करके उस पर कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

आचार्य जुगलकिशोर—जी, नहीं,

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कन्या पाठशाला, सकरौली

*३६—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सकरौली जिला एटा में राजकीय कन्या पाठशाला का उद्घाटन २ अक्टूबर, १९६१ को हुआ था? यदि हां, तो कन्या पाठशाला, सकरौली से नगलाउदी को क्यों हटायी गयी?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*३७—श्री गिरवरप्रसाद—क्या सरकार को उक्त पाठशाला को न हटाने का ३० अप्रैल, १९६२ को विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न ही नहीं उठता।

एडीशनल डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का वेतन

*३८—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के एडीशनल डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स में से कितने अफसरों को अब तक वेतन मिल गया है और कितनों को नहीं? उन्हें अब तक वेतन न मिलने का क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर—४९ अफसरों को वेतन मिल गया है और २ को उनकी सेवा संबंधी पत्रादि की आपत्तियों के दूर न होने के कारण अभी तक वतन नहीं मिल सका है।

इटावा जिले की कचहरियों में अस्थायी कर्मचारी

*३९—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इटावा जिले की कलक्टरी और तहसील में माल विभाग के कुल कितने लिपिक और कितने चपरासी हैं ? उनमें से कितने अस्थायी और कितने स्थायी है ? और जो व्यक्ति अस्थायी हैं वे कब से कार्य कर रहे हैं और क्या कारण है कि स्थायी नहीं किये गये ? क्या लगातार ३ वर्ष तक सेवा कर लेने पर भी माल विभाग का कर्मचारी स्वतः स्थायी नहीं होता ? यदि नहीं, तो स्थायीकरण के क्या नियम हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—कुल १४१ लिपिक तथा १७६ चपरासी हैं, जिनमें क्रमशः ४० तथा २६ अस्थायी और शेष स्थायी हैं। अस्थायी लिपिक ३ वर्ष के ऊपर से कार्य कर रहे हैं। अस्थायी चपरासियों में १० तीन वर्ष से अधिक तथा १६ तीन वर्ष से कम से कार्य कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि लगातार तीन वर्ष तक कार्य कर लेने के पश्चात् कोई कर्मचारी स्वतः स्थायी हो जाये। जिला कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के स्थायी पद रिक्त होनें पर पेड अप्रेंटिसों की सूची द्वारा भरे जाते हैं। निम्न श्रेणी के स्थायी पद रिक्त होने पर उम्मीदवार चपरासियों की सूची से जेष्ठता के अनुसार भरे जाते हैं।

एडीशनल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत के कर्मचारी

*४०—श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एडीशनल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत कब और क्यों निर्मित की गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—एडीशनल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत १० जुलाई, १९४० को मुकदमों की अधिकता के कारण निर्मित की गई।

*४१—श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—उक्त अदालत में कौन-कौन से कर्मचारी स्थायी अथवा अस्थायी किस वेतन-क्रम पर नियुक्त किये गये थे ?

*४२—उक्त कर्मचारियों ने कब से कब तक काम किया और उन्हें इसके लिये क्या वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—सूचना संलग्न सूची में सदन में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३९ पर)

शिक्षा विभाग में एस० डी० आई० के पदों पर नियुक्ति

*४३—श्री टम्मेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च तथा अप्रैल, १९६२ में शिक्षा विभाग के लिये एस०डी०आई० के कितने पद रिक्त हुये अथवा कितने नवीन पद निर्माण हुये तथा क्या सरकार उनकी सूची जो कि उक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं सदन की मेज पर रखने के कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—दो एस०डी०आई० के अवकाश प्राप्त करने से सहारनपुर तथा नैनीताल में दो रिक्तियां हुई थीं। कोई नवीन पद का निर्माण नहीं हुआ।

सहारनपुर में श्री प्रेमचन्द्र और नैनीताल में श्री गंगा प्रसाद पंत की नियुक्ति की की गयी है।

दीक्षा विद्यालयों के पुराने अध्यापक

*४४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के राजकीय दीक्षा विद्यालय में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी एक ही विद्यालय में कुल सेवा अवधि १० वर्ष या अधिक है। क्या इनमें से कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो उस स्थान से स्थानान्तरण की कार्यवाही होने के पश्चात् फिर भी उसी विद्यालय में रोक लिये गये अथवा दोबारा भेज दिये गये? यदि हां, तो कितनी संख्या में?

आचार्य जुगलकिशोर--केवल उन्तीस।

केवल सात।

*४५--श्री राजेन्द्रसिंह--ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी सेवा अवधि राजकीय दीक्षा विद्यालयों में ही १० वर्ष या इससे अधिक बीती है?

आचार्य जुगलकिशोर--केवल पैंतालीस।

*४६--श्री राजेन्द्रसिंह--सरकारी राजपत्रित अधिकारियों की एक स्थान पर सेवा अवधि ३ वर्ष है? क्या इस प्रकार का नियम शिक्षा विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिये भी है? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार १० वर्ष से या इससे अधिक सेवा अवधि वाले अध्यापकों का राजकीय दीक्षा विद्यालयों से अविलम्ब स्थानान्तरण करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर--साधारणतया अधिकारी एक स्थान पर ३ वर्ष तक रखे जाते हैं किन्तु जहां शासकीय आवश्यकता होती है अवधि बढ़ायी भी जाती है। सहायक अध्यापकों के लिये ऐसा कोई नियम नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले के कार्यालयों में हरिजन

*४७--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के केन्द्र तथा तहसीली कार्यालयों में कितने क्लर्क, चपरासी, अमीन, सुपरवाइजर आदि कार्य कर रहे हैं, इनमें से कितने हरिजन हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना संलग्न सूची में सदन में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४० पर)

*४८--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त पदों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है तथा भविष्य में इन नियुक्तियों के लिये जिला स्तर पर एक समिति शीघ्र गठित की जावेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कलेक्ट्रेट में तृतीय श्रेणी के पदों पर पेड अप्रेन्टिसों की सूची से नियुक्ति की जाती है। निम्न श्रेणी के पद उम्मीदवार चपरासियों की सूची से जेष्ठता के अनुसार भरे जाते हैं। इसी प्रकार मिर्दहा के पदों पर भी नियुक्तियां की जाती हैं। कलेक्शन अमीन के पदों पर जिलाधीश निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से चुनाव करके नियुक्ति करता है। सदर कानूनगो के पद सुपराइजर कानूनगो में से पदोन्नति द्वारा तथा रजिस्ट्रार कानूनगो और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद लेखपालों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सुपरवाइजर कानूनगो के पद प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तथा लेखपालों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। नियुक्तियां हेतु जिला स्तर पर समिति के गठन के विषय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोंडा में बलरामपुर कोठी का क्रय

*४९—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा शहर में सरकार ने बलरामपुर कोठी, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये खरीदी है ? यदि हां, तो कब और कितने कीमत पर ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां ।

दिसम्बर ११, १९५९ को ४९,६१७ रु० ५० नये पैसे की कीमत पर ।

*५०—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि इस सरकारी इमारत को, विद्यालय न खोलकर किसी निजी व्यक्ति को किराये पर दे दिया गया था ? यदि हां, तो किसको और कितने दिनों के लिये किराया पर और किसके आदेश से दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, किसी निजी व्यक्ति को किराये पर नहीं दी गयी थी । अपितु क्रय करने के पूर्व ही से रेन्ट कन्ट्रोल तथा एविक्शन अधिकारी द्वारा कोठी रीजनल असिस्टेन्ट कम्पेन्सैशन अधिकारी, गोंडा को उनके कार्यालय तथा निवास के लिये एलाटेड थी और ३१-३-६१ तक उनके कब्जे में रही । इस अवधि में ९७ रु० ६३ नये पैसे के दर से प्रति मास किराया मिलता रहा । बाद में भी भवन किसी निजी व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया गया । चूंकि भवन बिना मरम्मत और आवश्यक परिवर्तन के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, गोंडा के उपयोग में लाने योग नहीं था। इसलिये भवन को रेन्ट कन्ट्रोल तथा इविक्शन आफिसर, गोंडा ने सामान्य निर्वाचन कार्य के लिये १० जनवरी १९६२ से २७ मार्च, १९६२ तक प्रयोग किया और इसके लिये विभाग को १,००० रु० प्राप्त हुआ ।

*५१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि बलरामपुर कोठी सरकार द्वारा खरीदने के बाद भी विद्यालय किराये की इमारत में रहा और कोठी किराये पर रही ? यदि हां, तो सरकार को विद्यालय हेतु कितना किराये का भुगतान करना पड़ा और इसका जिम्मेदार कौन है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

बलरामपुर हाउस क्रय करने के पहले राजकीय कन्या विद्यालय, गोंडा दो भागों में चल रहा था । प्राइमरी विभाग तथा सेकेन्ड्री विभाग, जिनका किराया क्रमशः ५६ रु० २५ नये पैसे और १२० रु० मासिक था । २८ मार्च, १९६२ को जब सेकेन्ड्री विभाग अन्तरिम जिला परिषद् भवन से बलरामपुर हाउस में स्थानान्तरित किया गया, प्राइमरी विभाग अन्तरिम जिला परिषद् के भवन में आ गया जिसका १२० रु० मासिक किराया अब भी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है । अतः जिस अवधि में बलरामपुर हाउस रीजनल असिस्टेन्ट कम्पेन्सेशन अधिकारी के कार्यालय और निवास के उपयोग में रहा शिक्षा विभाग को ९७ रु० ६३ नये पैसे मासिक किराया प्राप्त हुआ और ५६ रु० २५ नये पैसे मासिक अतिरिक्त किराया देना पड़ा जिससे विभाग को लाभ ही रहा ।

राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़

*५२—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़ में जो साइन्स क्लब के लिये कैमरा खरीदा गया है उसकी देय धनराशि क्या है और प्राइस लिस्ट में उसकी कीमत क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—देय धनराशि २७५ रु० (सैल्स टैक्स अतिरिक्त) है । प्राइस लिस्ट में उस समय भी उसकी कीमत २७५ रु० (सेल्स टैक्स अतिरिक्त) थी ।

*५३—डाक्टर सियाराम गंगवार—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज फतेहगढ़, के प्रधानाचार्य श्री एल० पी० कक्कड़ के कार्यकाल में कितने निम्न कर्मचारी सेवा-कार्य से कब-कब पृथक किये गये और किन-किन कारणों से ?

आचार्य जुगलकिशोर—तीन कर्मचारी दिनांक ९-७-१९६१ को पृथक किये गये थे क्योंकि वे अस्थायी थे और उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी।

*५४—डाक्टर सियाराम गंगवार—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ राजकीय इन्टर कालेज में ग्रन्थकला शुल्क कक्षा ६ से ८ तक अगस्त, सन् १९६० से फरवरी, सन् १९६२ तक निरन्तर वसूल हुआ ? यदि हां, तो उसका उपयोग किस प्रकार किस-किस समय किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। ग्रन्थ कला शुल्क का उपयोग विद्यार्थियों की शिक्षा, उनकी प्रयोगिक परीक्षाओं तथा कला कक्ष आदि की सजावट के लिये समय-समय पर सामानों की खरीद पर किया गया।

दिया ग्राम के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*५५—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री कैलाश (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दिया तहसील खटीमा, नैनीताल के हरिजन काश्तकारों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम दिया के हरिजन काश्तकारों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। जिलाधीश, नैनीताल को एक ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि उन्होंने उस जमीन का एलाटमेन्ट चाहा है जो अवैधिक रूप से उनके कब्जे में है।

*५६—श्री शारदानन्द तथा श्री कैलाश (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त हरिजन काश्तकारों को उक्त ग्राम दिया की भूमि पर से हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको दूसरे स्थान पर बसाने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि इन व्यक्तियों ने अवैधिक रूप से भूमि पर कब्जा किया है अतएव उनको दूसरे स्थानों पर बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री शारदानन्द तथा श्री कैलाश (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में कुल कितने एकड़ भूमि बन्जर व परती पड़ी हुई है और उक्त परती भूमि पर भूमिहीनों को बसाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम दिया में कुल ४५७ एकड़ भूमि बंजर व परती पड़ी है। उक्त भूमि पर भूमिहीनों को बसाने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[१४ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों को चिकित्सा सुविधायें

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र १९६१ के ५वें शुक्रवार २४ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि लिपिकों को चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही तैयार कर लागू किये जा सकेंगे।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के कितने लिपिक लाभान्वित होंगे तथा सरकार का वार्षिक कितना व्यय होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—लाभान्वित होने वाले लिपिकों की संख्या लगभग ३,८३३ है। अभी व्यय का अनुमान बताना सम्भव नहीं है।

ग्राम सभा पतनई के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न-कर्ता द्वारा १५ जून, १९६१ का भेजा हुआ कोई पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राम सभा पतनई, जिला आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध गाँव समाज की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, प्राप्त धन की रसीद न देने, पोखरी ताल का नीलाम ठीक ढंग से न करने आदि विभिन्न प्रकार की शिकायत संबंधी दो दरख्वास्तें संबंधित ग्रामीणों की संलग्न थी ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ। गाँव सभा के संबंध में दरख्वास्त जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ के पास भेजी गई जो अभी मामले की जाँच कर रहे हैं। गाँव समाज के संबंध की दरख्वास्त की जाँच तहसीलदार, घोसी द्वारा की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अनियमितायें पायी गयीं। गाँव समाज के भूतपूर्व प्रधान से १,०२३ रु० गाँव समाज फण्ड में जमा करा लिया गया है।

वाराणसी जिले में सड़कों का निर्माण

*४—**श्री उदल**—क्या सरकार वाराणसी तहसील की सड़क जो बाबतपुर से बसनी बड़ा गाँव होते हुये अनेई कुरू को जाती है जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मील व फर्लांग के पत्थर लगे हैं सरकार इस तीसरी योजना में बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के निर्माण की तीसरी योजना में कोई प्राविधान नहीं है।

*५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बसनी से बरही नेवादा-जमालपुर-मीराशाह से मड़ियाहूं तक जो बनारस-जौनपुर दोनों जिलों में कच्ची सड़कें पड़ती हैं जिन पर कई प्राइवेट बसें चलतीं हैं उनको तीसरी योजना में सरकार शामिल करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इन सड़कों पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, इन सड़कों के निर्माण का भी कोई प्राविधान तीसरी योजना में नहीं है।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का अनुदान

*६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बतायेगी कि हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी को कितने रुपये का अनुदान सरकार प्रतिवर्ष देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—पिछले तीन वर्षों में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय तथा गुरुकुल काँगड़ी इन्टर कालेज, हरिद्वार को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

वर्ष			गुरुकुल विश्वविद्यालय (आनवर्त्तक)	गुरुकुल इन्टर कालेज (आवर्तक)
१			२	३
			रु०	रु०
१९५९–६०	..	..	१०,०००	३,५०४
१९६०–६१	..	..	१५,०००	३,९६०
१९६१–६२	..	..	२५,०००	४,२५६

गोरखपुर जिले में नवीन जूनियर हाई स्कूल

*७—श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले के ग्राम तीहामुहम्मदपुर में कोई कन्या जूनियर हाई स्कूल चल रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्कूल के भवन निर्माण की व्यवस्था करने या उसे आँशिक अनुदान देने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, कन्या प्राइमरी स्कूल में ही जूनियर हाई स्कूल की क्रमोत्तर कक्षा आरम्भ की गई है । इस प्रकार यह विद्यालय तीन वर्षों में जूनियर हाई स्कूल हो जायेगा । सरकार द्वारा ३,५०० रु० का भवन अनुदान भी परिषद् को दे दिया गया है ।

*८—श्री कल्पनार्थासिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में हाटा, मझगाँवाँ, खजुरीबाबू, नरे कोहारा बुजुर्ग, ककरही मथरिया, बैरिया डीत, टाँडा, भुजौना, रामपुर गढ़री, पामामखोर में कोई कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, क्योंकि इस संबंध में सरकार के पास कोई माँग नहीं प्राप्त हुई ।

*९—श्री कल्पनार्थासिंह—क्या सरकार जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये कोई सर्वेक्षण गोरखपुर जिले में करा रही है ? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट क्या सदन की मेज पर रखने का कष्ट किया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

गांजा और अफीम

*१०—कल्याणचन्द मोहिले—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितना-कितना अवैध गाँजा और अफीम १९५९–६०, १९६०–६१ १९६१–६२ में पकड़ा गया ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में किन-किन जिलों में अवैध गाँजा तथा अफीम के संबंध में पकड़े गये, कितने आदमियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा उसमें कितने आदमी छूटे तथा कितनों को सजा या जुर्माना हुआ ?

डाक्टर सीताराम—वाँछित सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों का वेतन तथा भत्ता

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन दर कब बढ़ाया गया है और कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना परिशिष्ट 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४१–५४३ पर।)

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यालयों के अध्यापकों को कोई महंगाई भत्ता दिया जाता है ? यदि हाँ, तो कितना और कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना परिशिष्ट 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४१–५४३ पर।)

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालयों में फीस के साथ महंगाई भत्ता भी विद्यार्थियों से वसूल किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या वह अध्यापकों को बाँटा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने इसकी जानकारी की है कि किस-किस विद्यालय ने यह भत्ता डिग्री के अध्यापकों को बाँटा या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना परिशिष्ट 'ग' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४१–५४३ पर।)

छाता तहसील में ओला वृष्टि से क्षति

*१५—श्री लखीसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में ओला वृष्टि से कितने गाँवों में फसल नष्ट हुई और किसानों की पैदावार में कितनी क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला मथुरा की छाता तहसील के ३३ ग्रामों में ओला वृष्टि से पिछली रबी की फसल को प्रति रुपया ५० नये पैसे या उससे अधिक की हानि हुई है।

*१६—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि ओला पीड़ित किसानों से बीज बैंक की वसूली सख्ती के साथ हो रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न के दूसरे खंड का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

*१७—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि राजस्व मंत्री ने सदन में कहा था कि ऐसे किसानों की मालगुजारी आदि में छूट दी जायेगी और क्या यह सत्य है कि ओलों से खराब हुये गल्ले को बीज गोदाम पर नहीं लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो सरकार ऐसे किसानों की बकाया की वसूली को स्थगित करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ। सदन में यह कहा गया था कि रबी की फसल में क्षति का सही सही मूल्यांकन हो जाने के पश्चात् लगान में छूट दी जायेगी। यह भी सही है कि ओलों से खराब हुये गल्ले को बीज गोदामों पर नहीं लिया गया है। जिन क्षति ग्रस्त किसानों ने बीज गोदाम के गल्ले व ऋण की वसूली स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं उनकी वसूली स्थगित कर दी गई है।

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का महल

*१८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वमी (जिला झांसी) तथा श्री भगवानसहाय (जिला-शाहजहांपर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में स्थित महारानी लक्ष्मी बाई का महल जहां से अब कोतवाली हटा ली गई है इस ऐतिहासिक महल की सुरक्षा और रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गई है ? वह किसके अधिकार में हैं ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय सरकार ने इसको "राष्ट्रीय महत्व का स्मारक" घोषित करने और आवश्यक सुरक्षा और रखवाली की व्यवस्था करने का निश्चय किया है।

*१९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी तथा श्री भगवानसहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इस महल में सरकार एक संग्रहालय कायम करने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही

*२०—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में संचालित "सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर" के प्रधानाचार्य सन् १९५० में संस्था के धन के अपहरण एवं दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के अभियोगों पर स्कूल सेवा से निष्कासित हुये थे और उत्तर प्रदेश सरकार से उनको पुर्ननियुक्त करते हुये १९५३ में उनको यह आदेश हुआ था कि वे विद्यालय से अपना सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र विच्छेद कर लें और अन्यत्र सेवा ढूंढ़ लें ? यदि हाँ, तो किस आदेश से वह अब भी इतने वर्षों के पश्चात् उक्त विद्यालय में वर्तमान हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाजीपुर के प्रधानाचार्य निष्कासित नहीं हुये थे बल्कि निलम्बित थे। पुर्ननियुक्ति के आदेश के साथ शासन ने यह आदेश नहीं दिया कि वे विद्यालय से अपना सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र विच्छेद कर लें और अन्यत्र सेवा ढूंढ़ लें। इस तरह का शासन द्वारा केवल एक परामर्श-पत्र दिया गया था। अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२१—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि उक्त विद्यालय में पुनः विद्यालय के धनों का भारी अपहरण हुआ है और विभागीय आडीटरों ने अपनी आडिट रिपोर्ट में इसका कारण विद्यालय प्रधानाचार्य के नियंत्रण की शिथिलता, लापर-वाही वगैरह बताया है ? यदि हाँ, तो इस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की, कितना धन लौटाया जा सका तथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हाँ । अपहृत धन की वसूली एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५४४–५५३ पर)

*२२—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन विभागीय अधिकारियों ने उक्त सरकारी आदेश का उल्लंघन करके उक्त प्रधानाचार्य को उस विद्यालय में आसीन रखा उनके विरुद्ध इस उल्लंघन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले से राजस्व

*२३—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले से राजस्व प्राप्ति क्या है और उसमें बिलग्राम तहसील के परगना कछंदऊ, परगना मल्लावाँ व परगना बालामऊ संडीला तहसील की अलग-अलग क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हरदोई जिले की राजस्व प्राप्ति ६५,७५,२६५ रु० है और उसमें बिलग्राम तहसील के परगना कछंदऊ की १,०४,१८३ रु०, परगना मल्लावाँ की ४,३४,२८१ रु० तथा परगना बालामऊ संडीला तहसील की ८५,७८३ रु० है ।

*२४—श्री जे० पी० मिश्र—परगना मल्लावाँ, परगना कछन्दऊ, परगना बालामऊ पर पुरानी राजस्व की रकम कितनी है और उस बकाया के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परगना मल्लावाँ का १,१२,९६३ रु०, परगना कछन्दऊ का ५१,५०० रु०, परगना बालामऊ का ३८,५३९ रु० पुराना बकाया है । यह बकाया अधिक वर्षा होने पर पानी भर जाने से फसलों की हानि हो जाने के कारण है ।

*२५—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह तीनों परगने भयंकर सैलाब के खतरे में रहते हैं और वाटर लागिंग भी बहुत अधिक है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परगना कछंदऊ तथा बालामऊ के कुछ ग्राम अधिक वर्षा में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं और परगना मल्लावाँ के कुछ गाँवों में वाटर लागिंग हो जाती है ।

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[हटा दिया गया ।]

भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र में बागों पर लगान बन्दी

*२७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भू-राजस्व शुद्धीकरण योजना (सी० एल० आर० डी० स्कीम) या अन्य आदेशों के अनुसार तहसील पुरवा खास तौर से भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव में बागात के कितने खातों पर हैसियत बाग खत्म हो जाने के कारण लगान बाँधा गया एवं इस प्रकार के कितने खातेदारों के आपत्ति करने पर बागातों पर बंधा लगान खारिज किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील पुरवा खास के भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र में भू-राजस्व शुद्धीकरण योजना के अन्तर्गत १,०९४ खातों पर, हैसियत बाग खतम हो जाने के कारण मालगुजारी निर्धारित की गई । इस प्रकार लगाई गई मालगुजारी के विरुद्ध ११ खातेदारों के आपत्ति करने पर, लगाई गई मालगुजारी खारिज की गई ।

*२८—श्री देवदत्त मिश्र—जिन अधिकारियों की गलती से नाजायज तौर से बागात पर लगान बाँधा गया उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की या करने पर कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक लेखपाल को, जिसने गलत रिपोर्ट पर बाग पर मालगुजारी बंधवाई थी, दंड दिया गया है ।

गाजीपुर जिले में शिक्षा संस्थाओं की कृषि भूमि

*२९—श्री झिलमिटराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं जहाँ कृषि की पढ़ाई होती है और उनके पास कितनी-कितनी जमीनें हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—कृषि वर्ग की शिक्षा के लिये इन्टर तथा हाई स्कूल कक्षा तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या क्रमशः ३ तथा ८ है । इनके पास उपलब्ध जमीन संबंधी सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५५४ पर ।)

*३०—श्री झिलमिटराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर के उन कालेजों में से प्रत्येक को अब तक कितना-कितना रुपया कृषि के लिये तथा बैल के लिये और दूसरे कार्यों के लिये दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५५४ पर ।)

गाजीपुर जिले में सिंचाई कुओं का निर्माण तथा चकबन्दी कार्य

*३१—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से १९६० तक गाजीपुर जिले में सिंचाई का कुंआ बनाने के लिये चकबन्दी विभाग द्वारा या उनके सिफारिश पर किन-किन लोगों को कुंआ बनाने के लिये रुपया दिया गया और उसमें कितने कुंयें अब तक बनकर तैयार हैं ? क्या सरकार इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर तहसील में चकबन्दी विभाग द्वारा कितने गाँव की चकबन्दी हुई है और किन-किन गाँवों की सड़कें बनाने में कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग द्वारा मार्च सन् १९६१-६२ के स्पेशल ड्राइव द्वारा कितने मुकदमें द्वारा अपील और निगरानी का फैसला हुआ और इन मुकदमों के फैसले की नकल कितने दिनों बाद जारी की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३४-३६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—[१३वें गुरुवार के लिए प्रश्न १४७-१४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३७-३८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—[हटा दिये गये ।]

सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स की सेवा समाप्ति का नोटिस

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगलदेव, (जिला आजमगढ़), श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के "Director of Education U. P." ने सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स की नौकरी समाप्त करने की नोटिस २३ जून, १९६२ को भेजी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—नोटिस २२-६-६२ को (न कि २३-६-६२ को) भेजी गई क्योंकि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों को नियुक्त करना था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर आउट हो जाने की जांच

*४०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एल०-एल० बी० तथा एम० एस० डब्ल्यू० (LL.B.,M.S.W.) के पर्चे परीक्षा सन् १९६२ के शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण मालूम हो गये ? यदि हाँ, तो किस प्रकार से यह कार्य हुआ और इस कार्य में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—पिछले वर्ष अर्द्धवार्षिक परीक्षा में ला (Law) के कुछ प्रश्न पत्र समय से पहले ज्ञात हो गये थे। इस मामले की जाँच सी० आई० डी० कर रही है। अभी तक कुल ८ अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया है। चूंकि अभी सी० आई० डी० द्वारा जाँच हो रही है अतः इसके अतिरिक्त अभी कुछ और बताना जनहित में उचित न होगा।

*४१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त परीक्षा के पर्चे परीक्षा शुरू होने के दो दिन पहिले साइक्लोस्टाइल्ड कर के ३५० रु० की कापियों के दर से बेचे गये ? यदि हाँ, तो सरकार ने रजिस्ट्रार आफिस के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की जिसकी लापरवाही से यह कार्य हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—सी० आई० डी० द्वारा जाँच हो रही है अभी और कुछ बताना जनहित में उचित न होगा।

*४२-४४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[१५वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५४-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४५-४६—श्री राजेन्द्रसिंह—[हटा दिये गये।]

लखनऊ के ऊपर से टिड्डी दल का गुजरना

*४७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत २६ जून को लखनऊ से टिड्डियों का लगभग ६ मील लम्बा झुंड गुजरा जिसने आम की फसल को अपार हानि पहुंचाई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त तिथि को ६ मील लम्बा और २ मील चौड़ा टिड्डियों का एक दल अपरान्ह ३·३० और ४·३० बजे के बीच लखनऊ शहर के ऊपर से गुजरा किन्तु इससे आम की फसल को कोई हानि नहीं पहुँची।

*४८—श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि पूर्व सूचना होने पर भी उनके मारने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टिड्डियों को मारने की उचित व्यवस्था थी किन्तु टिड्डियों का उक्त दल लखनऊ जिले में कहीं भी नहीं उतरा अतः उनके नष्ट करने का अवसर ही नहीं आया ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियुक्त समितियों की संस्तुतियां

*४९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सरकार द्वारा कुछ ऐसी कमेटियों का निर्माण किया गया था जिनको शिक्षा विभाग की वर्तमान व्यवस्था तथा उसको सुधारने के उपायों पर विचार करना था ? यदि हाँ, तो वह कौन-कौन कमेटियां थी ? तथा उन कमेटियों ने क्या अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ । निम्नलिखित कमेटियों का निर्माण हुआ था:

१—सेकेन्डरी एजूकेशन कमेटी ।

२—यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी ।

३—ग्रान्ट-इन-एड कमेटी ।

सेकेंडरी एजूकेशन कमेटी तथा यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

ग्रान्ट-इन-एड कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

*५०—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या उपरोक्त कमेटियों की रिपोर्टों पर सरकार ने विचार कर लिया है ? यदि हाँ, तो जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उस सम्बन्ध में विवरण देने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—ग्रान्ट-इन-एड कमेटी की संस्तुतियों पर अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः उसका विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५१—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षीय डिग्री कोर्स योजना को सरकार ने जब सिद्धांततः मान लिया है तो उसे अभी तक पूरे राज्य म लागू क्यों नहीं किया गया ?

आचार्य जुगल किशोर—तृवर्षीय डिग्री कोर्स व उससे संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिय शासन न एक समिति का निर्माण किया है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा ।

भूमिधर

*५२—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने भूमिधरों के खाते हैं और सनदें दी गई हैं ? क्या यह बात सही है कि इन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि ४० वर्षों तक लगान में वृद्धि न की जायगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने इस बचन का पालन करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसके एकत्रित हो जाने पर उत्तर दे दिया जायगा ।

जौनपुर के कुछ भाग की बाढ़ सुरक्षा

*५३—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि जौनपुर भी लखनऊ की भांति १९५५-५६ और ६० में भयानक बाढ़ का शिकार रहा है ? यदि हाँ, तो बाढ़ से बचाने का वह क्या उपाय सोच रहे है ?

श्री गिरधारीलाल—इन वर्षों में जौनपुर में बाढ़ का प्रकोप अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक था किन्तु जान-माल की क्षति की दृष्टि से इसकी भयानकता की तुलना लखनऊ की बाढ़ से नहीं की जा सकती। जौनपुर नगर को बाढ़ से बचाने की कोई बड़ी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। केवल मोहल्ला मियांपुर और हनुमान घाट की बाढ़ से रक्षा का प्रश्न विचाराधीन है।

*५४-५६—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की माल अदालतों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का सुझाव

*५७—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री जी कृपा करके यह बतावेंगे कि आजमगढ़ जिले की माल अदालतों में कितने पेशकार अहलमद इत्यादि ऐसे हैं जिनका घर उसी तहसील में है जहाँ वे कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चार।

*५८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने तहसील से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश देगी ताकि न्याय सुचारु रूप से जनता को मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती क्योंकि न्याय मिलने में वे बाधक नहीं हो सकते।

*५९—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री जी यह बता सकते हैं कि परगना हाकिम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तथा तहसीलदारों की अदालतों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने इजाजत दिया है कि वे व्यक्तिगत मुहर्रिर रखकर काम लें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई है।

देवरिया जिले में बाढ़-पीड़ित छात्रों को सहायता

*६०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बतायेगी कि १९६१-६२ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त छात्रों की सहायता के लिये देवरिया जनपद में कितना रुपया दिया गया और किन-किन विद्यालयों को कितनी धनराशि दी गई जिसे विद्यालयों ने छात्रों में वितरित किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६१-६२ की बाढ़ से क्षति ग्रस्त छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के हेतु जिलाधीश देवरिया को २०,००० रु० की धनराशि दी गयी थी। विद्यालयों की सूची तथा उनको छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में दिखा दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ५५५-५५९ पर।)

*६१—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों को रुपया मिला मगर उन्होंने छात्रों को नहीं दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रकार की कोई भी शिकायत जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई।

*६२-६४—श्री चन्द्रबली—[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ६२-६५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में नार्मल स्कूल के लिए गनेशपुर बिल्डिंग का क्रय

*६५—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी में नार्मल स्कूल के भवन के लिये रामनगर पैलेस को क्रय करने का उसका इरादा था और उसके लिये राजकोष से धन निकाल लिया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ ।

*६६—श्री शिवदानसिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त बिल्डिंग को न खरीद कर उसके बजाय गनेशपुर बिल्डिंग तथा उसका आहता बिना पी०डब्लू०डी० व कलेक्टर के मूल्यांकन कराये क्रय की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, गनेशपुर बिल्डिंग क्रय की गई । इसका पी०डब्लू० डी० द्वारा मूल्यांकन करा लिया गया था ।

*६७—श्री शिवदानसिंह—उपरोक्त बिल्डिंग की कीमत किस प्रकार और किस के द्वारा निर्धारित की गई ? क्या इस प्रकार क्रय किये जाने के विरोध में ए०जी०, यू०पी० ने भी कोई आपत्ति की है ?

आचार्य जुगलकिशोर—गनेशपुर बिल्डिंग की कीमत पी०डब्लू०डी० द्वारा निर्धारित की गई थी । ए०जी०, यू०पी० ने इस सम्बन्ध में जो आपत्ति की थी उसका समाधान किया जा चुका है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चपरासियों का प्रावीडेंट फण्ड

*६८—श्री विशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के चपरासियों का Provident Fund काटने की कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ । ऐसी व्यवस्था इंटरमीडियट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६. बी के अन्तर्गत बनाये गये विनियम ७७ में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*६९-७१—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७२—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*७३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन तथा भत्ता मिलाकर इन्हीं स्कूलों के चपरासियों के वेतन और भत्ते से कम मिलता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी विभाग, आजमगढ़ में हरिजन

*७४—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबंदी विभाग, आजमगढ़ में कुल कितने सी० ओ०, ए० सी० ओ०, क्लर्क, अमीन, चपरासी रक्खे गये ? उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय चकबंदी विभाग आजमगढ़ में ४ सी० ओ०, २२ ए० सी०ओ०, ३९ क्लर्क, १५९ अमीन तथा ९९ चपरासी हैं जिनमें हरिजनों की संख्या क्रमशः शून्य, शन्य, २,५, व १३ है।

माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन

*७५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माडेल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के वेतन-क्रम तीन प्रकार के हैं ? यदि हाँ, तो उसके कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ। १२०-३०० रु० का वेतन क्रम वाराणसी, मुजफ्फरनगर, लखनऊ तथा इलाहाबाद के उच्च स्तर के राजकीय माडेल स्कूल के प्रधानाध्यापक को दिया जाता है। ७५-२०० रु० का वेतन क्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले गये राजकीय माडेल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को दिया जाता है। ७५-१३० रु० का वेतन क्रम पुराने राजकीय माडेल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को दिया जाता है।

*७६—श्री दयाराम शाक्य—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने हाईस्कूल बी०टी०सी० तथा हाई स्कूल एच०टी०सी० माडेल स्कूलों के अध्यापकों का जे०टी०सी० ग्रेड करने का आश्वासन दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, विचार करने का आश्वासन दिया था। उस पर विचार किया जा रहा है।

*७७—श्री दयाराम शाक्य—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह आवश्यक है कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के परीक्षक एस० डी० आई० प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल अथवा माडेल स्कूल ही बनाये जावें और सहायक अध्यापक कितना भी योग्य क्यों न हो वह वंचित रखा जावे ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। योग्य सहायक अध्यापकों को परीक्षक नियुक्त होने से वंचित रखने का कोई आदेश नहीं है।

*७८—श्री भगवानदास (जिला मिर्जापुर)—[हटा दिया गया।]

मड़ियाहूं तहसील में मालगुजारी के बकायादार

*७९—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री शारदानन्द—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में किन लोगों के ऊपर मालगुजारी की २०० रु० से अधिक की रकम पिछले ३ वर्षों से वसूल नहीं हो पाई है और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में आठ व्यक्तियों के ऊपर पिछले तीन वर्षों से २०० रु० से अधिक की मालगुजारी की रकम वसूल नहीं हो पाई है। दो खातों में वसूली इसलिये न हो पाई कि वे कस्टूडियन, इवैक्यू प्रापर्टी के थे तथा इनके बारे में कस्टूडियन से लिखा पढ़ी चल रही है। तीन खातों में मुकदमा चल रहा है तथा कोई निर्णय नहीं हुआ, अन्य तीन खातों पर वसूली के लिये वैधानिक कार्यवाही जारी है।

*८०—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री शारदानन्द—क्या राजस्व मंत्री उन व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार है।

नाम	ग्राम
१—श्री राम चन्द्र व धरम चन्द्र	रामपुर खास
२—श्री नरेन्द्र बहादुर	आलमगंज पटरखौली
३—श्री दीपनरायन	अवरेला
४—श्री राम मनोहर	परेवा
५—श्री शाह मुहम्मद हाशमी	रिकेबीपुर
६—श्रीमती फातमा बीबी	काजीपुर
७—श्री राजबहादुर	निगोह
८—श्री रामबहादुर	निगोह

दहगवां ब्लाक में टिड्डी आक्रमण

*८१—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाक दहगवां में किस-किस स्थान पर टिड्डियों ने आक्रमण किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दहगवां ब्लाक के ८ ग्राम, जिनके नाम सुजावली, बैरपुर, नासिरपुर ठप्पा अलसई, रामपुर सेहरा, सद्दरपुर मलसई, भवानीपुर तथा अमनपुर हैं, टिड्डियों के आक्रमण से प्रभावित हुये।

बस्ती जिले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*८२—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि जिला बस्ती में १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को नौकरी से अलग होने की नोटिस मिली है और कितने अलग किये गये ?

श्री गिरधारीलाल—कोई नहीं।

*८३—श्री रणबहादुरसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में किसी ओवरसियर ने निजी काम न करने पर मेट को जूते से मारा और नौकरी से अलग कर दिया और इसकी शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*८४-८६—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८७—श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—[१०वें मंगलवार के लिये प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर में गोमती पर नये पुल की आवश्यकता

*८८—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने बढ़ती हुई आबादी को तथा यातायात की दिक्कतों को देखते हुये जौनपुर शहर में गोमती नदी पर दूसरे पुल के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो वह योजना कितने दिनों में कार्यान्वित की जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है।

बी० टी० सी० तथा एच० टी० सी० अध्यापक

*८९—श्री सहदेवसिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हाई स्कूल पास बी०टी० सी० व एच०टी०सी० अध्यापकों को, जिनकी सेवायें १९५७ तक पाँच वर्ष की हो चुकी हैं, जे०टी० सी० का ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*९०—श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिक्षा विभाग ने जनवरी, १९६२ में एक परि-पत्र भेजकर इस संबंध में अध्यापकों के नाम प्रत्येक जिले से माँगे थे ? यदि हाँ, तो जो नाम प्राप्त हुये उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—संबंधित सूचना दिसम्बर, १९६१ में न कि जनवरी, १९६२ में मंगाई गई थी । किन्तु वह माडेल स्कूलों के अध्यापकों के बारे में थी । साथ ही यह देखने के लिये कि वेतन में संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिला परिषदों के अध्यापकों की भी सूची माँगी गई थी ।

*९१—श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि वह उन अध्यापकों को जो जिला परिषदों के अधीन कार्य कर रहे हैं चिकित्सा की सुविधायें प्रदान किये जाने पर विचार कर रहे हैं और क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उनके बच्चों की फीस माफ करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं ।

गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज, एवं गवर्नमेंट इण्टर कालेज, फतेहगढ़

*९२—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, फतेहगढ़ में कक्षा ७ और ८ के लिये कला का विषय क्यों समाप्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो आर्ट टीचर की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—कक्षा ८ में अभी तक कला विषय पढ़ाया जाता है । उसको बन्द नहीं किया गया । कक्षा ६ और ७ में जूनियर हाई स्कूल पाठ्यक्रम के अनुसार गृह शिल्प के साथ संबंधित कला पढ़ाना अनिवार्य है । अतएव बालिकाओं को संबंधित कला दी गई है । दो वैकल्पिक विषयों में एक तो बालिकाओं ने अंग्रेजी ली है तथा दूसरे के लिये बालिकायें संस्कृत तथा संगीत में एक विषय ले सकती हैं ।

*९३—श्री पातीराम अहरवार—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट इन्टर कालेज, फतेहगढ़, कक्षा ११ साइंस ग्रुप में इसी कालेज के कक्षा १० से उत्तीर्ण एवं कक्षा ११ में अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया और इनकी जगह कितने बाहर के विद्यार्थियों को लिया गया ? न लिये जाने वाले और लिये जाने वाले विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थी हैं ? क्या सरकार कालेज के विद्यार्थियो के दाखिले के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का प्रतिपादन करने की कृपा करेगी कि जिससे यह अव्यवस्था दूर हो जावे ?

आचार्य जुगलकिशोर—गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, फतेहगढ़, के कक्षा ११ में अनुत्तीर्ण तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण सभी छात्र तथा परिगणित जाति के जितने छात्र प्रवेश हेतु आये, भर्ती कर लिये गये । प्रवेश संबंधी कोई अव्यवस्था नहीं है ।

*९४-९५—श्री काशीनाथ मिश्र—[हटा दिये गये ।]

सांडी–अल्लागंज सड़क

*९६—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सांडी से हरपालपुर होकर अल्लागंज तक सरकार द्वारा निर्माण की जाने वाली सड़क के संबंध में इस आशय के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि उस सड़क के सिल में नदी के पास पानी का बहाव रुक जाने के कारण कटियारी परगने के बहुत से गाँवों का बरसात में पानी से टूट जाने का भय है ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। ऐसा कोई पत्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है।

राप्ती नदी पर सिसई का पुल

*९७—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राप्ती नदी पर सिसई का पुल बनने से एक ओर कटान अधिक हो रही है जिससे कई गाँव कट जाने का अन्देशा है ? इसको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार के पास उस ओर उत्तर तरफ एक पावा बनवाने एवं गाँव की ओर बन्धा बनवाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसके संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। ऐसा कोई अन्देशा नहीं है और किसी अन्य पावा को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पत्र इस संबंध में सरकार के पास आया था और पत्र आवेदकों को उचित उत्तर भेज दिया गया है।

मलवली ग्राम का बांध

*९८—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—क्या सरकार को यह सूचना है कि टेस्ट वर्क द्वारा एक बाँध गोरखपुर जिला अन्तर्गत तहसील बाँसगाँव के ग्राम मलवली तक निर्माण किया गया था, वह कई जगहों से कट गया है और अधूरा पड़ा है जिसकी वजह से नदी एक नई धारा बनाती जा रही है और बसावनपुर तथा भरवलिया ग्राम को खतरा उत्पन्न हो गया है ? इन ग्रामों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हाँ, उक्त बाँध कई जगह कट गया है तथा अपूर्ण भी है। नदी की एक पुरानी धारा जो अब तक बन्द थी गत वर्ष एवं इस वर्ष से रोहिणी एवं नारायणी के पानी के राप्ती में वेग से आने के कारण अब पुनः चालू हो रही है। वसावनपुर एवं भरवलिया ग्रामों को क्षति पहुंची है। ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु नावों की व्यवस्था कर दी गई है। जिनके घर कटे हैं उन्हें उसी ग्राम में ऊंची जगहों पर हटा दिया गया है।

सहारनपुर बाढ़ सुरक्षा योजना

*९९—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इमोला नदी जो सहारनपुर नगर के मोहल्ला नुमाइपुरकैम्प को हर साल बरसात के दिनों में खतरा बन जाती है उससे बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री गिरधारीलाल—सहारनपुर नगर के मुहल्ला नुमाइपुरकैम्प को इमोला नदी पर बाढ़ से बचाने की एक योजना बनाई जा रही है जिसके स्वीकृत हो जाने पर काम आरम्भ किया जायगा।

*१००—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि पिछले १० साल में प्रति साल बरसात के दिनों में उस कार्य में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई और इस स्थान पर पक्की पटरी बनाने से क्या नदी का खतरा सदा के लिये टल सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल—(क) आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है।

(ख) प्रस्तावित योजना कार्यान्वित होने पर नुमाइपुर कैम्प के बाढ़ से बचने की पूरी संभावना है।

(देखिये नत्थी 'ञ', आगे पृष्ठ ५६० पर)

*१०१-१०२—श्री चन्द्रबली—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

टैक्स न बढ़ाने का मांग पत्र

*१०३—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मुख्य मंत्री को "टैक्स को न बढ़ाया जाय" के संबंध में किसी राजनैतिक संस्था ने हाल में कोई पत्रक भेजा है? यदि हाँ, तो वह क्या है?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—माँग पत्र, जिसके विषय में प्रश्न संख्या ४ व ५ दिनाँक १० अगस्त, १९६२ के उत्तर में बताया जा चुका है, के अलावा और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री चन्द्रबली—[हटा दिया गया।]

२—श्री चन्द्रबली—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

साधु विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं में प्रार्थना व राष्ट्रीय गान

३—श्री चन्द्रबली—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश, हरिद्वार में साधुओं के लिये कोई विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

४—श्री चन्द्रबली—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश भर में सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल, कालेजों में पढ़ाई प्रारम्भ होने के पूर्व प्रार्थना पाठ का आदेश दे रखा है? यदि हाँ, तो धर्म निरपेक्ष राज्य में प्रार्थना जो जनता का अपना विषय है कराने का क्या कारण है? यदि नहीं, तो इन स्कूल, कालेजों में होने वाली प्रार्थनायें क्यों नहीं रोकी जा रही हैं? क्या उचित होगा कि प्रार्थना के स्थान पर राष्ट्रीय गान रखे जायं?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा संहिता की धारा ८३(२) के अनुसार प्रदेश की सभी शिक्षा संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के अतिरिक्त, पढ़ाई प्रारम्भ करने के पूर्व प्रति दिन सभी धर्मों की आकाँक्षाओं को सम्मिलित करती हुई प्रधानाध्यापक द्वारा चुनी गई कोई प्रार्थना करने का प्राविधान रखा गया है। शिक्षा संस्थाओं में धर्म विशेष संबंधी प्रार्थना कराने के कोई आदेश नहीं हैं। वर्तमान शिक्षा सत्र से सभी शिक्षा संस्थाओं में प्रति दिन पठन-पाठन कार्य शुरू करने के पूर्व राष्ट्रीय गान गाने के आदेश भी दिये गये हैं।

५—श्री चन्द्रबली—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले भजन के कार्य-क्रम होते हैं? यदि हाँ, तो धर्म-निर्पेक्षता के लिये क्या इस कार्य-क्रम को समाप्त करने के लिये सरकार सोच रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—रेडियो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित होते हैं। प्रदेशीय सरकार उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

६-१०—श्री शिवदानसिंह—[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ३०-३४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

बेसिक पुस्तकें

११—श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अपनी ओर से बेसिक पुस्तकें तथा अध्यापकों के लिये हैण्ड बुक छपवाई हैं तथा उनक मूल्य क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार ने अपनी ओर से बेसिक पुस्तकें छपवाई हैं, जिनके मूल्य संलग्न तालिका में अंकित हैं। अध्यापकों के लिये हैण्ड बुक अभी नहीं छपवाई है।

(देखिये नत्थी 'ट', आगे पृष्ठ ५६१–५६२ पर।)

आजमगढ़-फैजाबाद सड़क पर श्री अच्छेलाल का मकान

१२—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-फैजाबाद रोड के मील नं० ८३, फर्लांग नं० ५ पर सड़क के दक्षिण तरफ विभाग की जो भूमि है उस पर किस का मकान बनवाया गया है और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—श्री अच्छेलाल का मकान सड़क के दाहिनी तरफ बना है। यह मकान उन्होंने जिलाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद निर्माण कराया।

१३—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जमीन पर जिसका मकान बना है और शेष पर जो बन रहा है उसके बदले में उक्त व्यक्ति से सरकार ने कुछ धन लिया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

१४—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि उक्त जमीन पर से एक निहायत गरीब आदमी की झोपड़ी उजाड़ कर और एक मालदार आदमी को मकान खड़ा करने की अनुमति दी गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार को कोई सूचना नहीं है।

१५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

१६–१८—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

१९—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में सीलिंग कानून द्वारा तहसील निघासन, लखीमपुर तथा मुहम्मदी में क्रमशः कितनी-कितनी भूमि सरकार को प्राप्त हुई है और उसका वितरण किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी प्राप्त नहीं हुई। वितरण के नियम बने हुये हैं।

२०—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सीलिंग कानून लागू होने के समय से जो भूमि बड़े-बड़े फार्म वालों ने बेंच ली है और अब उस पर दूसरे काश्तकार काबिज हैं, उस जमीन के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कोई मामला अब तक नहीं आया है।

२१–२३—श्री श्यामलाल—[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

२४–२५—श्री श्यामलाल—[२८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

२६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१२वें मंगलवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राप्ती पुल में हांसूपुर की जमीन

२७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिकर एवार्ड ग्राम हाँसूपुर, जिला गोरखपुर, राप्ती पुल संबंधी लैण्ड एक्वीजीशन अफसर द्वारा तैयार किया गया है उसकी जाँच मौका लैण्ड एक्वीजीशन अफसर द्वारा कर ली गई है ? यदि हाँ, तो कितने काश्तकारान असल पाये गये तथा कितने काश्तकारान काबिज पाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ । १५ काश्तकारान असल पाये गये तथा ८ काश्तकारान काबिज पाये गये ।

करवी–इलाहाबाद सड़क के वृक्ष

२८—श्री मतोलासिंह—क्या पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से एक पक्की सड़क करवी से इलाहाबाद को निर्माण कराई गई है, उस पर सड़क के किनारे-किनारे गढ़े खोदे जाकर वृक्ष लगाये गये थे परन्तु भौरी ग्राम के पास कुछ वृक्ष जीवित पाये गये किन्तु वह भी सुरक्षित नहीं हैं ? ग्राम भौरी से इलाहाबाद की ओर वृक्ष लगाने के चिन्ह मात्र हैं कोई हरा नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ ।

२९—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लगाये वृक्षों की सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गढ़ों की खुदाई व वृक्ष लगाने में सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—सुरक्षा का प्रबन्ध है, वृक्षों की देखरेख मालियों द्वारा की जाती है । गढ़ों की खुदाई में १०,००० रुपये तथा खाद और पौधों को मंगाने में ५,००० रुपये व्यय हुए ।

३०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि लगाये गये वृक्षों के सूखने की जिम्मेदारी किस पर थी और बाद जाँच सरकार कौन-सा कदम उठाने की सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—पानी की कमी से तथा मिट्टी उपयुक्त न होने के कारण वृक्षों के सूख जाने के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराना सम्भव नहीं है । अतः इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं मालूम होती ।

दहगवां ग्राम समाज की भूमि

३१—श्री उल्फतसिंह—प्रश्न संख्या १०९–११०, १ जून, १९६२ के उत्तर के प्रसंग में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम समाज के तथा ब्लाक के प्रधान वही महोदय हैं जिनके पास उक्त आराजी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गाँव समाज के प्रधान श्री अशर्फीलाल तथा ब्लाक के प्रमुख श्री बाँके लाल हैं । कथित आराजी सर्वश्री अशर्फीलाल, बाँकेलाल एवं गनेशीलाल के पास है ।

३२—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब कि १०० रु० पर भूमि लेने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये फिर भी ५० रु० पर ग्राम समाज के प्रधान ने स्वयं अपने ही नाम भूमि क्यों ले ली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त भूमि ५० रुपया सालाना पर गाँव समाज के प्रस्ताव के अनुसार दी गई थी। इसके विरुद्ध की गई उज्रदारी समय के उपरान्त थी, अतएव अस्वीकृत कर दी गई।

३३—श्री उल्फतसह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि सर्वश्री अशर्फीलाल, बांकेलाल, गनेशीलाल के पास गत कितने दिनों से है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमींदारी विनाश के पूर्व से।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक से बाढ़-पीड़ितों को सहायता

३४—श्री रामायण राय—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी गंडक की बाढ़ से जुलाई सन् १९६२ में देवरिया जिले में कितने धन-जन की हानि हुई है और कितनी भूमि प्रभावित हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जुलाई, १९६२ में बड़ी गंडक की बाढ़ से जिला देवरिया में कुल ५१,९८१ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। फसलों को रुपये में लगभग ६० नये पैसे से ७० नये पैसे तक की हानि का अनुमान है। मकानों को लगभग ५,००५ रु० की अनुमानित क्षति पहुंची। उक्त अवधि में कोई जन व पशु हानि नहीं हुई।

३५—श्री रामायण राय—क्या राजस्व मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त किसानों को अब तक क्या-क्या सहायता पहुंचाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील पडरौना के १३६ बाढ़ग्रस्त परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और बसाया गया तथा ६३५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। तहसील हाटा में भी बाढ़ पीड़ित जनता को हटाया गया और लगभग ३० मन गल्ला सहायतार्थ बांटा गया।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में बाढ़ से क्षति

३६—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-देवरिया जिले के कितने गांव राप्ती, नारायनी, घाघरा, रोहिन आदि नदियों की बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और कितना नुकसान फसल, जानवर तथा आदमियों का हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ ५६३ पर)

३७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों के कितने गांव नारायनी, राप्ती तथा रोहिन की बाढ़ से प्रभावित हैं तथा यह बाढ़ अबकी साल कब आई और पिछले साल कब आई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोरखपुर जिले की महराजगंज व फरेंदा तहसीलों में रोहिणी नदी में इस वर्ष पहली बार बाढ़ २९ जून, १९६२ को आई थी जिससे २४५ गांव प्रभावित हुये थे। दूसरी बार नारायणी, राप्ती व रोहिणी नदियों में बाढ़ ३ अगस्त, ६२ को आई जिससे ५१८ गांव प्रभावित हुये। गत वर्ष बाढ़ ५ अगस्त, १९६१ को आई थी।

गंडक कंट्रोल बोर्ड की नैपाल बांध योजना

३८—श्री चन्द्रबली—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जुलाई, १९६२ में नारायणी की बाढ़ एवं उसी की बाढ़ के पानी के रोहणी और छोटी गंडक क्षेत्र में चले जाने से देवरिया और गोरखपुर जिले के किन-किन गांवों की कितने-कितने एकड़ फसल का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कथित आपदा से जिला देवरिया और गोरखपुर में क्रमशः १७६ और २४४ ग्राम प्रभावित हुये हैं। गांवों के नामों की सूची अधिक बड़ी होने के कारण उसको सदन में पढ़ना या छपवा कर प्रस्तुत करना कठिन है। अतः ग्रामों की यह सूची तथा जिला देवरिया के ग्रामवार प्रभावित क्षेत्रों के रकबे का विवरण कार्यालय में देखे जा सकते हैं। गोरखपुर जिले के संबंधित ग्रामों में तब से बराबर पानी भरा हुआ है जिसके कारण उन ग्रामों का क्षतिग्रस्त रकबा बताना अभी सम्भव नहीं है।

३९—श्री चन्द्रबली—क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि नारायणी के बाढ़ के पानी को रोहिणी और छोटी गंडक में जाने देने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस संबंध में नैपाल बांध की योजना गंडक कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। नैपाल सरकार से इस योजना को स्वीकार करने तथा निर्माण के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रार्थना की गयी है। अभी तक नैपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी है।

सगड़ी परगना में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत

४०—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज, फुलवारी, गयास तथा बड़ोखर, परगना सगड़ी, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत १९५२ में जमींदारी उन्मूलन के समय कितनी ग्राम समाज के पास भूमि थी और इस समय कितनी भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भूमि के आंकड़े क्रमशः ९०.६८ और ६८.३८ एकड़ हैं।

४१—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम समाज के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने कुछ भूमि अपने या अपने परिवार के नाम लिखवा ली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल अंशतः। कुछ भूमि पर प्रधान का कब्जा दर्ज है।

४२—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त ग्राम समाज के चेयरमैन एवं वाइस-चेयरमैन ने दूसरे ग्राम के लोगों के साथ भूमि का इन्तजाम कर दिया है जबकि इस गांव समाज के विशेष लोग भूमिहीन एवं कम जोत के लोग हैं ? यदि हां, तो जो जमीन उठी है उसकी धनराशि कब-कब कितनी-कितनी गांव समाज कोष में अंकित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

४३—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून के अंतिम सप्ताह में श्री भरथ राय, ग्राम फुलवारी, पो० बनकट, जिला आजमगढ़, ने ग्राम समाज फुलवारी गयास की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और उसकी क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ था। इसकी जांच कानूनगो द्वारा की गई। उन्होंने लोगों के ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लेने की रिपोर्ट दी।

४४—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम समाज, फुलवारी गयास की बहुत-सी भूमि को प्रधान एवं उप-प्रधान, लेखपाल एवं कानूनगो ने दूसरों से नजराना लेकर जोतने को दे दी है? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

४५—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि फुलवारी गयास गांव समाज के अन्तर्गत अधिक लोग भूमिहीन होने पर भी इस गांव समाज के बंजर, परती वाली जमीन भूमिहीन लोगों को न मिल कर दूसरे गांव समाज के आदमियों के उपभोग में आ रही है? यदि हां, तो सरकार ने उसके विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा के अप्रशिक्षित अध्यापक

४६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा, में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या और उनकी शिक्षा योग्यता अलग-अलग क्या है?

आचार्य जुगल किशोर—यह सूचना संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'ड', आगे पृष्ठ ५६४ पर)

४७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, गोंडा जिला में दो नार्मल स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त प्लान में ५ नार्मल स्कूल प्रति वर्ष प्रदेश में खोलने का प्राविधान है।

देवरिया जिले में सड़क निर्माण योजना

४८—श्री रामायण राय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को पक्की करने की योजना है?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ढ", आगे पृष्ठ ५६५ पर)

४९—श्री रामायण राय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बघउचघाट से फाजिलनगर, नरायनपुर से बनघटा बाजार तक तथा फाजिल-नगर से कठकुइयाँ तक और कशया से सपहा कोठी होते हुये तमकुही रोड तक सड़क कब तक पक्की हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—इन सड़कों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

५०—श्री रामायण राय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कशया से फाजिलनगर होते हुये जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग निर्मित होने वाला था उसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—सड़क पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

पचखोरा ग्राम में श्री उदयभान राय की विधवा की सम्पत्ति

५१—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़, तहसील व परगना सगड़ी के ग्राम पचखोरा निवासी, स्वर्गीय उदयभान राय की विधवा की मृत्यु के बाद उनकी भूमि सम्पत्ति किन-किन ग्राम सभाओं को कितनी-कितनी बंटी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

५२—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त विधवा के मरने के बाद उसकी भूमि, सम्पति और बाग की कितनी सालाना आय किस-किस ग्राम समाज के कोष में जमा हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

५३—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि पचखोरा ग्राम समाज के अन्तर्गत रोसड़ ग्राम में सन् १९५२ में ग्राम समाज या ग्राम पंचायत के अधिकार में कितनी भू-सम्पत्ति रही है और आज कल कितनी है और कितने का किस नियम के अनुसार वितरण किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोंडा जिला परिषद् के अन्तर्गत अध्यापक तथा जूनियर हाई स्कूल

५४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना बनी है और किन स्थानों पर ?

आचार्य जुगलकिशोर—बालिकाओं का एक जूनियर हाई स्कूल मसकिनवा में तथा बालकों का एक जूनियर हाई स्कूल उतरौला में खोलना प्रस्तावित है।

५५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशाला में कितने अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं ? उनमें कितने ट्रेण्ड हैं और कितने अनट्रेण्ड हैं और अनट्रेण्ड अध्यापकों को ट्रेण्ड कराने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—कुल अध्यापकों की संख्या २,४७४ है। इनमें १,३१३ ट्रेण्ड तथा १,१६१ अनट्रेण्ड हैं। अनट्रेंड अध्यापकों को ट्रेण्ड कराने हेतु दो राजकीय दीक्षा विद्यालय वहाँ चल रहे हैं।

बेसिक ट्रेनिंग कालेज, बनारस में हरिजन छात्राध्यापक

५६—श्री रामसमझावन—(जिला जौनपुर) क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, बनारस में कितने छात्राध्यापकों का चुनाव सन् १९६२-६३ के लिये हुआ है और उनमें कितने हरिजन छात्राध्यापक लिये गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६२-६३ सत्र के लिये राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, बनारस में ३८ छात्राध्यापकों का चुनाव हुआ तथा इनमें ३ हरिजन छात्राध्यापक चुने गये।

रिटायर्ड नायब तहसीलदारों की पेन्शन

५७—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने नायब तहसीलदार ३१ दिसम्बर, १९६१ को नौकरी से रिटायर हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो।

५८—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त रिटायर्ड नायब तहसीलदारों में से कितनों को सरकारी पेंशन प्रति माह मिलना आरम्भ हो गई है और G.P. तथा C.P. फंड के धन की प्राप्ति हो चुकी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—किसी को भी पेंशन मिलना आरम्भ नहीं हुआ है। जी०पी० तथा सी०पी० पी० फंड के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५९—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन उपरोक्त रिटायर्ड कर्मचारियों को कथित पेंशन तथा फण्ड अभी तक मिलना आरम्भ नहीं हुआ है इसके विलम्ब का क्या कारण है और सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पेंशन मिलने में विलम्ब का कारण इनके पेंशन कागजात की दुरुस्ती का न होना है। एक यह भी कारण है कि महालेखापाल के कार्यालय में पेंशन का कार्य साधारणतः रुका रहा क्योंकि नये पेंशन अधिनियम बन रहे थे और उनके बन जाने पर उनका अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा १३ अगस्त, १९६२ तक स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। यह तिथि अब १३ अक्टूबर १९६२ तक बढ़ा दी गई है। मामले को शीघ्र निपटाने के हेतु राजस्व परिषद् ने संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वे इन लोगों के पेंशन कागजात दुरुस्त करें ताकि पेंशन बिना किसी विलम्ब के स्वीकृत की जा सके। जी०पी० तथा सी०पी० पी० फंड के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बेला ग्राम की स्थिति

६०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि ग्राम बेला जो जमुना नदी की सीमा के कारण पहिले पंजाब में था अब परगना दनकौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, में लिये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आये हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

उपविद्यालय निरीक्षकों की सेवा समाप्ति

६१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग ने उन सभी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया था जिनका सेवा-काल इस पद पर कार्य करने का तीन वर्ष या उससे अधिक था ?

६२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीन वर्ष की अवधि की गणना कब से और किस तिथि से की गई ?

६३—क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग २८५ प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं जो कई वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे ? उनके स्थान पर लोक सेवा आयोग द्वारा नये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है और विभाग में कार्य करने वाले बहुत ही कम अस्थायी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को चुना गया है जब कि विज्ञापन के अनसार ऐसे प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर के राजघाट पर पुलिस की तैनाती

६४—श्री चन्द्रबली—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १७ व १८ जुलाई को राप्ती के बढ़े पानी में गोरखपुर के राजघाट पर क्रम से दो जानें गयी हैं? यदि हाँ, तो एहतियात की क्या-क्या कार्यवाहियाँ हुईं ?

श्री गिरधारीलाल—दिनाँक १७ जुलाई को केवल एक स्त्री ने नदी में कूद कर जान दे दी। इस दुर्घटना के बाद जिलाधीश ने आदेश दिया कि ७ बजे शाम से ५ बजे सुबह तक कोई नाव नहीं चलेगी, घाट पर दोनों ओर पुलिस लगाई जायेगी और विद्यार्थियों की भीड़ को नियमित करने के लिये स्कूल व कालिजों के Proctorial Staff भी घाट पर रहेंगे।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन

६५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल सन् १९४७ को अथवा उसके पश्चात् राजकीय आदर्श विद्यालयों में नियुक्त होने वाले सभी सहायक अध्यापकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जा रही है अथवा नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, प्रदान की जा रही है।

६६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३० जून सन् १९६२ को राजकीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने वाले राजकीय आदर्श विद्यालयों के कितने ऐसे सहायक अध्यापक हैं कि जिनका अभी तक वेतन निर्धारित नहीं हो सका है ?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल दो।

बलिया जिले में चकबन्दी

६७—श्री मैनेजरसिंह—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में चकबन्दी कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बलिया जिले में अभी केवल सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य हो रहा है। इस तहसील के कुल ८५८ गाँवों में से ५१९ गाँव ही चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं। पड़ताल का कार्य सब गाँवों में पूर्ण हो चुका है। २८९ गाँवों में सब विवादग्रस्त वादों का निपटारा हो चुका है, २३६ गाँवों में चकों का पुष्टिकरण किया जा चुका है तथा ५५ गाँवों में नये भू-लेख तैयार किये जा चुके हैं।

६८—श्री मैनेजरसिंह—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के किन-किन गाँवों में चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है और उन गाँवों में कितनी-कितनी भूमि किन-किन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निकाली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बलिया जिले के किसी भी गाँव में चकबन्दी का कार्य अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है।

६९—श्री मैनेजरसिंह—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के किन-किन गाँवों में दुबारा चक काटने का आदेश हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—बलिया जिले के जिन गाँवों में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक काटे जाने के बाद दुबारा चक काटने का आदेश चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं:

१—मुहम्मदपुर
२—दुघैला
३—हरखपुरा
४—गोविन्दपुर
५—टेगरही
६—सूरजभानपुर
७—हृदयपुर
८—भोजापुर।

उजियार घाट का प्रबन्ध

७०—**श्री मैनेजरसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उजियार घाट का प्रबन्ध तथा वसूली विभाग के हाथ आने के समय से अब तक प्रति वर्ष क्या आय और व्यय हुआ है और प्रति वर्ष जिला परिषद्, बलिया को कितना धन दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—वाँछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण', आगे पृष्ठ ५६६ पर)

७१—**श्री मैनेजरसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय औसत आमदनी से २५ प्रति शत अधिक आय तथा रख-रखाव के व्यय में २५ प्रतिशत कमी की शर्त पर उजियार घाट के ठेके के लिये किसी व्यक्ति ने आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ।

पौड़ी गर्ल्स हाई स्कूल

७२—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी, जिला गढ़वाल, के लिये गर्ल्स हाई स्कूल कब मंजूर हुआ, कब उसके लिये इमारत के लिये जमीन खरीदी गई और कब से उस हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और किस इमारत में ?

आचार्य जुगलकिशोर—पौड़ी, जिला गढ़वाल के लिये गर्ल्स हाई स्कूल सन् १९४८ से मंजूर हुआ। इमारत के लिये जमीन सन् १९४७ में अध्याप्त की गई। श्री शंकर प्रसाद काला की इमारत में किराये पर सन् १९४९ से नवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई।

७३—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर**—क्या उक्त कन्या पाठशाला भवन का निर्माण होना शुरू होगा ? यदि नहीं, तो किस कारण और कब भवन निर्माण शुरू होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ। मुख्य अभियन्ता से टेक्निकल सैंक्शन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जायगा।

जौनपुर जिले की संस्कृत पाठशालायें

७४—**श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में स्नातक स्तर की कितनी और कहाँ-कहाँ संस्कृत पाठशालायें हैं और उनमें कितने अध्यापक और विद्यार्थी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त', आगे पृष्ठ ५६७ पर)

७५—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—उक्त प्रत्येक पाठशाला को राजकीय अनुदान कितना और किस आधार पर मिलता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा संहिता की धारा ३२१ (३) के अनुसार संलग्न सूचीवत् ।

(देखिये नत्थी 'त', आगे पृष्ठ ५६७ पर)

७६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्राचार्यों का वेतन-क्रम क्या है ? क्या इन्हें पी० एफ० (Provident Fund) की सुविधा प्राप्त है ?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल आदर्श पाठशालाओं में अध्यापकों का वेतन ७५ रु० तथा प्रधानाध्यापक का १२० रु० मासिक है । पी० एफ० (Provident Fund) की सुविधा प्राप्त नहीं है ।

कान्सट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों की वेतन वृद्धि

७७—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ तक सेवा कार्य में आ गये कितने Constructive L. T. अध्यापकों को दो Advance Increments मिल चुके हैं और कितनों को एक और कितनों से चुकता की गयी अग्रिम बढ़ोत्तरी वापस ले ली गयी है ?

७८—क्या इस प्रकार की राजाज्ञाओं और निर्देशों से अध्यापकों में व्यापक असंतोष नहीं फैल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

बड़हलगंज ब्लाक के बनवाने का ठेका

७९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज ब्लाक के बनवाने का ठेका उनके विभाग द्वारा दिया गया था ? यदि हाँ, तो कब और आज तक उसकी प्रगति क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ । अगस्त, १९६१ तथा मार्च, १९६२ में दो विभिन्न ठेकेदारों को इस काम के अलग-अलग भागों का ठेका दिया गया । प्रथम ठेकेदार ने थोड़ा-सा ही काम करके निर्माण-कार्य बन्द कर दिया है । दूसरे ठेकेदार ने कुछ भवनों में दरवाजों की चौखट तक का काम किया है । कुछ अन्य भवनों की नीव भरी है अथवा कुछ में छत डाली है ।

८०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सही है कि वहाँ ठेकेदार और अधिकारियों के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ? यदि हाँ, तो वह पत्र-व्यवहार क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ । प्रथम ठेके से संबंधित कार्य की प्रगति तथा उसके भुगतान के बारे में पत्र-व्यवहार हुआ है ।

८१—श्री कल्पनार्थसिंह—उक्त ब्लाक के ठेकेदारों का कब-कब टेण्डर लिया गया है, किस-किस तारीख को बान्ड बना है और अब तक किन-किन तारीख में उनके बिल का भुगतान मिला है ?

श्री रिधारीलाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'थ', आगे पृष्ठ ५६८ पर)

८३—८४—श्री हरीशकुमार गंगवार—[११वें सोमवार के लिये प्रश्न २१–२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति

†श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ९८ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु नावों की व्यवस्था कर दी गयी है और जिनके घर नीचे हैं उन्हें उस ग्राम में ऊंची जगह पर हटा दिया गया । मेरा कहना यह है कि जब नदी काट रही है तो क्या यह बात सही है, यही जानने के हेतु यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिव सम्पत्ति जी, आप मेरे कमरे में आ जाइयेगा तो बात चीत कर लेंगे ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ३४ का जो उत्तर मिला है उसमें और प्रश्न में कोई मेल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप भी आ जाइयेगा, मैं उसे देख लूंगा ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—आपने मेहरबानी करके यह तो कह दिया कि कमरे में चले आइयेगा, बात कर लेंगे, लेकिन इस पूरे हाउस को उस जानकारी से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—एक-एक का जवाब देना तो मेरे अख्तियार की बात नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन‡

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१९५/१–क—३५९४–५९, दिनांक ३० जून, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ५६९ पर)

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुंजबिहारी लाल राठी तथा अन्य की याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं । वह इस प्रकार है:—

"सेवा में,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

.....कुंज बिहारी लाल राठी तथा अन्य की याचिका ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

‡छापे नहीं गये ।

याचकगण सविनय निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

(१) यह कि विधान सभा में ४ सितम्बर, १९६२ को "उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२" पुरःस्थापित किया गया है। इसके द्वारा कृषकों की जोत पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है ;

(२) यह कि जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत शासन ४० वर्ष तक के लिये मालगुजारी में किसी भी प्रकार से वृद्धि न करने के लिये वचनबद्ध है;

(३) यह कि प्रस्तावित करों से प्रदेश के कृषकों की स्थिति बिलकुल अस्त-व्यस्त हो जायगी;

(४) यह कि हल, बैल, खाद और बीज आदि के दाम इतने काफी बढ़ चुके हैं कि किसान को खेती में कर देने योग्य पैसा बचता ही नहीं ;

(५) यह कि आबपाशी में जो छूट दी गयी थी वह भी सरकार ने वापस ले ली है ;

(६) यह कि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश बाढ़ और सूखे का शिकार चला आ रहा है ;

(७) यह कि प्रदेश में आधे से अधिक जोत अलाभकर हैं ;

(८) यह कि पिछले १०—१२ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की आय घटी है। घटी हुई आय पर बढ़े हुये कर देना बिल्कुल असम्भव है ;

(९) यह कि अधिक कर लगने का परिणाम यह होगा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होकर जीवन दूभर हो जायगा।

अतः याचकों की प्रार्थना है कि कृपया प्रस्तुत विधेयक को पारित न किया जाय और सरकार को इसे वापिस लेने का आदेश दिया जाय। और अन्य किसी आदेश की आवश्यकता समझी जाय तो वह भी दिया जाय।

भवदीय,
कुंजबिहारी लाल राठी,
राजेन्द्र कुमार गुप्त,
मलिखान सिंह।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस याचिका को याचिका समिति को भेज दिया जाय और शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह याचिका नियमानुकूल है और एक और याचिका इस सम्बन्ध में आ चुकी है, इसलिये इसको भी याचिका समिति को निर्दिष्ट किया जाता है और आशा है कि वह इसमें अधिक समय न लगाकर शीघ्र ही अपना निर्णय देगी।

विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सी० आई० डी० रिपोर्टर द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का स्पष्टीकरण

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसके पहले कि आप और कोई विषय लें मैं आपका ध्यान कल की एक बात पर आकृष्ट करना चाहता हूं और जैसा कि मुझे आज सुबह श्री नरसिंह नारायण जी और माननीय उग्रसेन जी ने भी बताया कि कल विधान सभा में जिस समय प्रिवलेज ईश्यू चल रहा था कोई सी०आई०डी०

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

के रिपोर्टर यहां असेम्बली में आकर बैठ गये थे और शायद नोटिंग कर रहे थे। इसलिये मैं आप से जानना चाहता हूं कि यदि श्रीमन् का ध्यान उस ओर न गया हो और आपकी आज्ञा से न आये हों तो उस पर आप अपना मत देने की कृपा करें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल उपाध्यक्ष महोदय ने जबकि यहां प्वाइंट आफ आर्डर माननीय उग्रसेन जी ने और हमने रेज किया था तो उन्होंने इसके सम्बन्ध में जांच करवाने को कहा था। परन्तु वह रिपोर्टर साहब फौरन ही भाग गये थे। जब हमने कहा कि उनको पेश किया जाय तो न वे आये और न उनको पेश किया गया। यदि उसकी जांच नहीं हुई है तो वह कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं एक निवेदन कर दूं कि जब मैंने कल की कार्यवाही पढ़ी तो इस सम्बन्ध में मैंने अपने सेक्रेटरीज से तो पूछा मालूम हुआ कि इस सदन में भी पहले यह बात होती थी। जब कभी रिपोर्टर की कमी होती थी या अस्थायी रूप से आवश्यकता होती थी तो सी०आई०डी० से रिपोर्टरों को अस्थायी तौर पर बुला लिया जाता था। जो भी यहां काम करने के लिये रिपोर्टर्स आते थे वे अध्यक्ष के मातहत रहते थे। वे यहां सी०आई०डी० के रिपोर्टर की हैसियत से नहीं आते थे। वे यहां की कार्यवाही यहां के लिये करते थे न कि अपने डिपार्टमेन्ट के लिये। जो कुछ वे लिखते थे वह इस सदन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लिखते थे। मुझे यह मालूम हुआ कि कल तीन रिपोर्टर बीमार हो गये थे, इसीलिये परिषद् से बुला लिया गया था। हमारे रिपोर्टस ६–७ मिनट यहां पर सदन में लिखते हैं और जो कुछ कार्यवाही वे लिखते हैं उसको अपने कमरे में जाकर ४५ या ५० मिनट में टाइप करते हैं। इस तरह से आप देखें कि हमारे १६ रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। कल इत्तिफाक से कुछ रिपोर्टर्स बीमार पड़ गये थे तो यहां पर विधान परिषद् से उनको बुला लिया गया था। कल विधान परिषद् की बैठक नहीं हो रही थी इसलिये उन्होंने अपने यहां से एक रिपोर्टर भेज दिया था। वहां सी०आई०डी० के रिपोर्टर्स काम करने आते हैं। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसको माननीय उग्रसेन जी पहचानते थे और वह डाक्टर लोहिया के पीछे थे शायद, ऐसा आपने बताया, लेकिन मुश्किल यह है कि जब यहां आये तो बहैसियत सी०आई०डी० रिपोर्टर के नहीं बल्कि परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाले माननीय चेयरमैन के अधीन रहते हुये वह इस सदन में आये और उन्होंने बहैसियत रिपोर्टर के काम किया न कि बतौर सी०आई०डी० के। जैसे माननीय नेता विरोधी दल हैं, उनकी बहुत सी हैसियतें हैं, वह कहीं मैनेजर होंगे, कहीं किसी संस्था के प्रेसीडेंट होंगे, किसी जगह कुछ होंगे, तो जब वह यहां बहैसियत नेता विरोधी दल आते हैं तो बहैसियत प्रेसीडेंट या मैनेजर के नहीं आये। तो वह रिपोर्टर जो यहां आये वह एक परिषद् के सेवक के नाते आये जो परिषद् के मातहत काम करते थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने स्पष्टीकरण का मौका दिया। मैं दो एक प्रश्न रखना चाहता था। पहला यह कि जो सज्जन यहां परिषद् से आये उनकी सैलरी कहां से मिलती है—सी०आई०डी० से है, यहां से है या यहां रहते हुये भी सी०आई० डी० से वह रिटेनर पाते हैं।

कहा गया कि यहां भी पद्धति थी कि जब रिपोर्टर कम होते हैं तो सी०आई०डी० से बुलाते हैं....

श्री अध्यक्ष—वह मैं कह रहा था कि एक जमाना था प्रारम्भ में जब कि हमें आवश्यकता पड़ती थी तो सी०आई०डी० से आकर हमारे अधीन रह कर वह काम करते थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जी हां, आपके कंट्रोल में रहकर काम करते थे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट में पूल है, अगर कभी थी तो उस पूल से ले सकते थे। अगर शार्टेज है तो आप नये हैण्ड्स अप्वाइंट कर सकते हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता था कि कल जो वह आये उसमें आपकी आज्ञा थी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा मैंने पहले कहा, उनकी सेवा से और सीधे कहां से हैं, आपने सी०आई०डी० से है या विधान परिषद् से और अगर विधान परिषद् में रहते हुये सी०आई०डी० से रिटेनर पाते हैं तो वह भी बतलाया जाय। मैं श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि अगर कोई है हेन्ड्स की तो आप अपना स्टाफ और बढ़ायें। वैसे तो अगर अखबार वाले मित्र बुरा न मानें तो उनसे बड़ा सी०आई०डी० कौन है कि एक दिन की सारी कार्यवाही अगले दिन अखबार में छपी रहती है, क्योंकि यहां कोई गोपनीय विषय नहीं रहता, इसलिये सी०आई०डी० से लोगों को बुलाकर रिपोर्टिंग हो, तो यहां की मानमर्यादा को ठेस लगती है, इसलिये आप छान-बीन कर निर्णय दें।

†श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दे रहा हूं। कल उन्होंने सूचित किया था, जब माननीय उग्रसेन ने प्रश्न उठाया, कि वह सी०आई०डी० के रिपोर्टर हैं, तो बताया कि वह विधान परिषद् के रिपोर्टर हैं और अब मालूम हुआ कि वह सी० आई०डी० के रिपोर्टर थे तो उन्होंने एक तथ्य को छिपाया, इसलिये मैं एक विशेषाधिकार की नोटिस दे रहा हूं उनके विरुद्ध।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, कल की कार्यवाही पढ़ने पर आपको विदित हुआ होगा कि मैंने इस ओर इंगित किया और मैंने इशारा किया था। मैंने यह कहा था कि सी०आई०डी० का आदमी रिपोर्टरों के पास बैठा था। आप भी उसको जानते हैं कि वह सी०आई०डी० का आदमी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैंने यहां पर सदन में इसकी चर्चा की और उपाध्यक्ष महोदय जब अपने सचिव से इसकी छानबीन करने लगे तो वह स्वयं उठकर चला गया। जब हर रिपोर्टर ५ मिनट का टर्न लिखता है और उसके बाद ४० मिनट बाद या एक घंटा बाद वह फिर अपना टर्न लिखने आता है, तो वह सी०आई०डी० वाला रिपोर्टर फिर क्यों नहीं आया? उसको फिर दोबारा तो आना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि अगर वे काउन्सिल में रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर ४ परमानेन्ट रिपोर्टर हैं....

श्री अध्यक्ष—५ हैं।

श्री उग्रसेन—जो भी हों। पर जहां तक विधान सभा का ताल्लुक है, यहां पर वे क्यों बुलाये गये? मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि एक रिपोर्टर का साक्षात्कार हुआ रिपोर्टर की जगह के लिये, उसको उस स्थान पर भर्ती करने के लिये चुन भी लिया गया, मगर आज तक उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है ताकि वह अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें। रिपोर्टर्स मौजूद हैं मगर उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। काउन्सिल में उनको बुलाया जाता है, वहां भी यह प्रश्न उठेगा। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, इसमें कुछ तथ्य हैं। वे एक प्रतिलिपि उठाकर रख लेते हैं, हम लोगों के भाषणों की, और उसको अपने आई०जी० को दे देते हैं। यह हमारा कहना है, आप इसकी छानबीन अवश्य करें। इसी सदन में पुलिस घेरा डाले हुये पड़ी हुई है। बस यहां पर आई०जी० नहीं बैठते हैं, यही बाकी है।

†न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से जिस वक्त यह डिस्कशन हुआ और वाकया हुआ, उस वक्त मौजूद नहीं था। न मुझे यह मालूम है कि इस सिलसिले में क्या आदेश दिया गया और उस पर क्या कार्यवाही हुई। बहरहाल, मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एतराज सिर्फ इस बात पर किया जा रहा है कि सी०आई०डी० का रिपोर्टर क्यों आया। मेरी समझ में नहीं आता कि सी०आई०डी० रिपोर्टर का क्या मतलब है। हर रिपोर्टर का यह काम होता है कि जो कुछ कहा जाय वह उसको लिखे शार्टहैन्ड में और उसको ट्रान्सक्राइब करके संबंधित आफिसर को पहुंचा दे। इस तरह के शार्टहैन्ड, टाइप जानने

†वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयदअली जहीर]

वाले जगह जगह विभागों में फैले हुये हैं। वे सरकारी मुलाजिम हैं। जिस माहोल में वे रहते है उस ड्यूटी को वे अंजाम देते हैं। इसका क्या मतलब कि वह सी०आई०डी० का है, या हाई कोर्ट का है, या जजी का है ? उसका जो काम है शार्टहैन्ड में लिखना और उसको टाइप करके दे देना, वह उसे करता है। वह सी०आई०डी० का आदमी है तो क्या वह अछूत हो गया? इस कारण वह यहां नहीं आ सकता ? अगर वह यहां सी०आई० डी० का काम करने के लिये आया होता किसी क्रिमिनल की तलाश में आया होता, किसी के मूवमेन्ट्स को वाच करने के लिये आया होता तब एतराज हो सकता था। फिर वह काम सेंट्रल गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट करता है। उनका यह काम होता है। उसके ऊपर यहां पर प्रोटेस्ट किया जाय, या ऐतराज किया जाय, यह समझ में नहीं आता। रिपोर्टिंग का काम एक टेक्निकल काम होता है। वह शार्टहैन्ड में नोट्स लेता है और उनको जब जहां जैसी जरूरत होती है टाइप करके दे देता है। जब वह पुलिस में होता है तो पुलिस में पहुंचाता है और जब यहां रिपोर्ट करने के लिये आता है तो यहां के दफ्तर में देता है, पुलिस से उसका उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि यह तूमार फिर क्यों बांधा जा रहा है। फर्ज कीजिये, वह वहां का मुलाजिम है, किसी वजह से उसको यहां ड्यूटी पर बुलाया और उसको कहा कि यहां काम करो। फिर क्या नुकसान हो गया ? किस तरीके से यह काबिल ऐतराज बात हो गयी ? इसलिये इसका कोई वास्ता यहां की बहस से नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि इस विषय पर माननीय न्याय मंत्री न्यायसंगत बात कहेंगे। परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो दलील उन्होंने दी उसको सुनकर। मान लीजिये, कोई सी०आई०डी० का रिपोर्टर बावर्ची भी है तो क्या माननीय मंत्री जी उसको अपने यहां बावर्ची की जगह रख लेंगे ताकि उनके घर की सारी बातों को वह बाहर पहुंचाया करे, क्या यह उचित होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—वह या तो सी०आई०डी० रिपोर्टर होगा या बावर्ची ही होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—रिपोर्टर क्या डी०आई०जी० तक बावर्ची का काम करते हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि यह एक सावरेन बाड़ी है। इस सदन की कार्यवाही पब्लिक के लिये ओपेन है और इस सदन के मातहत सरकार भी अपने को मानती है।

श्री अध्यक्ष—मैं बता दूं इस विषय में कि फैसला तो मैं करूंगा। वोट से उसका फैसला होगा नहीं। जो कुछ कोई माननीय सदस्य कहना चाहता है उसको कह लेने दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—शायद सरकार अपने को सदन से ऊपर नहीं समझती। जब कि आजकल यहां का वातावरण वैसे ही खराब हो रहा था और माननीय सदस्यगण आपसे शिकायत कर रहे थे कि यहां पुलिस और सी०आई०डी० चारों तरफ बड़ी संख्या में खड़ी रहती है, यह एक साइकोलाजिकल प्रश्न है और हमें यह संदेह हो सकता है कि सी०आई०डी० रिपोर्टर यहां आकर यहां की सारी प्रीसीडिंग्स को अपने अफसर तक पहुंचा देगा। अगर ऐसा हो तो क्या आप इस चीज को पसन्द करेंगे और क्या आप यह पसन्द करेंगे कि यहां सी०आई०डी० इस प्रकार से बैठकर अपना कृत्य करे और बिना आपकी आज्ञा के यहां बैठे ? मैं माननीय न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मामले को साइडट्रेक किया और कोई तर्कसंगत बात नहीं कही !

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि यह सदन जो इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के सर्वोपरि है और जो सब के प्रति न्याय की दृष्टि रखता है उस सदन में, आज इस युग में, जब कि आज हम इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक अधिकारी को समान अधिकार देना चाहते हैं, महज इस वजह से कि कोई कर्मचारी किसी विशेष विभाग में काम करता है, यह राय कायम कर ली जाय कि वह दूषित व्यक्ति है, उसे दूर रखना चाहिये और उसको अपने साथ बैठने की इजाजत हमें नहीं देना है।

क्या यह मनोवृत्ति इस सदन का, जो सब नागरिकों के ऊपर एक न्याय की दृष्टि रख कर काम करता है, उसका यह दृष्टिकोण सही और ठीक होगा ? मैं मान सकता हूं कि सन् ४७ के पहले जब कि हम अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पुलिस के कर्मचारी को हम भी समझते थे कि वे कर्मचारी देश के हित की बात नहीं करते हैं और विदेशियों से मिल कर उनकी आज्ञा का पालन करके देशवासियों की इच्छा को कुचलते हैं। आज के पुलिस कर्मचारी व उसके अधिकारी कौन हैं ? वे भी आपके ही भाई भतीजे हैं और आपके ही बीच में से पैदा हुये हैं ....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारा यह सवाल नहीं है। परम्परा के खिलाफ हम लोगों का सवाल है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है .....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—हमारा सवाल तो व्यवस्था के प्रति है कि यह व्यवस्था गलत है।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले कहा कि मैं तो सब की बातों को सुनना चाहता हूं। आप लोग अपना-अपना पक्ष रख दें।

(व्यवधान—कुछ ठहर कर)

इस आदरणीय सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यहां स्वतंत्रता है कि वह अपने विचार को सदन के सामने रखे।

(व्यवधान)

अब निश्चय करना कि क्या तरीका अपनाया जाय, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि यह सदन निश्चय करे, दूसरा मेरे अधिकार में है कि मैं निश्चय करूं। मैं तो सिर्फ सुनना चाहता हूं। प्रत्येक पक्ष जो अपनी बात रखे उसे आपको खामोशी के साथ सुनना चाहिये। अगर कोई गलत बात भी कहता है तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन बीच में खड़े होकर शोर मचाना तो किसी तरह से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मान लीजिये कि गलत ही है, तो कहने दीजिये, बाद में आप उत्तर दे लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं एक मिनुट में ही कह देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—अगर आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो बोलें अन्यथा नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर ही है .....

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण सिंह जी, देखिये.....(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—मुझे प्वाइंट आफ आर्डर पर तो बोलने दें.....

(व्यवधान)

मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्वाइंट पर ही बोलें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जिस नजरिये को मैं इस सदन के सामने पेश कर रहा था वह तो यह था कि जो सदन सब के प्रति न्याय करने के लिये यहां बैठा हुआ है, वह कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति कहां से आया है, उसके विषय में इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति का परिचय देने की चेष्टा करे, तो वह न्यायसंगत बात नहीं है और वह उस व्यक्ति के प्रति न्याय करने की दिशा में नहीं ले जाने वाला है जिस दिशा में इस सदन के प्रत्येक सदस्य को सदैव चलने की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चेष्टा करनी चाहिये। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे आज यह कांग्रेस की सरकार है, चाहे कल पी० एस० पी० की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट दल या किसी भी दल की सरकार हो, उसे अपने मानसिक विचारों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा और अपने बीच से अपनी पुरानी बातों को दूर करना पड़ेगा। आज पुलिस के कर्मचारी भी इस शासन में काम करते हैं, इस शासन के अन्तर्गत काम करते हैं और जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों के मातहत और चुनी हुई सरकार के मातहत काम करते हैं और वे जो भी काम करते हैं उसका सारा उत्तरदायित्व इस सरकार के ऊपर आता है। सरकार एफिशियेंट है या इनएफिशियेंट है, उसके लिये आप इस सरकार को खूब कोस सकते हैं कि उसकी यह गलती है, वह गलती है और अक्सर आप लोग इस सदन में कहते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन जो सरकारी कर्मचारी यहां रेप्रेजेन्टेड नहीं है, उसके बारे में उसी प्रकार पुरानी दस बीस साल की बातों को.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आपको सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने विचार इस सदन के समक्ष रखने का, फिर आप बीच में क्यों रोकते हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जब पुलिस वाला हो या न हो....

श्री अध्यक्ष---आप बाद में अपनी बात कह लीजियेगा लेकिन इस वक्त नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह---मेरी बात तो आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---कहिये, क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री दीपनारायणसिंह---जब सदन में कोई बुलाया जाता है, चाहे वह पुलिस वाला हो या न हो, वह आप के मातहत होगा तो क्या आप.....

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जायं। बाद में आप बोल सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस तरह से बीच में रोक दिया जाता है और जिस तरह से हम अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें रुकावटें डाली जाती हैं, यह कोई संसदीय परम्परा नहीं है।

मैं आप के द्वारा यहां यह विचार प्रस्तुत कर रहा था कि आज बदली हुई परिस्थिति में हमारे दृष्टिकोणों में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिये, आज समय की मांग है और जो गणतंत्र की परम्परा है उसके अनुसार यह पुलिस के अधिकारी या सी० आई० डी० के अधिकारी जो हैं इन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिये और अंग्रेजों के जमाने की जो उन के प्रति मनोवृत्ति थी उस को बदलना चाहिये। अगर आज भी वह उनके प्रति उसी जमाने के विचार रखते हैं तो यह उन के प्रति अन्याय है। माननीय सदस्य न्याय मंत्री जी ने सदन के सामने जो दृष्टिकोण रखा वह कोई टालने वाली बात नहीं कही, उन्होंने एक सही पहलू को ही सदन के समक्ष रखा है। एक सी० आई० डी० के रिपोर्टर को अपनी शार्टहैन्ड की पद्धति का ज्ञान होता है, वह उस से परिचित होता है, वह लिख कर अगर रिपोर्ट दे दे तो इस में आपत्ति की क्या बात है ? विश्वविद्यालयों में भी ऐसी परम्परा है वहां की कोर्ट की मीटिंग की रिपोर्टिंग भी इन्हीं लोगों से कराई जाती है, उनके पास इस तरह के रिपोर्टर नहीं होते, वह उन को मांग लेते हैं। उनका वहां इतना ही सीमित काम होता है कि वह उस की रिपोर्ट दे दें और शार्टहैन्ड में कार्यवाही लिख कर उसको ट्रान्सक्राइब

करके दे दें, इसी तरह से यहां वह कार्यवाही लिखकर विभाग को दे देते हैं। इसमें कोई गुंजायश उनके प्रति प्रिजुडिस की या सी० आई० डी० या पुलिस विभाग में होने की वजह से नहीं है और न कोई जरूरत इस बात की है कि किसी द्वेष या मनोमालिन्य का भाव उनके प्रति रखा जाय और आलोचना की जाय। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय ने रिपोर्टरों की संख्या कम होने की वजह से सी० आई० डी० या पुलिस के रिपोर्टर को बुला कर कार्यवाही रिपोर्ट कराई तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है और वर्षों से इस तरह की परम्परा चली आती है कि जहां भी इनकी जरूरत होती है ये लोग बुला लिये जाते हैं। कोर्ट की मीटिंग्स की रिपोर्ट करके ये लोग बराबर वाइस चांसलर को कार्यवाही देते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि उनसे इस तरह के काम लिये जाते हैं। इसलिये यहां भी मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है और जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने एक रिपोर्टर को विधान परिषद् से बुलाया है अगर वह सी० आई० डी० का भी रिपोर्टर रहा तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई है। हमारे चन्द साथी जो बातें या विचार अपने दिमाग में इन सी० आई० डी० के रिपोर्टर या पुलिस के प्रति रखते हैं वह आज की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति बुलाया गया, उसको यहां बुलाने के संबंध में कोई अनुचित कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, यहां जो विधान सभा के रिपोर्टर्स हैं उनको हम सब लोग जानते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव हमारे दिलों में पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो पुलिस के रिपोर्टर हैं, वे चाहे रिपोर्टर सब एक हों, उनकी एक संज्ञा हो, लेकिन जो पुलिस विभाग के मातहत रिपोर्टिंग करते हैं हम लोगों की सभाओं की, नेताओं के भाषण की, कुछ लोगों के पीछे बराबर लगे रह कर रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उनके प्रति एक खास पूर्वाग्रह पैदा हो जाना स्वाभाविक है। हम सब लोगों के दिमाग में और रिपोर्टर के दिमाग में भी, क्योंकि यहां बहुत सी बातें हम लोग बोलते रहते हैं, जिलाधिकारियों की और पुलिस कप्तान की आलोचनायें करते हैं, वे रिपोर्ट्स जब छपती हैं तो उनको सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले वे जिलों में जा कर तमाम अधिकारियों से कह सकते हैं, उन अधिकारियों का समय से पहले उस वक्ता के बारे में एक खास किस्म का ऐटीट्यूड बन सकता है जिससे उसी भावना के अन्तर्गत वे उनका रेकार्ड बना सकते हैं।

अगर यहां उनके बुलाये जाने की परम्परा रही है तो यह घोर आपत्तिजनक चीज है और मैं चाहता हूं कि यदि यह परम्परा रही है तो अब से इसको बन्द कर दिया जाय। अगर यह बात कही जाय कि रिपोर्टर्स की कमी है तो मैं चाहूंगा विधान सभा विभाग इस बारे में सरकार से मांग कर सकता है, मुख्य मंत्री जी उस जरूरत को पूरा करके रिपोर्टर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—सदन का समय इस तरह की बहस में नष्ट हो रहा है। असेम्बली में कौन लोग बैठें इसके निश्चित नियम हैं। केवल मुख्य मंत्री के कहने से कोई रिपोर्टर नहीं आ सकता है। अतः इस पर बहस न की जाय। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—आप यह नहीं कह सकते कि सदन का समय नष्ट हो रहा है, यह सदन का अपमान है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, विरोधी दल के नेता बोल चुके हैं और आप कहते हैं कि समय नष्ट हो रहा है। अगर आप समझते हैं आगे बहस न हो तो आप प्रस्ताव ले आयें कि बहस समाप्त की जाय। लेकिन यह नहीं कह सकते कि समय नष्ट हो रहा है।

श्री झारखंडेराय---मैं कह रहा था कि पुलिस विभाग के अन्दर जो रिपोर्टर हैं, जो पोलिटिकल मीटिंग्ज को कवर करते हैं उनकी सर्विसेज विधान सभा के अन्दर न ली जायं और अगर रिपोर्टर्स की कमी है तो उनकी संख्या अवश्य बढ़ा दी जाय। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कहना कि परम्परा रही है तो उसे बन्द कर दिया जाय। यह मेरा स्पष्ट आग्रह है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं तो आज बड़ी हैरत में पड़ गया जिस समय माननीय न्याय मंत्री जी और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने खुफिया विभाग के रिपोर्टर्स का यहां आना डिफेंड किया। यह मैं समझता हूं प्रारम्भिक बात थी, जिस पर न्याय मंत्री को खुले आम या तो यह कहना चाहिये था कि कभी किसी जमाने में वह खुफिया विभाग का मुलाजिम था और अब यहां आ गया है उस विभाग को छोड़ कर और विधान परिषद् से उधार ले कर के यहां पर काम करने के लिये आया था। यह हम समझते हैं मुनासिब बात होती और यह कहना चाहिये था....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यह गलत बात है।

श्री गेंदासिंह---अब दिन को कोई रात कहे फिर भी आप उसको सही मानें तो यह बात हो सकती है। मैं इस वक्त दिन को दिन कह रहा हूं। आप कृपा कर मेरी बात सुन लें।

आप स्ट्रेन्जर किसको कहते हैं? इस असेम्बली में किसी भी अजनबी आदमी को आने का अधिकार नहीं है। नियम ३०५ बहुत स्पष्ट है। दुनिया के किसी मुल्क की पार्लियामेंट में यह पहला अवसर है जो हमको सुनने को मिल रहा है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं न्याय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा और मांग करूंगा कि वह एक भी उदाहरण दुनिया की पार्लियामेंट का दिखायें कि खुफिया विभाग का रिपोर्टर पार्लियामेंट में आकर मेम्बर्स और मिनिस्टर्स के बयान की रिपोर्टिंग कर सकता है। एक उदाहरण, ज्यादा नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो कहते हैं कि हमारी तरह से वे भी ज्यादा पढ़ते लिखे नहीं है। माननीय न्याय मंत्री जी को तो मैं जानता हूं, पढ़ना लिखना उनका काम है। वह कृपा करके एक भी उदाहरण बतलायें। मैं आपका ध्यान संसदीय स्वतंत्रता और इसके कार्य संचालन में सुविधा के खयाल से इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने शुरू में ही कहा था कि उस खुफिया विभाग के रिपोर्टर को किस हालत में इजाजत हो सकती थी? आपने इजाजत किस हालत में दी? मैं समझता हूं कि हमारे दोस्तों को थोड़ा सा सब्र होता और माननीय दुबे जी ने जो प्रश्न पेश किया था वह प्रश्न स्पष्ट हो गया होता, तो इतनी बहस की जरूरत न पड़ती। आखिर विधान परिषद् में वह आदमी कैसे एम्पलाय किया गया? विधान परिषद् से आपने उधार मांगा था? विधान परिषद् ने कैसे उचित समझा कि सी० आई० डी० के आदमी को यहां भेज दें? विधान परिषद् वालों ने गवर्नमेन्ट से उसे मांगा था या सी० आई० डी० से मांगा था? न्याय मंत्री ने एक मर्तबा कहा था, जब हमने मांग की थी कि एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी का विभाजन कर दिया जाय, इसलिये यह विभाजन नहीं होता है कि तुम रोज कानून तोड़ते हो, तुम को दुरुस्त करने की जरूरत है और शासन विभाग एक्जिक्यूटिव के हाथ में रहे। बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, कभी-कभी स्पष्ट बात कह देते हैं जिसकी वजह से हमको बात मालूम भी हो जाती है। उनकी वजह से हमको यह भी मालूम हुआ कि इस सदन में कुछ वर्षों से यह रिवाज रहा है कि कोई खुफिया का रिपोर्टर भी आता रहा है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि यह परम्परा रही है कि खुफिया का रिपोर्टर यहां आता रहा है तो आप बतलायें कि क्या सचमुच यह परम्परा रही है? खुफिया विभाग का रिपोर्टर यहां आता रहा है या नहीं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अपमानजनक बात आपके लिये दूसरी हो नहीं सकती। कभी यह बात बरदाश्त नहीं की जा सकती। अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह परम्परा रही है तो इसकी जांच की जाय कि कितने खुफिया विभाग के रिपोर्टर्स ने इस विधान में आकर रिपोर्टिंग की है और मैं एक ही साथ भवन के लिये प्रस्ताव करूंगा कि वे स्ट्रेंजर हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उन जितने लोगों ने इस सदन में आ कर रिपोर्टिंग की है उनको सजा देनी पड़ेगी।

अन्त में, मैं एक बात कहूंगा, मुझे आशा थी कि वे इस मामले में न्याय की बात करेंगे। यह बात भी सही है कि डिफेंड करना चाहिये अपनी गवर्नमेंन्ट को, लेकिन जो बात उग्रसेन जी ने उठाई है कि खुफिया विभाग का आदमी यहां आ कर काम करता है तो उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दृष्टिकोण बदलो, लेकिन न्याय मंत्री जी ने यह भी नहीं कहा कि दृष्टिकोण बदलो। उन्होंने यह कहा कि यह बड़ी अच्छी बात है कि खुफिया विभाग का रिपोर्टर भी यहां आये और वह भी अपनी रिपोर्टिंग करे। हमको क्यों परेशानी हो जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बीच में मैं कभी टोकता नहीं। मेरे साथी जो कुछ मेरे संबंध में कह रहे हैं वह मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैंने इस तरह की बात नहीं कही।

श्री गेंदासिंह—मेरे कान अगर गलती करते हों तो और लोगों के कान गलती नहीं करते होंगे। फिर प्रोसीडिंग्स में भी वही होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—नहीं होगा।

श्री गेंदासिंह—इस सदन की प्रतिष्ठा केवल इस तरफ के बैठने वालों के बनाये नहीं बन सकती। मैं देख रहा हूं कि पिछले १० वर्षों से न्याय मंत्री जी के पास बैठने का फल मुझे है। माननीय न्याय मंत्री जी कृपा करके ऐसी बात मुंह से न निकालें कृपा करके इस सदन की प्रतिष्ठा कायम करने की चेष्टा करें और माननीय अध्यक्ष महोदय की थोड़ी सहायता करें। अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं और हम आपकी प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर अच्छी तरह से वचार विनिमय हो और बहुमत दल इस बात को स्वीकार करे कि एक गलती होती आ रही थी पुराने जमाने में, काम में एफिशेन्सी ले आने की बात नहीं थी, एक अनाधिकार काम हो रहा था, उस अनाधिकार काम को आगे से नहीं होने दिया जायगा, सदन का इस तरह से अवमान नहीं होने दिया जायगा, माननीय अध्यक्ष की आंख में धूल झोंक कर इस तरह से काम नहीं कराया जायगा। इसमें कोई गरमी की बात नहीं है। जहांतक सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जितनी सरकार को चिन्ता है उससे कम चिन्ता हम को नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर जो बातें मेरे सामने कही गयी हैं, उनका विश्लेषण मैं करूं तो यह है कि आवश्यकता होने पर भी डेपुटेशन पर किसी अन्य विभाग और विशेष रूप से सी० आई० डी० का कोई व्यक्ति यहां के काम के लिये न बुलाया जाय। एक भ्रम और दूर कर दूं कि आर्टिकल १८७ के अन्तर्गत.....

श्री उग्रसेन—श्रीमन् ने यह व्यवस्था दी है या ईश्यू बना रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये तो सही।

मैं आर्टिकिल १८७ पढ़ कर सुना दूं। वह इस प्रकार है—

"(१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिविक कर्मचारी वृन्द होगा :

परन्तु विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।"

[श्री अध्यक्ष]

तो हमारा जितना भी सम्बन्ध है वह सब हमारे अधीन है। जहां तक इस आदरणीय सदन का प्रश्न है यहां कोई सी० आई० डी० का आदमी न बुलाया जाता है और न रखा जाता है। हमने कल विधान परिषद् से यह कहा कि हमें आज एक रिपोर्टर की आवश्यकता है। उन्होंने अपने यहां का एक रिपोर्टर हमारे यहां भेजा। यहां पर आपत्ति होने पर यह पता चला कि वह सी० आई० डी० का भी नौकर है। तो जहां तक हमारा संबंध है, हमने सी० आई० डी० कर के नहीं बुलाया था और न हमने यह कह कर बुलाया था कि सी० आई० डी० का आदमी यहां आये और न हमने सी० आई० डी० को लिख कर भेजा था कि वे अपने रिपोर्टर को भेजें। विधान परिषद् और विधान सभा, दोनों के कर्मचारी एक ही अधिकारी के अधीन आने के कारण जो हमारा पहला विचार होगा वह यह होगा कि हमारी किसी समय की कमी को विधान परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूरा करें। तो इस ख्याल से हमने बुलाया था। अब जैसा मैंने प्रारम्भ में आप से निवेदन किया कि इत्तफाक से वहां से जिस को उन्होंने भेजा वह सी० आई० डी० का आदमी था। असल बात यह है कि कल परिषद् बन्द था, रेस्ट्रिक्टेड हालिडे थी, उस समय जो व्यक्ति वहां उनको प्राप्त हुआ वह यहां आया और उसने काम किया। तो जहां तक इस सदन की परम्परा का प्रश्न है, हम सी० आई० डी० के आदमी को न बुलाते हैं और न वहां के किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारियों के अन्तर्गत रखते हैं और न वहां से डेपुटेशन पर ही किसी को बुलाते हैं। हमारा जहांतक संबंध है, वह तो फ्री है। तो प्रश्न यह है कि वहां से आ गया, मैं इस पर आपके सामने कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता, यह तो व्यवस्था परिषद् में उठा लीजियेगा कि यह बात कहां तक उनके लिये उचित है, लेकिन जहां तक यहां का प्रश्न है, वह सी० आई० डी० के रूप में नहीं बुलाया गया था। वह बिलकुल इत्तफाक था कि एक व्यक्ति जो वहां से आया, वह सी० आई० डी० का निकला। उसमें कोई प्रश्न नाराजगी का नहीं उठता। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न अब समाप्त किया जाय। मैं आदरणीय सदन के सदस्यों की भावनाओं को जान गया। उसमें हमारा कोई दोष नहीं है।

श्री डम्बरेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं माननीय मुख्य मंत्री से चाहता हूं कि सी० आई० डी० में इतने आदमी बेकार हैं यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, विधान परिषद् में भी जाते हैं और यहां भी आते हैं? सब बेकार हैं, कोई काम नहीं है?

श्री अध्यक्ष—अब हमारे यहां आयेगा तो देखेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—आज जितने नियम ५२ के आये हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है। वह कृपया देख लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी का बहुत महत्वपूर्ण है। सात-आठ सौ मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। वेज बोर्ड का कानून नहीं माना जा रहा है। मंत्री जी से कहिये कि देख लें।

कानपुर नगर महापालिका द्वारा नगर की बस सर्विस बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत कानपुर नगर ट्रांस्पोर्ट के बारे में ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव पर मुझे यह अर्ज करना है कि सबसे पहले १९४६ में कानपुर सिटी बस सर्विस चलाने के लिये एक प्राइवेट कम्पनी, कानपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमलगेटेड सर्विस, का लिमिटेड के नाम से स्थापित की गयी थी, जिसमें कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के ५१ फीसदी शेयर्स थे। मार्च, १९५६ तक कम्पनी की बसें कानपुर नगर में चलती रहीं। बाद में कम्पनी बन्द हो गयी और पहली अप्रैल, १९५६ को डेवलपमेंट बोर्ड ने कानपुर नगर ट्रांस्पोर्ट के नाम से शहर में बसें चलना आरम्भ किया। शुरू के लगभग दो तीन साल तक कानपुर नगर ट्रांस्पोर्ट का काम सुचारुरूप से चलता रहा लेकिन पिछले दो वर्षों से बसों की कमी और कुछ दूसरे कारणों से डेवलपमेंट बोर्ड ने यह महसूस किया कि नगर की सिटीबस सर्विस के चलाने में उन को काफी कठिनाई हो रही है और उन्होंने सरकार को लिखा कि बेहतर होगा कि कानपुर नगर ट्रांस्पोर्ट को उत्तर प्रदेश रोडवेज ले ले। १९६० में सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करके यह निश्चय किया कि नगरपालिका में चुनाव शीघ्र होने वाले हैं, चुनाव के बाद नगर महापालिका के चुने हुये प्रतिनिधियों का निश्चित मत मालूम करने के बाद ही इस प्रश्न पर कोई फैसला किया जा सकता है। नगरमहापालिका ने मार्च, १९६१ में यह निश्चय किया कि कानपुर नगर ट्रांस्पोर्ट को महापालिका चलायेगी। इस संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्होंने यू० पी० रोडवेज से दो अफसर भी डेपुटेशन पर लेने की मांग की। रोडवेज उनको अफसर देने के लिये तैयार थी लेकिन थोड़े समय के बाद ही दिसम्बर, १९६१ में महापालिका ने यह प्रस्ताव पास किया कि इस संस्था को यू० पी० रोडवेज ले ले, उसके स्टाफ, उसकी गाड़ियां और उसके सामान को ले ले और प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की तरह रोडवेज कानपुर नगर में भी सिटी बस सर्विस चलाये। इस कार्य को चलाने के लिये जनवरी, १९६२ को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग बुलायी। जिसमें काफी विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि बम्बई, देहली इत्यादि बड़े शहरों की तरह सिटी बस सर्विस चलाने का भार नगरमहापालिका पर हो और उससे उसको भागना नहीं चाहिये। यह भी तय पाया कि कानपुर सिटी बस सर्विस को सुचारु रूप से चलाने के लिये यू० पी० रोडवेज महापालिका को हर प्रकार की सहायता और सुविधायें दे वे ताकि शहर की जनता को परेशानी न होवे। नगरमहापालिका ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से ६० लाख रुपये की मांग की है जिस पर विचार किया जा रहा है। कानपुर सिटी बस सर्विस से संबंधित उपर्युक्त और अन्य विषय पर विचार करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगले सप्ताह में संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग बुला रखी है। आशा है कि इस पर शीघ्र ही विचार हो जायगा। पता यह चला है कि अभी हाल में नगरमहापालिका की कार्यकारिणी समिति ने एक अन्य प्रस्ताव भी पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि नगर ट्रांसपोर्ट संस्था को महापालिका ३१ दिसम्बर, सन् १९६२ को बन्द कर देगी। कानपुर नगर के यातायात के महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। आशा है कि शीघ्र ही इस विषय पर आखिरी फैसला हो जायगा। इस संबंध में सदन के माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये काफी प्रयत्नशील है कि नगरवासियों को यातायात की असुविधा न होने पावे और शीघ्र ही उसके लिये समुचित प्रबन्ध किया जा सके।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—मेरी दफा ५२ की एक सूचना थी अध्यक्ष महोदय, उसमें २० आदियों की झोपड़ी .....

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइए। एक दफा ५२ का चल रहा है, उसको सुनिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिये एक बात पूछना चाहता हूं कि यह झगड़ा करीब-करीब दो साल से पड़ा है, आज से नहीं है, जो उनके स्टेटमेंट से भी साबित होता है तो सब महापालिकाओं में जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी बसें चला रहा है तो कानपुर ही क्यों ऐसा बदकिस्मत है कि यह देखकर के भी कि कारपोरेशन से वह चलता नहीं, फिर भी सरकार उस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार नहीं है?

श्री मुजफ्फर हसन—कानपुर और दूसरे नगरों में यह फर्क है कि कानपुर में अभी तक एक सर्विस चल रही थी। दूसरी बात जो दरियाफ्त की, उसके बारे में तो मैंने अर्ज किया कि उस पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—(श्री सन्तसिंह यूसुफ से) जरा माइक दूर रखिए तो अच्छा सुनाई पड़ेगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—कानपुर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि चल रही थी, तो वह चल नहीं रही थी बल्कि घसीटी जा रही थी। पन्द्रह बीस टूटी फूटी बसें थीं उनके खिलाफ मुतवातिर शिकायतें सरकार के पास आती थीं। मंत्री जी ने बताया कि एक प्रस्ताव किया कि रुपया दे दो, दूसरा प्रस्ताव किया ले लो और चलाओ, तो इस तरह से चल नहीं रही थी बल्कि घसीटी जा रही थी। तो क्या माननीय मंत्री जी इसके ऊपर फिर से विचार करेंगे और कानपुर की १३ लाख जनता पर कृपा दृष्टि करके उनकी सवारी के लिये कब तक सुविधा करने का कष्ट करेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि इसी हफ्ते में उस पर विचार होने वाला है। अब रहा यह कि घसीटी जा रही थी या क्या था, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि सन् १९४६ से एक सर्विस शुरू हुई और उसके बाद १९५६ में डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया तो वह तो एक चीज पन्द्रह बीस साल से चली आ रही थी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको यह ज्ञात है या नहीं कि कानपुर की जनता को एक सुव्यवस्थित बस सर्विस न होने के कारण क्या दिक्कत हो रही है ? वहां पर ९ लाख ४३ हजार की आबादी है और लगभग १०६ स्क्वायर माइल्स का एरिया है, आप जानते हैं वह एक औद्योगिक नगर है, छोटे-छोटे श्रमिक, मजदूर और विद्यार्थी श्रेणी के जितने लोग हैं उनको कोई बस सर्विस न होने के कारण कितनी दिक्कत है ? हमारे पास बीस बाईस के करीब एक फ्लीट.....

श्री अध्यक्ष—माननीया रोहतगी जी, आप प्रश्न करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय अपना निर्णय इस बात पर जल्दी से जल्दी देंगे ? मैं एक बात और कहूंगी उसके सम्बन्ध में, नगर पालिका की बस की सर्विस खत्म होने वाली है और क्या उसके पहले रोडवेज वहाँ चालू हो जाएगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के सम्बन्ध में अभी सवाल पूछा गया है कि उस विषय के सम्बन्ध में पिछले वर्ष से विचार हो रहा था और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों से, एल० एस० जी० के अधिकारियों से पूछ कर विचार किया गया और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से भी पूछा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट घाटे से नहीं चल रहा है और यह जो सिटी बस सर्विस है वह घाटे पर है। इस दृष्टिकोण को रख कर फाइनेंस डिपार्टमेन्ट ने मंजूर किया, मैं भी कोई कारण न था कि इसे नामंजूर करूं जब कि सिटी बस सर्विस घाटे पर थी। इसका तो जो इन्तजाम है और जो काम करने वाले हैं वह सब उस तरह के नहीं हैं और वह दक्षता भी नहीं रखते हैं जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी रखते हैं कि इन चीजों को चलायें या स्वतः उसके साधन मुहैया करें या चलायें, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। जहाँ तक विभाग का सम्बन्ध है और जहाँ तक फाइनेंस विभाग का सम्बन्ध है वह तो बराबर ट्रान्सपोर्ट विभाग से आमदनी के जरिये को अधिक मात्रा में बढ़ाने के बारे में विचार करते हैं उसकी दृष्टिकोण से तो यह घाटे की चीज है। यह घाटे की चीज अपने कंधे पर लें यह बहुत दूरदर्शिता की बात नहीं होगी। जैसा मैंने कहा अभी निर्णय उसमें लेने में मैं असमर्थ हूं। अभी फिर जैसा परिवहन मंत्री ने कहा इस विषय पर विचार करने के लिए

एक सम्मिलित, कारपोरेशन के अधिकारियों, वित्त विभाग के अधिकारी, एल० एस० जी० के अधिकारी, सम्बन्धित मंत्री और जो सम्बन्धित विभाग के अधिकारी हैं उनको बुलायेंगे और पुनः विचार विमर्श करेंगे। हालाँकि मेरी स्वयं सहानुभूति है परन्तु मेरी प्रवृत्ति है कि घाटे की कोई चीज न लूं। इस प्रकार में अभी उस विषय पर कोई निर्णय नहीं लेता हूं, जैसा मैंने कहा फिर उस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन तो हो गया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ तक कारपोरेशन के घाटे का सवाल है उसे छोड़ दीजिए। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट घाटे से नहीं चल रहा है। लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह मुनाफा हो रहा है, इसलिए घाटे का सवाल नहीं उठता। इसलिए ट्रान्सपोर्ट के मातहत नए सिरे से बसेज यहाँ शुरू की जायं। यही कानपुर की जनता की आपसे प्रार्थना है। कारपोरेशन का जो मामला है वह तो घर का है, वह आप तय करते रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस मामले पर विचार कर के जल्दी से जल्दी इस बस सर्विस को शुरू करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट घाटे पर नहीं है, परन्तु यह बात सही नहीं है कि जो सिटी बस सर्विस है वह कोई मुनाफा देती है। वह घाटा पैदा कर रही है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कारपोरेशन की जो दिक्कतें हैं वह अपनी जगह हैं और सरकार की जो दिक्कतें हैं वह अपनी जगह पर हैं, तो इस बात को देखते हुए कि कानपुर की जनता के हित में क्या है, कानपुर का डेवलपमेन्ट किस प्रकार हो सके और सरकार को किसी जगह चाहे घाटा भी उठाना पड़े, वहाँ पर बस सर्विस सरकार चलायेगी क्योंकि कानपुर के कारपोरेशन के हित से ही कानपुर की जनता का हित होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका सवाल नहीं है। कारपोरेशन ने एक फैसला कर दिया कि ३१ दिसम्बर से वह अपनी बस सर्विस बन्द कर देगी। यह चीज मैं अपने बयान में कह चुका हूं। इससे जो घाटा पैदा हो जाता है उसके लिये हमको विचार करना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि घाटे का सौदा न लिया जाय और टूटी फूटी बसोंको न लिया जाय तो रोडवेज की जिस तरह से वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ में सरकार अपना स्टाफ रख कर अपनी बसें चला रही है तो इस सवाल पर विचार कर के मुख्यमन्त्री जी जल्द से जल्द वहाँ पर बसें चलाने का विचार करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सवाल सामने नहीं है कि हम उनकी बसों को लें या न लें। सवाल तो वहाँ पर बसों को चलाने का है और मुख्य मन्त्री जी ने यह बतलाया कि बावजूद इसके कि रोडवेज में काफी मुनाफा है लेकिन जो सिटी बस सर्विस है उसमें कहीं फायदा नहीं है तो दूसरे पहलू को देखने के साथ साथ यह पहलू भी देखना होगा कि जब वहाँ बस सर्विस खत्म हो जाती है तो लोगों को तकलीफ न हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मन्त्री जी बतलायेंगे कि जैसा अभी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और कुछ दिक्कतें तफ़सील में बतलाई गईं कि सरकार ने इस पालिसी को कम से कम तय कर लिया है या नहीं कि नगरपालिका के असफल हो जाने के बाद वह बस सर्विस वहाँ पर जरूर चलायेगी ? और वह मीटिंग होने वाली है, वह उसकी विस्तार की बातें देखने के लिये हो रही है या इस पालिसी को तय करने के लिये हो रही है कि बस चलायी जायं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब उसमें यह विषय भी विचारणीय है क्योंकि उसमें सवाल साधन का आ जाता है। वहाँ पर अपनी बस सर्विस चलेंगी तो बसों को खरीदना पड़ेगा और उनकी संख्या पर कितना व्यय होगा इसको भी तौलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी हमने जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ली है उस विषय के अन्तर्गत, उससे कितना हम आगे जा सकते हैं और कितने साधन चलाने के लिये उपलब्ध कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने पहले कहा था, दो वर्ष पहले जब वहाँ की स्थिति खराब हो गई कि वहाँ पर कारपोरेशन बन जाय। अब कारपोरेशन ने कोई निर्णय लिया। तो उनकी आज्ञा की कदर करते हुये सरकार कदम उठाये। कारपोरेशन ने प्रस्ताव पास कर के भेजा है कि वह ३१ दिसम्बर से बन्द कर देंगे और सरकार अपने हाथ में उस को ले ले। आज यह कहा जाता है कि वहाँ की बस सर्विस घाटे पर चल रही है। प्रदेश के अन्य भागों में घाटे को देखते हुये भी अपनी बसें शहर में सरकार चला रही है तो इस प्रदेश के सब से बड़े मजदूर और उद्योग के केन्द्र कानपुर में सरकार घाटे और मुनाफे की बात को न देखते हुये सिटी बस सर्विस चलाने की कृपा करेगी और इस सदन को यह आश्वासन देगी कि दिसम्बर में उनकी तरफ से बस सर्विस बन्द होने के बाद भी वहाँ पर चलती रहेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने पहले निवेदन कर दिया कि मुझे जहाँ तक नागरिकों की इस दिशा में आवश्यकता का सम्बन्ध है, उससे सहानुभूति है परन्तु सहानुभूति रखना एक और बात है और रुपये पैसे के साधन की व्यवस्था करना दूसरी बात है। उसमें बिलकुल एक वास्तविकता का मुकाबला करना पड़ता है और जब वास्तविकता का मुकाबला करने का प्रश्न आता है तो सारे पहलुओं पर विचार करना होता है। सारे पहलुओं पर विचार कर के फैसला लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार करते समय इन सब बातों पर विचार किया गया कि कितनी बस सर्विस चलेंगी, कितनी रोड्स लेंगे। उसमें हमने कानपुर की बात को नहीं सोचा था और न हमने उसके लिये कोई योजना बनाई थी क्योंकि वह पब्लिक सेक्टर में काम करने की बात है जिस पर अब काम होने की बात तय हो चुकी है। अब सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि यह टैक्स काट दो और वह काट दो। जब तक पैसा बढ़ेगा नहीं सब काम कैसे हो सकता है ? इन तमाम बातों पर विचार करना पड़ेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि महानगरपालिका, कानपुर ने प्रस्ताव पास कर ७ लाख का अनुदान सरकार से माँगा है, तो अगर सरकार अपनी बसें नहीं चलाती तो वह अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं सब की मदद करने को तैयार हूं बशर्ते कि जो सुभीते हम जनता को देना चाहते हैं उनमें आप हमारा सहयोग करें और करों के जो विधेयक आ रहे हैं उन पर बहस करने में अधिक समय न लगायें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११६ में क्या यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि यातायात का प्रबन्ध करना महापालिका का अनिवार्य कर्त्तव्य होगा और अगर महापालिका इस काम में असमर्थ है तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह उसे समर्थ बना कर यह अनिवार्य कर्त्तव्य पूरा कराये अथवा यह काम स्वयं करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारा स्वायत्त शासन विभाग इस दृष्टि से इस चीज को देखेगा, लेकिन इन संस्थाओं को, आटोनामस बाडीज को बहुत से ऐसे अधिकार प्रदान किये गये हैं और यह उनका कर्त्तव्य है कि वे उनको अपने कंधों पर ओढ़ने की चेष्टा करें।

श्री झारखंडेराय—सरकार की यह असमंजस शायद इस कारण तो नहीं है कि किसी प्राइवेट कंट्रेक्टर ने सरकार को अप्रोच किया है कि कानपुर शहर में बसें चलाने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय सदस्य मजदूरों से अधिक संबंध रखते हैं और जो मजदूर रखते हैं उनसे भी उनका संबंध है, उन्हें शायद यह बात ज्यादा मालूम हो, मुझे कोई इत्तला इसकी नहीं है।

श्री ऊदल—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भले ही उसे लाख, दो लाख घाटा ही हो, कानपुर शहर में रोडवेज की बसें चलाने की उसे व्यवस्था करनी चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानने के लिये तैयार हूं और उन्हें अपने बीच में, अपने अधिकारियों के बीच में बुला कर, बैठा कर बात-चीत भी करवा सकता हूं। सब साधन मुहैय्या करने की वह व्यवस्था कर दें, हम यह करवा देंगे। वैसे जो वह कहते हैं, उसे सम्पादित करने की हम बराबर कोशिश में हैं और आज भी कोशिश करने के लिये तैयार हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—जब अन्य स्थानों पर बसें घाटे पर चलती हैं तो कानपुर में घाटे पर बस चलाने में उन्हें क्या कठिनाई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सी० आई० डी० के रिपोर्टर द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अभी एक बड़ा गम्भीर प्रश्न चल रहा था और उसमें न्याय मंत्री जी ने बयान दिया था कि परंपरा थी सी० आई० डी० रिपोर्टर के यहां आने की। नेता सदन ने भी ऐसा ही बयान दिया कि यहां इस प्रकार की परंपरा थी और आपने अपने बयान में कहा कि यहां कोई परंपरा नहीं थी . . . .

श्री अध्यक्ष—यहां कोई परंपरा नहीं है इस वक्त, यह मैंने कहा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—और माननीय मेहरसिंह जी ने एक बात कही। तो इस कंट्रेडिक्शन से एक भ्रम पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि नेता सदन ने जो बयान अभी दिया है उसे, अगर आप पढ़वा दें सदन में और जो आप ने बात कही है कि यहां परंपरा नहीं थी या नहीं है, इसका स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक होगा। इस विरोधात्मक बात में प्रिविलेज का प्रश्न उठता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष—यदि आप किसी बात पर आपत्ति करें और दूसरा पक्ष यह कह दे कि ऐसी बात मैंने नहीं कही, तो इस सदन का यह नियम है कि जो बात वह कह रहे हैं उसे मान लिया जायगा। अगर मैं देखूं कि विरोधात्मक कोई बात है, तो वह बात मैं अपने अधिकार से उसमें से निकाल दूंगा। यह माननीय खेर साहब की भी रूलिंग है और इस सदन की यह परंपरा रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जो कंट्रेडिक्शन्स पैदा हो गये हैं और जो आज की प्रोसीडिंग्स में आते जा रहे हैं, उन पोशन्स को आप पढ़ कर सुनवा दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया था कि किसी समय में यहां ऐसा हुआ करता था, लेकिन हमारे यहां अब यह परम्परा नहीं है कि वहां से रिपोर्टर्स बुलायें। पहले किसी जमाने में, मुझे सूचना मिली है, कि सी० आई० डी० से डेपुटेशन पर कुछ लोग यहां आते थे। अब न हमने

[श्री अध्यक्ष]

उस बात को स्वीकार किया और न उस बात को जारी रखा। किसी समय में, जब हिन्दी के काफी अच्छे रिपोर्टर्स नहीं मिलते थे, तो सी० आई० डी० से उनको बुलवा लिया जाता था। अब बाढ़ पर बहस होगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—पिछली १० तारीख को दफा ५२ में मैंने एक प्रस्ताव दिया था। मैं बाढ़ पर बोलना चाहता हूं, लेकिन पहले इस पर जानकारी चाहता हूं। उसके अनुसार काशी विद्यापीठ की छुआछूत पर प्रकाश पड़ने वाला था। उस पर प्रकाश किस तिथि पर पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—पहले मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप इस पर व्यवस्था दें कि पहले आप ने यह कहा....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अगर व्यवस्था का प्रश्न कोई पहले उठावे तो उसे समय मिलना चाहिये या नहीं? नियम ५२ के समय में हजारों बार खड़ा हुआ, लेकिन आप ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी....

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के सम्बन्ध में....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपने एक बार भी बोलने की इजाजत नहीं दी, तो बताइये कि क्या करूं? यह मैं मानता हूं कि आप को सर्वाधिकार है....

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के सम्बन्ध में कोई प्रश्न यहां नहीं होना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वह प्रस्ताव मेरा था और मैं एक दर्जन बार खड़ा हुआ, लेकिन आप ने एक बार भी प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी। व्यवस्था चाहता हूं तो आप कोई उत्तर नहीं देते। यह एक परम्परा हो गयी है। आप आदी कर देते हैं इस बात का कि आपको डिफाई किया जाय।

श्री उग्रसेन—आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लें। आपने मुझे बोलने का आदेश दिया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप ने कहा था कि सदन में यह परंपरा रही है कि सी० आई० डी० से डेपुटेशन पर लोग नहीं मंगाये जाते, और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह परंपरा थी। आप ने कहा कि परंपरा नहीं है। तो इस प्रकार उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—वह मैं जानता हूं। इस सम्बन्ध में जो वस्तुस्थिति है वह मैं बतला दूं। टम्बेश्वरीप्रसाद जी, यह ठीक है कि बीच में आप कई बार उठे थे और मैं आप को उस समय बुला नहीं पाया था। लेकिन जब कोई नहीं उठा तो आप भी नहीं उठे और मैं समझा कि आप के प्रश्न समाप्त हो गये हैं। अब सदन में बाढ़ पर विवाद होगा। (श्री चन्द्रबली जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैंने तो आप से एक व्यवस्था चाही और उसका आप ने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। अब मैंने माननीय चन्द्रबली जी का नाम पुकार लिया है। वह बोलेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—और उसके बाद आप चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद (क्रमागत*)

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सिलसिले में जो रपट माल मंत्री द्वारा दी गई है, उसमें सब से ज्यादा क्षति देवरिया जिले की हुई है। वहां ५,२७,१८८ आदमी पीड़ित हुए और ४,११,७०३ एकड़ भूमि में पानी समाया हुआ है। लेकिन आप देखें कि सब से अधिक पीड़ित इलाका होने के बाद भी देवरिया को कम सहायता दी गई है।

(इस समय १२ बज कर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

दूसरी तरफ़ सबसे ज्यादा आदमी देवरिया में ही बाढ़ क्षेत्रों से सुरक्षित स्थान के लिये निकाले गये हैं और देवरिया में ही सब से ज्यादा जानवर भी बाढ़ से बांगा पर निकाले गए हैं। इस तरह से देवरिया की उपेक्षा हो रही है। केवल उपेक्षा ही नहीं हो रही है बल्कि बाढ़ की रपट भी छिपाई जा रही है। आप स्वयं देख लें, कहावत है—हाथ कंगन को आरसी क्या। रुद्रपुर में जहां हमारे राजस्व मंत्री जी गए थे जहां रुद्रपुर-नगवां सड़क पूरी पानी से डूबी हुई है जिसका रपट में जिक्र नहीं है। वहां की टूटी और क्षतिग्रस्त सड़कों का कहीं भी जिक्र नहीं है। आप देखें कि कप्तानगंज-रामकोला सड़क पानी के कारण टूट गई है। उसमें बड़े भारी खोह हो गये हैं। जिसके कारण यातायात बन्द हो गया है। परन्तु उसकी कोई रपट नहीं है। इसी तरह से कप्तानगंज–हाटा सड़क भी टूटी पड़ी है। मथौली–हरपुर, पगरा–रामकोला और देवरिया–लखमपुरा सड़कें भी इसी तरह टूटी हुई हैं और कुछ बाढ़ में पानी में डूबी हुई हैं। इसके कारण जनता को बड़ी भारी परेशानी है परन्तु उन सब बातों की रपट छिपाई जा रही है। क्षति के आंकड़े छिपाये जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पहली और दूसरी सितम्बर को वहां इतने जोर की वर्षा हुई कि समूचा देवरिया जिला बाढ़ के अलावा पानी के जमाव से तबाह हो गया। जिसके कारण करीब पौने तीन हजार गांवों की फसल को नुक्सान हुआ। अरहर की फसल तो समूचे देवरिया जिले में बरबाद हो गई है। देवरिया में नारायणी अपने तीन धाराओं से तबाह करती हैं। जिसमें एक धारा नैपाल से आती है। खड़ा पड़ौना और तरियासुजान के इलाके को तबाह करती हैं। एक नई धारा छोटी गंडक में आकर उत्तर से दक्षिण देवरिया को बीचों-बीच चीरते हुए घाघरा में जा मिली है। और तीसरी उसी में से निकल कर रोहिणी में जाकर राप्ती में और पुनः राप्ती द्वारा देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र पार कर के संकट में डाल देती है। परसौनी गांव कट गया। उसके कटने के बाद जो धारा देवरिया गोरखपुर की ओर आयी उससे यह सरकार बचा नहीं सकी। उपरोक्त तीन धारायें चलकर न सिर्फ देवरिया को बल्कि गोरखपुर को भी तबाह करती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी गंडक की एक धारा छोटी गंडक में आकर समूचे देवरिया को चीरती गयी है। इसी प्रकार से रोहिणी नदी में गई, दूसरी धारा भी अपना विकराल रूप दिखाती हुई गोरखपुर को चीरती हुई तबाही मचाती है। इस साल जैसी बाढ़ रुद्रपुर में आई है वैसी कभी नहीं इस इलाके में देखी गयी थी। वहां अगर किसानों ने अपने आप अपने कमरों, घरों की मिट्टी से आबादी को घेर कर बांध न बनाया होता तो समूचा इलाका बह गया होता।

श्रीमन्, नावों की व्यवस्था वहां ऐसी नहीं थी कि वहां के लोगों को बचाया जा सके। वहां जो भी नावें हैं काफी नहीं हैं। लेकिन उतनी नावों ने भी काम नहीं किया और लोगों को बचा नहीं सके। इस तरह की स्थिति देवरिया में जो है, वह छिपाई जारही है। वहां १० लाख एकड़ भूमि पानी में समाई हुई है और १८ लाख आदमी तबाह हैं और साढ़े १७ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन वह सब छिपाया जा रहा है। मैंने मई के महीने में नारायणी के आने वाले उत्पात की तरफ इस सदन का ध्यान खींचा था लेकिन उस पर न तो आपने और न सरकार ने ही कोई ध्यान दिया बल्कि उस की उपेक्षा ही की गई थी। उसके बाद मैंने दफा ५२ दिया था, २ जून को। मैंने कहा कि बाढ़ आयेगी, नारायणी उत्पात मचायेगी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं मचायेगी। मैंने कहा कि यदि सरकार समझदारी से कहती कि

*१३ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री चन्द्रबली]

बाढ़ नहीं आयेगी तो में मान लूंगा कि सरकार 'आधीरात को खांसी आये, सांझे मुंह बाये' जैसी कहावत कहती रही लेकिन बाढ़ दो महीने के बाद आयी। सरकार की तैयारी नहीं थी। उसका नतीजा यह हुआ कि ऐसा हो गया जैसे कोई न घटने वाली घटना घट गयी जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। १४ साल से लगातार बाढ़ आ रही है और जैसे कोई चींटी के बिल पर पिसान भुरभुराता है, उसी तरह से सरकार बाढ़ग्रस्त इलाके में चना, नमक, तेल, भुरभुराती है। ऐसा करते सरकार को शर्म नहीं आती, सरकार को जो अपनी कहने वाली सरकार है उसके ऐसे कार्य हैं कि ब्रिटिश महारानी के स्वागत में २२ दिनों के दौरे में ३० करोड़ रुपया खर्च करती है लेकिन जो टैक्स देते हैं और निहाई जैसा भारी टैक्स देते हैं उनको सूई जैसी सहायता करती है।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, जरा संयत भाषा का प्रयोग करें।

श्री चन्द्रबली—जो दुःखी है उसके मुंह से संयत भाषा कैसे निकल सकती है? कड़ी बात ही निकलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—आप कड़ी बात ही कहिये, लेकिन शब्द अवश्य ही संयत होने चाहिए।

श्री चन्द्रबली—जो शब्द कड़े नहीं होंगे तो बात कैसे कड़ी होगी? मैंने देखा कि जब लखनऊ नगर में बाढ़ आयी थी तो हवाई जहाज से भात गिराया गया और वहां १४ वर्षों से दो सौ गांव बाढ़ में डूब रहे हैं वहां चना भुरभुराया जाता है। पिछली बाढ़ में १५,००० मन चना बांटा गया जिसमें १०,००० मन लखनऊ में बांटा गया, वह भी सरकारी कार्यों को। यह सरकार की रिपोर्ट है। इस तरह से पक्षपात हो रहा है। यह सरकार बाढ़ की सहायता में भी पक्षपात कर रही है।

जहां तक सवाल है कि क्या किया जाय, तो अगर ऐसा ही रहा तो घाघरा बरहज को उड़ा ले जायगी। छोटी गंडक काट रही है भीखमपुर को, राप्ती करकोल को, नगवा को, गाय घाट को। उसी तरह से गर्रे भिलोर इत्यादि को काट रही है। जो बरसाती नाला है वह भी काटने लगे। बड़ी गंडक तो काट ही रही है उससे देवरिया और गोरखपुर दोनों ही प्रभावित हैं और उन्हीं के बगल में बसने के कारण आजमगढ़ और बस्ती तबाह हो गये। मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। २ जून को एक डेपुटेशन लेकर हमारे नेता उग्रसेनसिंह गये थे जिसमें मैंने कहा था, गोरखपुर के साथी भी थे मैं भी था—नेपाल बांध के सिलसिले में ध्यान दिलाया गया। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। नारायणी को ठोकर लगा कर, नियंत्रित करके भली दुलहिन की तरह चलने के लिये आप मजबूर करें तभी वह वश में आयेगी। साथ ही बिहार की तरह का बांध भी कम खतरनाक नहीं है, उसी की वजह से नारायणी इधर आ रही है। क्या मझौलिया और आजमगढ़ बांध को बरकरार रख कर आप रुद्रपुर क्षेत्र की हिफाजत कर सकते हैं? क्या राप्ती में जलकुंडी योजना बनाये बगैर उस इलाके को बाढ़ से बचा सकते हैं? १४ साल से अब तक कुछ नहीं किया तो क्या यह उपेक्षा नहीं है? बाढ़ आने के बाद एक काम और कीजिये। आप एक आयोग उसकी जांच के लिये बैठाइये। सचिव के जिम्मे आज तीन विभाग हैं बिजली, सिंचाई और बाढ़। चूंकि बिजली विभाग मुख्य मंत्री के पास है इसलिए उसमें ही सचिव फंसे रहते हैं। विनाशकारी बाढ़ को देख भी नहीं पाते। इधर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप एक दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करते हों, तो बोलें, नहीं तो फिर दो बजे के बाद।

श्री चन्द्रबली—अभी तो मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप दो बजे से बोलियेगा। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रबली—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे आपके सामने कुछ सुझाव रखने हैं। इस समय तीन किस्म के सवाल खड़े हो गये हैं। एक तो बाढ़-कटाव से उत्पन्न परिस्थिति को रोकने के लिये, दूसरा है बाढ़ कटाव रुके कैसे और तीसरा सवाल है कि बाढ़-पीड़ित इलाकों की माली हालत जो खराब हो गई है, वहां के किसानों में हीर नहीं रह गया है, इसलिये वहां के विकास के लिये विशेष योजना की आवश्यकता है। अगर आप इजाजात दें तो मैं ये सुझाव पढ़ दूं। लैक्चर के रूप में नहीं हैं, सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जरा समय का भी ध्यान रखिये। जल्दी कीजिये।

श्री चन्द्रबली—(१) बाढ़ पीड़ित छात्रों की फीस छठे दर्जे से यूनिवर्सिटी तक की मार्च के महीने तक माफ की जाय। (२) बाढ़-पीड़ित छात्रों को भोजन भी दिया जाय। गांवों में रहने वाले बच्चों और प्रसूताओं के लिये उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये, बाहर से आनेवाले दूध का बटवारा हो। (३) खरीफ और रबी की मालगुजारी आधी माफ कर दी जाय। रबी की फसल भी इस बाढ़ के नाते मर जायगी। बाढ़ २ महीने से रुकी हुई है और पता नहीं कब तक रहेगी। वहां लगातार लोक तकावी लिये हुये हैं। वे सरकार के ही कर्जदार हैं। (४) इसलिये पुरानी सभी तकाविया माफ की जांय। (५) १४, १५ वर्ष से बाढ़ आ रही है। बैल, बीज, मकान के लिये तकावी दी जाय। (६) अहेतुक सहायता खेत मजदूरों को भी दी जाय। (७) जानवरों के लिये बड़े पैमाने पर खोइया, भूसा, और घास १० बीघे तक के किसानों को मुफ्त और शेष को कम दाम लेकर दी जाय। (८) असमर्थों को दूसरी फसल आने तक और दरिद्र किसानों, यानी ५ बीघा तक के किसानों को, और खेत मजदूरों को बाढ़ घटने के १५ दिन बाद तक मुफ्त राशन दिया जाय। (९) सस्ते गल्ले की दूकानें इस क्षेत्र में हर न्याय पंचायत सेन्टर में कम से कम तीन स्थापित की जाय। (१०) सूत कातनें वालों को सूत पर सहायता दी जाय। (११) बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम और बीमारों के लिये दवा की व्यवस्था की जाय। (१२) बेकारों को काम कम से कम १ रुपये की मजदूरी के साथ ठेका से दिया जाय। टेस्ट वर्क से हमारे यहां बहुत नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ४ आने और ६ आने मजदूरी दी जाती है। काम भी नहीं मिलता है। (१३) इस क्षेत्र के शिक्षित एवं अशिक्षित नौजवानों को कल-कारखानों एवं सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाय। (१४) हरिजनों के मकान बाढ़ से गिर गये हैं उनके लिये हरिजन कालोनी के रूप में मकान बनवाये जांय तथा उनको विशेष सहायता दी जाय। इसके अलावा कटाव पीड़ितों का सवाल है। उसे भी देखा जाय। (१५) कटाव पीड़ित राप्ती के ग्रामों करकोल, बनकटी, तिप्परा खरंवा, नगवाखास, सचौली, नकइ, पटवनिया, भादेला अजंल, गोरी के कटाव पीड़ित पिडरी पिडरा, ईश्वरपुरा जगतमाझा करनपुरा, सरमोहना, भेकउर, जगदीशपुर, पाडेमामगराजधर, नरायनपुर, उजरिया गाजन डहरौली, बथुसा से पीड़ित अवस्थी, सेमरोगा, छोटी कटने से पीड़ित पिपरा और बिछलपुर के ध्वस्त मकानवालों को बसने के लिये मुफ्त जमीन दी जाय और मकान बनानें का सामान दिया जाय। (१६) बाढ़ पीड़ितों को जो पक्का मकान बनाना चाहते हैं उनके लिये कोयला सीमेंट वगैरह की व्यापक पैमाने पर सुविधा दी जाय। इसके लिये रुद्रपुर में सीमेंट और कोयला की डिपो खोली जाय। (१७) इस क्षेत्र में बाहर से आने वाले मनी आर्डरों का भुगतान तुरन्त कराया जाय। (१८) रुद्रपुर के क्षेत्र के हलवाइयों और लोहारों को कोयला का कोटा बांधा जाय। (१९) नावों का भी प्रबन्ध होना चाहिये। (२०) बाढ़-काल के लिये हर गांव में आबादी के हिसाब से पाखाने निर्माण कराये जायें।

[श्री चन्द्रबली]

अब कुछ सुझाव बाढ़ और कटाव को रोकने के लिये हैं--(१) घाघरा, राप्ती, बड़ी गन्डक, गौरी, छोटी गन्डक, कटने, बथुआ के कटाव को रोकने के लिये कटाव निरोधक योजनायें चालू की जायं। (२) घाघरा और राप्ती के निकास स्थानों तथा गंगा, जमुना, रामगंगा जो सिंचाई मंत्रीजी के इलाके को तबाह करती हैं, उनके पानी को पहाड़ में रोका जाय, जैसे पंजाब की सरकार ने किया है। जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गये हैं और बिजली की ताकत भी उन्हें मिल गई है। (३) राप्ती के दोनों किनारे एक फर्लांग गोरी, बथुआ, मझने, बसुहड़ा, तथा मझबकिया नाला के दोनों किनारे आधा फर्लांग परपवासों रैगूलेटरों के साथ तटबंधे लगाये जांय। (४) सभी बरसाती नालों में जैसे नकटा, कुर्ना, मझने, गोरी, तुर्री, परेन, में जंगल लगाये जांय तथा उनमें उगे जमुआ के पेड़ों को संरक्षण किया जाय। यह काम बहराइच पोलीभीत तक किया जाय। नारायणपुर की तगरी में रैगुलेटर लगाया जाय। (५) बागर के सभी खेतों की मेड़बन्दी कराई जाय तथा बरसात में उन्हें खाली न रहने दिया जाय। (६) देवरिया से लेकर बहराइच, पोलीभीत, बाराबंकी तक के सभी बरसाती नालों से गुजरने वाली सड़कें छबरों पर पुल बनवाये जायं। (७) नारायणी के पानी को रोहिनी और छोटी गंडक में आने देने से रोकने के लिये पयलहवा के पास ८ मील लम्बा बांध जो नैपाल बांध है, उसे निर्माण कराया जाय तथा उसे नियमित किया जाय। (८) पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ बाढ़ क्षेत्र के सभी ग्राम ऊंचे किये जायं। एक दूसरे गांव को रास्ता बनवाया जाय। (९) बाढ़ आयोग की स्थापना हो।

रूद्रपुर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये विशेष योजना बनायें। (१) रूद्रपुर-बाढ़ क्षेत्र में बिजली की लाइनें खींच दी जांय तो छोटे उद्योग बहुत फूट पड़ेंगे। (२) बरसात पूर्व फसलें उगाने के लिये नदी तट के गांवों को पंपिंग सेट दिये जांय और जहां उचित हो वहां ट्यूब वैल लगाया जाय। (३) गोरी, मझने, बसुहड़ा को भरा रखने के लिये दुहरौली खुर्द के पास गौरी में, मदनपुर के पास बथुआ में रैगुलेटर लगाये जांय। सिंचाई के लिये उपयोगी होगा यह। (४) कुर्ना नाला के पानी की निकासी के लिये रूद्रपुर-बरहज सड़क के सरया पुल के धरातल को १० फीट नीचा कराया जाय। (५) रूद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में १० ट्रेक्टर किराये पर चलायें जांय। (६) यातायात की सुविधा के लिये रूद्रपुर-नगवा सड़क को बीसों पुल पुलियों के साथ ठीक कराया जाय। तथा रूद्रपुर-गजपुर, रूद्रपुर-नकईकओर रूद्रपुर-खोरया सड़क भरवाई जाय। (७) राप्ती पर नगवारपास, करकौल, गौरी पर-नारायणपुर पिड़रा, मझने पर--हड़हो, समधौबाघाट, करिवहा मदनपुर, छोटी कटने पर डहरौली बुजुहा, पिपरा, भरोहिया, डाला, कैथबकिया, बेरूमारघाट, परबुध, पर---बेलवा डबोली, खोया कुर्ना पर खोरा राय और नकटा पर महराजगंज स्थानों पर पुल बनाये जांय। (८) गन्ने और जूट की खेती बाढ़ से पूर्णतया बरबाद नहीं होती है। इसलिये बाढ़ क्षेत्र में गन्ने और जूट की खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। (९) रुद्रपुर क्षेत्र में गुड़ विकास विभाग खोला जाय और खंडसारी को प्रोत्साहन देकर दोनों के लिये बाजार दिया जाय। (१०) रुद्रपुर में जूट एवं चीनी मिल खोली जाय। (११) भटनी-बरहज रेल लाइन को महेनबाबू, मदनपुर, रुद्रपुर, गाजीपुर नैसेही, इटकुना, झगहां, कुसमी होते हुये गोरखपुर तक बढ़ाया जाय। इससे राप्ती बाढ़ क्षेत्र में ५०० वर्ग मील के लोगों को विकसित होने का मौका मिलेगा। (१२) रुद्रपुर में दूध को प्रोत्साहन देकर दूध का कारखाना खोला जाय तथा उसके लिये बाजार दिया जाय। (१३) रूद्रपुर के बांगर एवं कछार में फल उद्योग को प्रोत्सहान देकर, मुरब्बे, अचार और फल संरक्षण के कारखाने खोले जांय। (१४) उस्का बाजार में साबुन का कारखाना खोला जाय। (१५) मछली उद्योग के लिये कुछ रास्ता निकाला जाय। (१६) रबी एवं खरीफ की फसलों को चराई कटई से रक्षा के लिये व्यापक व्यवस्था हो। (१७) कड़ुवा तेल उद्योग, दाल उद्योग को रुद्रपुर और मदनपुर में प्रोत्साहन दिया जाय। (१८) मझनपुर, नारायणपुर, अवस्थी, ईश्वरापुरा, गाजीपुर, मैसठी, कुरेली, निपटी, रुद्रपुर में हैन्डलूम को प्रोत्साहित किया जाय और इसके लिये विकास विभाग खोला जाय। (१९) अगर सरकार बाढ़ नहीं रोक सकती है तो हमको नुकसान का मुआवजा दे। वरना मालगुजारी न

देने के लिये हम अपने इलाके के लोगों को कहेंगे । जो सरकार बाढ़ से लोगों को नहीं बचा सकती है वह मालगुजारी लेने की हकदार नहीं है ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिल गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं गोरखपुर के उस क्षेत्र से आता हूं जिसका लगभग सम्पूर्ण भाग बाढ़ से डूबा हुआ है । वहां के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं । नारायणी के पानी का प्रकोप हमारे यहां बढ़ता जाता है । पहले राप्ती और रोहिनी के पानी से साधारणतया लोग पीड़ित हुआ करते थे और वहां भी बाढ़ की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है । गोरखपुर से बड़हलगंज जानेवाली सड़क के ऊपर २ फीट पानी बहता था और हमारे क्षेत्र में २२१ गांव पिछले साल प्रभावित हुये थे । इस वर्ष करीब ३०० गांव प्रभावित हुये हैं और बांगर का क्षेत्र भी बाढ़-पीड़ित गांवों में परिवर्तित हो गया है । मैं बाढ़ की विभीषिका का चित्रण करके सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता । जिन माननीय मंत्रियों से उसके बारे में कहना है उनमें से करीब करीब सब लोग वहां हो आये हैं । माननीय मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री और माल मंत्री, वित्त मंत्री जी तो हमारे साथ मोटर बोट में ही थे और ४०–५० गांवों का उन्होंने दौरा किया । उन्होंने बाढ़ को और गिरते हुये मकानों को स्वयं देखा और उसके फोटो भी लिये गये थे ।

बाढ़ के संबंध में दो बातें करना आवश्यक है । एक तो तात्कालिक सहायता और दूसरा बाढ़ के संबंध में उसके स्थायी नियंत्रण की बात । जहां तक स्थायी प्रबन्ध की बात है उसके संबंध में ले मैन की राय भी ली जा सकती है, कुछ जनता के अनुभव भी मालूम किये जा सकते हैं और विशेषज्ञों से राय लेकर योजना बनायी जा सकती है । इस प्रकार की जो योजना पूर्वी जिलों के लिये बने, उसके लिये सरकार को धन देना चाहिये ।

जहां तक तात्कालिक सहायता का प्रश्न है सरकार ने यथाशक्ति सहायता देने का प्रयत्न भी किया है । चना, तेल, दियासलाई आदि लोगों में बांटी गयी है लेकिन जो कुछ भी सहायता पहुंचाई गई वह बाढ़ पीड़ितों के लिये पर्याप्त नहीं रही और न हो ही सकती है । जब तक बाढ़ नियंत्रण की कोई स्थायी योजना नहीं बन जाती तब तक क्या हम इस तरह से चना आदि बांट कर ही अपने आपको संतुष्ट करते रहेंगे, यह हमें सोचना है । हमें अवश्य कोई ऐसी बात सोचनी चाहिये जिससे तात्कालिक लाभ हो सके ।

जहां तक बांधों का सवाल है, किन्ही कारणों से सही वे इस काम में अफसल रहे हैं । हां, जहां तक गांवों को पाटे जाने की बात है वह बहुत सफल रही है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गांवों को पाटे जाने की योजना बड़े पैमाने पर चलाई जाय । इस संबंध में एक कठिनाई है । जब गांव पटाने के लिये मिट्टी लेने का प्रश्न आता है तो गरीब लोग जो कि प्रायः गांवों के किनारे बसे होते हैं मिट्टी नहीं निकालने पाते । सरकार पहले किसी जमीन को एक्वायर कर ले और पूरा गांव किसी एक निश्चित स्थान से ही मिट्टी लेकर पाटा जाय । इसके अलावा एक ऊंचा प्लेटफार्म भी बनाया जाय । अब इस प्रकार से जो गड्ढा हो जायगा उसमें जो पानी भरेगा, वह गरमी में पशुओं के पानी पीने के काम आयेगा और उससे पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई भी हो सकेगी क्योंकि गरमी के दिनों में सिंचाई की भी एक समस्या रहती है । एग्रीकल्चर विभाग ने एक ऐसी पैडो का भी आविष्कार किया है जो गरमी के दिनों में भी, कम पानी से पैदा हो जाती है । यह तालाब गांवों के लिये एक छोटे रिजरवायर का काम करेगा और पंपिंग सेट से उससे सिंचाई भी हो सकेगी । वह सरकार हर गांव को सप्लाई कर दे । जब गांव इस प्रकार से ऊंचे हो जायेंगे, गरमी के दिनों में पानी और सिंचाई का प्रबन्ध हो जायगा और ये ऊंचे हुये गांव सड़कों से एक दूसरे से मिला दिये जायेंगे तो उन लोगों की परेशानी बहुत हद तक दूर हो जायगी ।

जहां तक नावों की व्यवस्था का सवाल है, सरकार की ओर से नावों की व्यवस्था की गयी । हर गांव सभा ने भी एक एक नाव का प्रबन्ध किया था, उससे अधिक वे कर नहीं सकती थीं, लेकिन फिर भी काफी नाव नहीं रही, और अधिक होनी चाहिये । हर ४०–५० घरों पर एक नाव की व्यवस्था होनी चाहिये । गांव सभायें और जनता इस काम को मिल कर करें और सरकार भी नावों के लिये अधिक अनुदान दें ।

[श्री रामलखन शुक्ल]

एक बात की तरफ और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार हर साल टैस्ट वर्क चलाती है। हर साल पूर्वी जिलों में बाढ़ आती है और हर साल टेस्ट वर्क चलाये जाते हैं। पार साल तक यह बांध कहीं बीच नहीं हुआ था। उस पर मिट्टी वगैरह डालने की व्यवस्था के संबंध में मुझे आपके द्वारा इस सदन के समक्ष एकाध बात निवेदन करनी है।

पहली बात तो यह है कि टेस्ट वर्क पर मजदूरी का जो अंग्रेजों के जमाने का पुराना रेट है जिसमें कहा गया है कि हम गरीबों को टेस्ट करने के लिये टेस्ट वर्क करते हैं, इस धारणा को अब बदलने की आवश्यकता है। उनकी गरीबी तो निर्विवाद है जिसे माननीय मंत्री महोदय लोग भी अपनी आंखों से देख आये हैं, उसका वर्णन करने की यहां आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसका रोमांचित चित्र उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं है। जो लोग भी उधर गये होंगे उन्होंने उस चित्र को देखा होगा। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि लोग खपरैल की छत के ऊपर अपने परिवार के साथ बैठे हुये थे, कहीं लोग बरामदे में अपने परिवार के साथ बैठे हुये थे और उनके बगल में ही सांप भी बैठा हुआ था। ऐसे चित्र तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, तो उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कुछ दिन पहले तक दूसरों को खिलाने की पोजीशन में थे वे आज दरिद्र हो गये हैं और दूसरों के सामने हाथ फैलाने में वे जरा भी नहीं हिचकते। जब किसी नाव को कहीं से आते हुये देखते हैं तो गांव के आबाल वृद्ध यह सोच कर कि राशन है, चिल्लाने लगते हैं कि इधर लाओ, इधर लाओ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय सदस्य कहई मझगांवां के बारे में भी बतला दें।

श्री रामलखन शुक्ल---उसके बारे में भी मैं अभी आपको बतलाऊंगा। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गरीबी है, परेशानी है यह तो निर्विवाद है। उस इलाके की जनता नावों को देख कर राशन की आशा में चिल्लाने लगती है। इसलिये आज आवश्यकता यह है कि उनको जीवनयापन के लिये उचित मजदूरी दी जाय। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इंजीनियर्स महोदय लोग जो कुछ भी कार्य होता है, हमारी उस बनी हुई चीजों को बर्बाद कर देते हैं। वे अपनी एक ओपीनियन से, अपने एक स्ट्रोक आफ पेन से जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। उनसे मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में वे शीघ्रता से अपने टेस्ट वर्क की जांच कर लें।

दूसरी बात यह है कि ओवरसियर साहबान जो जाते हैं वे १५-२० दिन तक मजदूरी का हिसाब नहीं देते हैं। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं और अपना हिसाब किताब लगाने में विलम्ब कर देते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मजदूरों की मजदूरी जो गरीबी के मारे हुये हैं, और बाढ़ पीड़ित हैं, नित्य संध्याकाल को मिल जाया करे।

जहां तक बांध के बनाने की बात है, मैं अपने गोरखपुर क्षेत्र की बात कहता हूं कि वहां कई बांध बने और जनता के सहयोग से बने लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस क्षेत्र के एक मलावां बांध को छोड़ कर करीब आधा दर्जन बांधों को इंजीनियरों ने अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि ये नदी के कटाव में आते हैं। वहां पर नावों के जरिये लोग अपने अपने घर में जाते हैं और वहां की दुर्दशा का कारण इस सरकार के इंजीनियर महोदय ही हैं। भौनापार बेला बांध बनाने की जो मांग है वह बहुत सी उपयुक्त मांग है लेकिन सरकार के इंजीनियर महोदय ने कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कनइल मझगवां कैंची बांध भी आवश्यक है, अभी मैं १६ अगस्त को वहां गया था, १७ अगस्त को फिर बारिश हुई और १८ अगस्त को नदी से वहां पानी आ गया। इस तरह के कामों में विलम्ब करने से सरकार का जो रुपया पहले खर्च हुआ होता है वह भी बर्बाद हो जाता है। इसलिये इस बांध को बनवाने की आवश्यकता है।

जहां तक कटाव का प्रश्न है, जब ठोकर बनाने की बात होती है तो इंजीनियर लोग कहते हैं कि उसका असर मलोनी बन्धे पर पड़ेगा। अगर गोरखपुर को आपको बचाना है तो उसके लिये पक्का रींग बांध बना दीजिये लेकिन मलौनी बांध के नाम पर भौवापार क्षेत्र को बर्बाद न कीजिये। करीब ढाई मील तक यह बांध बन चुका था। मेन यूटीलाइजेशन स्कीम के मातहत यह काम होना था और बाढ़ विभाग में भी इसे अप्रूव कर लिया था लेकिन फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड ने उसकी इजाजत नहीं दी और ढाई मील तक बांध बनने के बाद उसे रोक देना पड़ा। लाखों घन फीट मिट्टी उस पर पड़ चुकी थी, और जनता ने लाखों रुपये चन्दे के रूप में उसके लिये दिये थे लेकिन चूंकि फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड की राय नहीं है इसलिये यह काम बन्द कर दिया गया। मेरा मतलब यह है कि इन बातों को यदि करना है तो इन की पहले से छानबीन हो जाय, हम भी जान लें हम से भी राय ली जाय। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब सर्वेक्षण हो तो हमें भी उसकी इत्तला दी जाय, हम भी उस में साथ रहें ताकि जनता की राय प्राप्त हो सके। मान्यवर, आदमियों की सहायता तो की गयी। आदमी वहां करीब २,००० के इवकुयेट किये गये और हर प्रकार से उनके खाने पीने आदि की व्यवस्था हो रही है परन्तु पशुओं के चारे की समस्या बहुत गम्भीर है। महाराजगंज में जंगल के किनारे पशुओं के चारे के लिये जंगल खोल दिया गया है लेकिन सदर और बांसगांव तहसील में वह मवेशी भूख से मर रहे हैं। क्योंकि यहां कोई जंगल नहीं है। मनुष्य तो कस्बों के पास फैल जाते हैं और तरह-तरह के इन्तजाम उनके लिये हो जाते हैं लेकिन पशु जिनके बल पर हमारी खेती चलती है उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। इस तरफ मैं सरकार का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मेरा इस संबंध में स्पष्ट सुझाव है कि गोरखपुर शहर के दक्षिण भाग में सहजनवा, बर्डघाट, डंवरपार, कौड़ीराम, गगहा और बड़हलगंज आदि ग्रामों में भूसे के सेन्टर खोले जाने चाहिये जहां पर कि ट्रान्सपोर्ट चार्ज न लेकर सस्ता भूसा लोगों को चारे के लिये मिल सके।

इसके अलावा हमारे यहां बर्डघाट फेरी का जो घाट है वहां पर इस बाढ़ में जो किराया पहले ५ पैसे नाव का होता था और उसी दिन लौटने पर फिर नहीं पड़ता था वहाँ आज एक तरफ का किराया ४ आना हो गया है और लौटने पर फिर दूसरे ४ आना लिये जाते हैं। मैं इस तरफ विशेष रूप से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। अगर गोरखपुर शहर से ५-६ मील से कोई दूध, पत्तल, मट्ठा, सब्जी बेचने के लिये गरीब आदमी आता है तो उसको पहले ८ आना किराये का प्रबन्ध करना पड़ता है तब वह १ रुपये का दूध शहर में आकर बेच सकता है। इस तरह की व्यवस्था बन्द होनी चाहिये। ५-६ मील की दूरी के लोग जो रोज आते-जाते हैं, उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो उसी दिन लौटेंगे उनसे केवल एक बार ही किराया पड़ेगा।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि हमारे जिले का दक्षिण का भाग शहर के ४० मील लम्बा और १२ मील चौड़ा तक बर्डघाट से बड़हलगंज तक एक प्रकार का समुद्र जैसा हो जाता है। मेरा सुझाव है कि बांसगांव तहसील के लिये एक मोटर बोट का प्रबन्ध किया जाय जो कि समूचे बाढ़क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। इन शब्दों के साथ, मैं आप की लाल बत्ती से आगाह हो कर अब समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और यह चीज निर्विवाद सिद्ध हो गयी कि पूर्वी जिलों में बाढ़ की जो विभीषिका रही उसको मंत्रिगण, सरकार और सदस्यों ने सभी ने देखा। मुझे केवल दो बातें कहनी हैं इस विषय में कि पूर्वी जिलों में खासतौर से सबसे अधिक तबाह जिला बस्ती है और वहां बाँसी और नौगढ़ तहसीलें विशेषकर बरबाद होती हैं। वहां का तीन चौथाई भाग बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। और इस जिले का सरकार की तरफ से कम खयाल भी किया जाता है। सरकार इस की तरफ हमेशा अपनी दृष्टि नहीं डालती इस का कारण तो वह स्वयं समझ सकती है। इस विषय में मैं केवल २ चीजें कहूंगा कि एक तो यह कि इस का कारण क्या है कि वहां हर साल इस तरह से बाढ़ आती है और किस तरह से उसको दूर किया

[श्री जगदीश]

जा सकता है और दूसरे किन गलत योजनाओं के कारण इतनी तबाही इन दोनों तहसीलों में होती है। इन दोनों तहसीलों में विशेषतया सरकार जो करती है वह तो करती है लेकिन सरकारी कर्मचारी भी कम अन्याय नहीं करते। भगवान की दी हुई बाढ़ होती है उसके अलावा सरकार की बाढ़ भी इन दोनों तहसीलों में आती है। इस तरह से यह जिले ऊंचे हिस्से पर स्थित हैं जहां से नदी आगे चल कर नीचे होकर बहती थी, उन स्थानों पर गोरखपुर जिले में उसका पानी रोकने के लिये बांध ऐसी गलत जगह बनाये गये हैं। जिनकी कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई गई थी। सिर्फ क्षेत्रीय योजना के आधार पर बांध बना दिये गये जिससे बस्ती जिले को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा पैदा की हुई बाढ़ हट सकती है अगर सरकार ध्यान दे। जिस तरह से तमाम योजनायें कागजों पर बनती हैं और जबानी कार्यान्वित होती हैं उसी तरह से तमाम आश्वासन मिलते हैं जो कागजों के पेट में ही अधिकांशतः खत्म हो जाते हैं। मुझे जहां तक देखने का मौका मिला उससे सरकार की रिपोर्ट में जो बात कही गई है अधिकांशतः गलत लगती है और सत्यता १ या २ प्रतिशत ही है। रिपोर्ट में कहा गया कि बस्ती जिले में सिर्फ ४ मकान गिरे। लेकिन मैंने स्वयं जाकर गांवों में घूमकर देखा थोड़ा इलाका। कुछ गाँवों में गिरे हुये मकानों की संख्या पढ़ना चाहता हूं उसका बाजार में १२ मकान, बगहियाताल में ४, गायघाट में १२, नटवा ताल में ५, बंजरहा में १०, टीकुर में ३, डुमरिया बुजुर्ग में ५, टडिया बाजार में ७, मवरी में ५। इसी तरह और तमाम गांवों में बहुत से मकान गिरने की सूचनायें आयीं। दोनों ही तहसीलों में सैकड़ों मकान गिरे हैं।

नावों की जो व्यवस्था रिपोर्ट में कही गई, मैंने बांसी और नौगढ़ तहसील में देखा है, मुश्किल से ४–४, ५–५ नावें थीं जब कि रिपोर्ट में बहुत लम्बी संख्या बतायी गई है। इस तरह सरकार के अधिकारियों ने जनता को सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित किया है यह बहुत ही निन्दनीय है। जो तत्काल सहायता सरकार द्वारा दी जाती है उनमें निम्नांकित चीजें बताना चाहता हूं, अगर इन चीजों की व्यवस्था कर दी जाय तो किसानों का कुछ कल्याण हो सकता है।

सबसे पहले वहां मवेशियों के चारे का इन्तजाम होना चाहिये। सरकार ने यद्यपि बहुत ही न्यून मात्रा में चना आदि बांटा, लेकिन चारे के नाम पर सरकार ने जो सन्नाटा साधा यह कह कर कि चारे की कमी नहीं है, बहुत ही निन्दनीय है। माननीय वित्त मंत्री जी ने देखा होगा मीलों के इलाके में समुद्र ही दिखाई देता था, कहीं हरी चीज नहीं दिखाई देती थी। इन्सान तो भीख मांग कर, मेहनत करके खा सकता है लेकिन जानवर बेचारे क्या खायें, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसलिये सरकार को तत्काल कुछ चारे की व्यवस्था करनी चाहिये। क्षेत्र में जहां फलड सेन्टर्स हैं, जो बड़े बाजार हैं, घनी आबादी है, वहां सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जानी चाहिये। एक ऊंची दर पर टैस्ट वर्क होना चाहिये। अब टेस्ट करने की बात नहीं रही गरीबी को। सरकार स्वीकार कर चुकी है कि जनता गरीब हो रही है तो उसे उचित मजदूरी दी जाय। विद्यार्थियों की फीस के बारे में सभी सदस्यों ने जोर दिया कि हर कक्षा की मार्च तक की फीस माफ की जाय।

इन क्षेत्रों में तमाम सड़कें और तमाम बंधे टूट गये हैं। उनकी मरम्मत कराई जाय और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी पा कर भी काम नहीं कर सकते, उनके लिये दान की व्यवस्था अगली फसल तक के लिये की जाय ताकि जाड़े के मौसम में अपना निर्वाह कर सकें।

मकान जैसा कि मैंने कहा सैकड़ों की तादाद में गिर गये हैं उनके लिये सरकार कुछ सामान की व्यवस्था करे। कुछ रुपये लम्बे ऋण की शक्ल में किसानों को दिये जायं तो उन का भला हो सकता है। जो वसूलियां आज भी हो रही हैं उनके रोकने के लिये अब भी कुछ व्यवस्था की जाय तो किसानों का कल्याण हो सकता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी पटवारी रिपोर्ट करता है कि गांव में १६ आने छूट हो तो ऊपर के अधिकारियों द्वारा ४, ६ मर्तबा छूट का पर्चा लौटाया जाता है कि उसमें कुछ कमी करो।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—ऐसी बात नहीं है।

श्री जगदीश—उनको हिदायत दी जाय कि सही सही रिपोर्ट वह किया करें ताकि जनता का कल्याण हो सके। इस तरह से बंधे न बांधे जांय कि जब तबियत में आया उनको कटवा दिया और जिसके फलस्वरूप बस्ती में गोली चली। इस तरह के बांधों को कदापि न बांधा जाय। इसके लिये विस्तृत रूप से बड़ी योजना बनाई जाय ताकि किसानों का भला हो सके। बंधे टूटने से बड़ी क्षति किसानों की होती है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। बांसी पनघटिया घाट को ऊंचा किया जाय। बांसी बांध में अभी ३-४ लाख रुपया खर्च हुआ है। २०० गांव प्रभावित हुये हैं। टूट जाने से सारी खेती पानी के नीचे आ गयी है। उस बांध की मरम्मत की जाय दूसरे उसका हधिवडताल-छितरा-पार तक बांध बनाया जाय।

मेंहदावल-उस्का सड़क, वसो टडिया से उस्का की सड़क, उस्का-सोहास, राजे डीहा-उस्का सड़क, धर्म सिंहवा से बांसी की सड़क तुरन्त पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनवाई जाय। बाढ़ आने से इन सड़कों में दरारें पड़ जाती हैं और किसी तरह चलने लायक नहीं रहतीं। अगर ये सड़कें बन जायंगी तो बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने-जाने में जो असुविधा होती है वह न होगी। फिर जहां तहां बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है वह दो-तीन महीने तक नहीं निकलता और पानी भरा रहने से पहली फसल तो बाढ़ से नष्ट हो जाती है, और दूसरी इससे बोये बिना रह जाती है। इसके लिये हधीवड ताल से पानी को निकासी के लिये खुदाई की जाय तथा नटवा ताल और बंजरहा बुजुर्ग से भी पानी निकालने का प्रबन्ध किया जाय। बंहरहा बुजुर्ग पर तो विशेष तौर से कोई काम नहीं हो सका है जिसके लिये व्यवस्था की जाय। उसमें सिंचाई विभाग की गलती के कारण वाटर का कोर्स ऐसा रोक दिया गया है कि कोई सौ एकड़ से ज्यादा जमीन बिना बाढ़ के ही पानी से तबाह हो गयी है। उसके लिये मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बंजरहा प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत गलत खुदाई के कारण वाटर लागिंग हो गया है, उसकी तुरन्त व्यवस्था करें ताकि वहां रबी की बुवाई हो सके।

इसके अलावा सब से आसान और सुन्दर हल यह है कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे बाढ़ क्षेत्र में लगाये जायं जैसे उस्का बाजार है, वहां कागज, नाव, दियासलाई, खिलौने इत्यादि के कारखाने लगाये जा सकते हैं। वहां चीनी मिल भी लगायी जा सकती है। ऐसा करने से जो विकास और नियोजन के नाम पर सरकार का पैसा बरबाद हो रहा है वह सही काम में लग सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों में जौनपुर जिला भी एक बदकिस्मत जिला है जो कि हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है, उस जिले में भी हमारा क्षेत्र, जिसमें पीली और गोमती नदियां बहती हैं, प्रति वर्ष बाढ़ से पीड़ित रहा करता है। इस समय करीब दो दर्जन गांव पानी से बिल्कुल भरे हुये हैं और खास कर के साहपुर, अहियापुर, कसहा इत्यादि गांवों की फसल बिल्कुल डूबी हुई है और तीन गांवों के मकानों तक पानी पहुंच गया है। पिछले कई सालों से लगातार ये गांव बाढ़ से डूब जाया करते हैं। जौनपुर के पुल पर जब २० फीट ही पानी हो जाता है तभी से इन गांवों में पानी आ जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि बलुआ और साहपुर गांवों के बीच में एक नाला है उससे गोमती नदी का पानी करीब इन १५ गांवों में चला जाता है और वहां की फसल डूब जाया करती है। अगर इस नाले पर एक रेगुलेटर फाटक लगा दिया जाय तो जौनपुर के पुल पर चाहे २५ फीट भी पानी हो जाय फिर भी इन दो दर्जन गांवों की फसल बचाई जा सकती है।

[श्री मातादीन]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मालगुजारी में छूट दिये जाने का जो नियम है उसके हिसाब से जिस गांव की आधी या आधी से ज्यादा फ़सल बरबाद हो जाय वहां के लगान में छूट दी जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि तिहाई फ़सल ही डूबी मगर कुछ किसानों की आधी या पूरी फसल नष्ट हो जाती है लेकिन नियमों के अनुसार उनको लगान में छूट नहीं दी जाती है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जिन किसानों की फ़सलें पूरी या आधी से ज्यादा बरबाद हो जाया करें उन्हें भी लगान में छूट देने की व्यवस्था करें। पिछले साल जब बहुत जोरों की बाढ़ आयी थी तो हमारे क्षेत्र में केवल तीन गांवों में इस नियम के कारण छूट दी गयी थी और बाकी २०–२२ गांवों को नहीं दी गयी थी हालांकि उनमें कुछ ऐसे किसान थे जिनकी सारी फसलें बरबाद हो गयी थीं।

इसके अलावा हमारे यहां उदयीपुर, दीपी और वीरमपुर ऐसे गांव हैं जो सवाई नाला और गोमती के बीच में पड़ने के कारण हर साल डूब जाया करते हैं और कुछ लोगों के मकान भी गोमती नदी के कटाव में आ गये हैं। वहां के लोग और मैं पिछले सालों में जिलाधीश से मिले थे। और उन लोगों ने जिलाधीश से यह मांग की है कि हम लोगों को ऊंची जमीन पर जगह दी जाय। वहां पर हम लोग अपने मकान बना कर रहेंगे। लेकिन हम को अफसोस है कि पार साल से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके प्रति साल मकान डूब जाया करते हैं, उन्हें ऊंचे स्थान पर बसा कर उनकी जानमाल की रक्षा की जाय। यह क्षेत्र ऐसा है, खास कर बदलापुर ब्लाक में पीली और गोमती नदियों के कारण कोई रास्ता नहीं है। शाहगंज से पिलकिछा आने का रास्ता है गोमती के दक्षिण तरफ २०–२५ गांव पीड़ित रहते हैं। सहायता पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। बदलापुर से घनश्यामपुर होकर पिलकिछा को कच्ची सड़क गयी है। अगर इस सड़क को पक्की बनवा दें और पीली नदी पर पुल बनवा दें तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को आसानी से सहायता पहुंचायी जा सकती है। एक चीज और है। शाहपुर गांव सबसे नीचा है। दूसरी ओर अंगुनी गांव है जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के घाट हैं। ठेका दे दिया जाय तो नदी को पार करके उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक वैधानिक अड़चन आ गयी है कि एक मील पर, थोड़ी दूर पर दूसरा घाट है इस वजह से कुछ दिक्कत है। उसके लिये जिला परिषद् द्वारा सरकार के पास मांग आयी है कि उस घाट को भी मान्यता दी जाय ताकि लोग बाढ़ के समय भूसा आदि लाकर अपने जानवरों को खिला सकें और अपनी भी रक्षा कर सकें। सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि जब यह गांव डूब जाया करते हैं तो वहां के लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। नाव पर चढ़ कर एक एक दो दो मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। बाढ़ में डूब जाने के कारण सारे कुएं नष्ट हो जाते हैं और पानी पीने का कोई साधन नहीं रहता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ऐसे जो कुएं हैं उनकी मरम्मत करवायी जाय और उसके लिए विशेष अनुदान दी जाय, उनकी जगत खूब ऊंची की जाय और उनको पक्का करवाया जाय तो कम से कम आपत्तिकाल में पानी शुद्ध पीने के लिए तो मिल जाय। बाढ़ के समय में वही बाढ़ का पानी पीते हैं, और बाढ़ खत्म होने पर बीमार पड़ते हैं इसलिए ऐसी कोई योजना रखनी चाहिए कि ऐसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कुओं की मरम्मत करायी जाय, उनको ऊंचा किया जाय और उनको पक्का बनवाया जाय।

हमारे जिले के बहुत से ऐसे हिस्से हैं, जैसे शाहगंज तहसील में गूजर ताल है और बरेला ताल है। मछली शहर ताल में जहां हजारों एकड़ फसल हो सकती है, लेकिन पानी का कोई निकास न होने के कारण डूबे रहते हैं। प्रति वर्ष उनकी फसलें बरबाद हो जाया करती हैं। उन तालों के निकास का भी प्रबन्ध करना चाहिए। जब जिले की बाढ़ कमेटी की मीटिंग हुई तो वहां यह सवाल उठाया गया, तो पता चला कि हमारे जिले में इस साल गांवों को ऊंचा करने के लिए कोई धन सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो नीचे हैं उनको ऊंचा करने

की आवश्यकता है। लेकिन अब सरकार ने इस ओर कम ध्यान देना शुरू कर दिया है। हमारे जिले में बाढ़ ग्रस्त जो गांव हैं उनको ऊंचा करने के लिए कुछ धन दिया जाय ताकि ऐसे गांवों को ऊंचा किया जा सके। तो मैं इन शब्दों के साथ, अपने क्षेत्र की समस्या को रखता हूं और एक चीज और आखरी यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में मान्यवर, जौनपुर शहर में गोमती का जो पुल है वह पिछली बार की बाढ़ में खतरनाक घोषित कर दिया गया था। उस पर आवागमन रोक दिया गया था और वह कई जिलों को मिलाने वाला एकमात्र रास्ता है। तो माननीय मन्त्री जी को वहां एक दूसरा पुल बनवाने की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकबरी जमाने का, कई सौ साल पहले का बनवाया हुआ वह पुल है। अगर कोई दूसरा पुल बनवाने की शीघ्र व्यवस्था न की गई तो ऐसा भी समय आ सकता है कि वह आवागमन का रास्ता जो कई जिलों को मिलाता है वह बन्द हो जायगा। इसलिए माननीय मन्त्री जी गोमती नदी पर वहां एक दूसरा पुल बनवाने की तरफ भी ध्यान दें।

राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन को बता देना चाहता हूं और सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि देवरिया जिला जो कि बाढ़ से हर साल तबाह होता है, जहां लोग भुखमरी, गरीबी के हमेशा शिकार रहे हैं, मैं वहां से आता हूं। अभी हाल में माननीय राजस्व मन्त्री और माननीय वित्त मंत्री भी उस इलाके का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने वहां की स्थिति देखी है लेकिन सिर्फ स्थिति देखने से और दौरा कर लेने से तो काम चलेगा नहीं। इसके लिए कोई उपाय ढूंढ़ना पड़ेगा। आज चौदह वर्षों से हम लोग सब्र कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद और आशा से अपनी सरकार की तरफ निगाह लगाये हैं कि वह देवरिया और गोरखपुर जिले जो बाढ़ से हर साल तबाह होते हैं उनके लिए क्या उपाय ढूंढ़ रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है यह आपके सामने है। बाढ़ हर साल आती है और सरकार चना बांट देती है। चना बांटने की बात जब मैं देखता हूं देहात में, तो मुझे मन्दिरों की बात याद आ जाती है। पुण्य स्थलों में लोग बन्दरों को चना बांटते हैं और लोग कहते हैं कि उससे बड़ा पुण्य होता है। आज वही स्थिति देहातों में है। मैं आपको बताऊं कि सौ, सौ, दो दो सौ घरों के बीच में दो दो मन चना बांटा गया है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं साबित कर सकता हूं कि किस तरह से देहात में ये सरकारी कर्मचारी और इनके साथी भूल करते हैं और किस तरह से घांधली करते हैं और आप सोचें मान्यवर, कि जब कि हम धैर्य की उस सीमा को पार कर लेंगे तो क्या होगा? "बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्।" मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं—हमारे जिले में एक तहसील है सलेमपुर, और सलेमपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो कि अन्तरप्रान्तीय सड़क है जो बिहार और यू० पी० को मिलाती है, वहां उस पर नदावर घाट पर एक पुल बना हुआ है जो कि एक विशेष टेकनीक से बनाया गया है। वह विशेष टेकनीक यह है कि और पुलों पर तो मनुष्य और सवारियां चलती हैं, लेकिन उस पुल पर हर साल बरसात के दिनों में नावें चलती हैं। मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा कि जो और सब पुलों पर सवारियों और मनुष्यों के चलने की सुविधा है वही सुविधा हमें भी प्रदान करने की कृपा करें। सलेमपुर के बारे में जो आपकी रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि सलेमपुर तहसील में एक जगह सड़क टूटी है। लेकिन मैं उस इलाके का दौरा करके आया हूं और मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ सड़कों पर खुद राजस्व मंत्री नहीं जा सके थे, वह खुद सलेमपुर गये थे, लेकिन लार भामलपुर इत्यादि जगहों पर नहीं पहुंच सके थे। सलेमपुर, लार सलेमपुर घाटपार और बरहज रुद्रपुर सड़क टूट गई है। इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और इसमें दिखाया गया है कि सिर्फ गौरा बरहज की सड़क टूटी है। मान्यवर, मकानों के गिरने की समस्या के बारे में बहुत कम ब्योरा दिया गया है। जहां तक नाव की कमी का सवाल है अभी एक माननीय सदस्य ने, जो गोरखपुर से आये थे, बतलाया कि हमारी सभी गांव सभा में

[राजा अवधेशप्रताप]

नाव दी गई थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी तरफ २०, २० गांव सभाओं के बीच एक नाव दी गई थी। अगर मेरी बात को गलत माना जाय तो इसकी इन्क्वारी करा लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—शायद वह इसके लिये तैयार न रहे हों।

राजा अवधेशप्रताप—तो मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया कम से कम नदियों के किनारे बसने वाले लोगों को नाव की सुविधा तो प्रदान करें। अगर उनकी सम्पत्ति की रक्षा हर साल न हो सके, उनकी फसल की रक्षा हर साल न हो सके तब तक के लिये उनके जान माल की हिफाजत तो होनी चाहिये और उनके बच्चों को डूबने का अवसर नहीं होना चाहिये कि वह डूब कर मरें। आप सोचें कि लोग मुश्किल से पेड़ों पर बिच्छू और सांप के साथ ७ दिन तक टंगे रहे और उनके डर से लगातार परेशान रहे। नाव पहुंचाई गई तो उनको उतारा गया। बराबर आपके अधिकारियों के पास तार भेजे गये और पत्र भेजे गये लेकिन उनका जवाब कोई नहीं आया। आप यहां पर बैठ कर कहते हैं कि आज विरोधी लोग बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं, वहां पर पर्याप्त सहायता है। आपकी रिपोर्ट में बतलाया गया है कि सबको सहायता पर्याप्त रूप से पहुंचाई गई है। जिस रूप में सहायता पहुंचाई गयी है वह हालत जनता जानती है। मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री ने एक इलाके का दौरा किया और दौरा किस प्रकार किया? मैंने माननीय राजस्व मंत्री से अनुरोध किया था कि आप थोड़ी दूर तक नाव पर बैठें और गांवों की हालत देखें.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस वक्त कितने बजे थे। उस समय सूर्य छिप रहा था या नहीं?

राजा अवधेशप्रताप—मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन पानी से उनको डर लगा हमारे राजस्व मंत्री को शायद। मान्यवर, मैं जब इन नेताओं के दौरे देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है कि—

कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।

अब मैं आपके सामने कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या जो है वह छोटी गंडक की है। वह छोटी गंडक बहुत छोटी-सी नदी है। उसका पेटा बहुत छोटा है। उसमें लगभग २० नाले आकर मिलते हैं। उन नालों से इतना पानी आ जाता है कि वह इलाका समुद्र का दृश्य हर साल उपस्थित कर देता है। तो जब तक उन नालों की व्यवस्था नहीं की जायगी, उन नालों को रेगुलेट करने या बांध ने इत्यादि की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह सोचना कि नैपाल का बांध बन जाने से छोटी गंडक की समस्या हल हो जायगी यह बेकार सी चीज है। नैपाल का बांध बंधे, यह जरूरी है लेकिन जब तक इन छोटे-छोटे नालों का प्रबन्ध नहीं किया जायगा जो छोटे छोटे नाले इसमें आकर गिरते हैं तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। बहुत ही बातों किसानों के सम्बन्ध में कही गईं। एक बात मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वह यह है कि किसानों के पास इस समय दो समस्या है। उनके लिये रोजी और रोटी की समस्या तो है ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके गन्ने के खेत, उनकी खरीफ की फसल के खेत खाली हो गये हैं। किसान जिसमें रबी बोया करता था वह भी खेत खाली हो गये हैं। अब तीनों खेत उसको एक साथ बोना पड़ेंगे। अब १० एकड़ की जगह उनको ३० एकड़ में बोना पड़ेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार उनकी बीज की समस्या, उनके लिये चारे की समस्या की तरफ तुरन्त ध्यान दे और इसके लिये समुचित व्यवस्था करे। ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सरकारी कर्मचारी कोई धांधली न मचा सकें। श्रीमन्, आपके द्वारा इन शब्दों के साथ, मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय और उस पर काम भी किया जाय।

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—उपाध्यक्ष जी, यह बाढ़ का विषय तो बहुत ही तकलीफ देह है। जिन इलाकों में बाढ़ आती है, वहाँ की स्थिति तो और भी हृदयविदारक होती है। मुझे भी इस सरकार में काम करने और रहने का मौका पिछले १०–१२ सालों से हुआ है। मेरा शुरू से ही संबंध सिंचाई विभाग से रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, उसे आप सुन लें। यह अधिक उचित होता कि जब सभी माननीय सदस्य बोल लेते और उस बाढ़ के विवाद में भाग लेते, तब माननीय सिंचाई मंत्री जी बोलते, सब की बातों का समावेश हो जाता। इस पर आप कुछ व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय तो माननीय माल मंत्री का है और वह तो अन्त में बोलेंगे ही, परन्तु बीच में दूसरे मंत्री जी अगर इंटरवीन करते हैं तो उसमें क्या अंतर पड़ता है।

श्री राममूर्ति—यह तो सही है कि आखिर में माल मंत्री जी बोलेंगे ही। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन इलाकों के अन्दर बाढ़ आती है, मैंने देखा है कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है। यद्यपि मैं जिस जिले से रहता हूं वहाँ अकसर बाढ़ नहीं आती है, लेकिन जब कभी भी आती है तो उससे जनता को बहुत परेशानी होती है। मैंने उनके कष्ट स्वयं अपनी आँखों से देखे हैं। मैं भी एक जमाने से पोलिटिकल एंड सोशल वर्कर रहा हूं। मैंने लोगों की तकलीफों को स्वयं देखा है और महसूस किया है। जान माल के अलावा जायदाद और फसलों की भी बरबादी होती है। जिन इलाकों में बाढ़ के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, अर्थात् जहाँ वाटर लागिंग हो जाती है, वहाँ फसलें बोने से रह जाती है। बहुत सी नदियाँ ऐसी होती हैं जो खराब मिट्टी अपने साथ लाती हैं। खेतों में बालू भर जाती है। वह सारे इलाके को बरबाद कर देती है। जिन गाँवों की जमीन कट जाती है वहाँ जीविकोपार्जन का सिलसिला खत्म हो जाता है। यह सब बातें बड़ी ही तकलीफदेह हैं।

मैं एक बात आपको और बता दूं कि यह बाढ़ें कोई नयी नहीं हैं बल्कि यह हमको अनादि-काल से तकलीफ दे रही हैं। मनुष्य उनसे बचने का प्रयास भी करता आया है। मैं आपको बताऊं कि अब तो हम आजाद हो गए हैं परन्तु इससे पहले भी लोगों ने छोटे-छोटे बांध बनाये थे और जो भी संभव उपाय हो सकते थे वह किये गये। उस समय हम गुलाम थे। हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती थी और लोग बाढ़ को एक दैवीय संकट समझते थे। लेकिन जब से हमको स्वराज्य मिला है हमारी दृष्टि एक कल्याणकारी राज्य को बनाने की ओर गई है। तब से यह सरकार भी बाढ़ों पर नियंत्रण रखने में और हर सम्भव उपायों को सोचने में प्रयत्न-शील है। मैं यह जानता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इस काम में ध्यान दे रही है। जब से सृष्टि रची गई है तब से ही यह बाढ़ें मानव जाति को पीड़ित करती रही हैं।

आप देखें कि सभी मुल्कों में बाढ़ें आती हैं। वह देश जहाँ पानी बहुत बरसता है बाढ़ भी वहाँ आती हैं। जैसे अमेरिका, चीन, बर्मा, सीलोन आदि में। तो इसी तरह से हमारे मुल्क में भी बाढ़ आती हैं। हमारे प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसी है कि उत्तर में हिमालय पहाड़ और दक्षिण में विन्ध्याचल है जिसके कारण वर्षा अधिक होती है। हमारे प्रदेश की नदियाँ भी बड़ी भयंकर होती हैं बरसात में, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, नारायणी, घाघरा, छोटी और बड़ी गंडक तथा टोंस आदि नदियाँ। आप देखें कि हमारा प्रदेश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के साथ-साथ यहाँ नदियों का भी जाल सा बिछा हुआ है। जब बाढ़ आती है तो हमारी बरबादी होती है। आज कल की बाढ़ों के लिये हमारी सभ्यता और आज का मनुष्य भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। पहले जमाने में बाढ़ को जंगल रोक लेते थे। पर अब तो जंगल कट गए और उसको रोकने का कोई कुदरती इंतजाम रहा नहीं है। रेलवे लाइनों के लगातार बनने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। उसका कोई कायदे का इंतजाम अभी नहीं हुआ है। जितनी ये चीजें अपनी सहूलियत की बन रही हैं उससे उतना ही कुदरती बहाव पानी का अवरुद्ध होता जाता है। साथ ही एक अजीब जहनियत है इंजीनियर्स की कि जब कोई योजना बनाते

[श्री राममूर्ति]

हैं तो इस ख्याल से बनाते हैं कि कम दामों में बन जाय। इस तरह से पानी के निकास के रास्ते छोटे बना दिये जाते हैं, उससे पानी अवरुद्ध होता जाता है और वाटर लागिंग हुआ करता है। प्रदेश में ही नहीं, हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में ऐसा हुआ करता है। फिर जिस जिस इलाके में तकलीफ बढ़ी तो पानी के रास्ते बढ़ाने पड़ते हैं, साइफन बनानी पड़ती है। पश्चिमी जिलों में सड़कें बरबाद हुई, रास्ते चौड़े किये गये, पुल बनाये गये। जो काम २५ साल पहले नहीं किये गये वह हमको करने पड़े। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बाढ़ों के अव्यवस्थित करने में आदमी ने भी अपना हाथ लगाया है। अब कोशिश की जाती है कि ठीक किया जाय लेकिन खराबी तो है ही।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—इंजीनियर्स की जहनियत बदलने की कोशिश की जायगी ?

श्री राममूर्ति—यह आप खयाल रखें कि हम सब इस बात की कोशिश में रहते हैं कि जो खराबियां हैं उनको दूर किया जाय। हमको खुशी नहीं होती, न और किसी विभाग के लोगों को खुशी होती है। लेकिन चूंकि हम टेक्निकल आदमी नहीं, जब खराबी होती है और निगाह के सामने आती है तो दुरुस्ती की कोशिश की जाती है। इतनी हममें लियाकत नहीं है कि पहले से अन्दाजा लगा सकें कि कहां वाटर-वे होना चाहिए, कहां नहीं।

जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है, हमारे यहां पूरब के जिले ऐसे हैं कि जहां बाढ़ ज्यादा आती है और उसकी वजह यह है कि जमीन का ढाल बहुत ही कम है। बारिश बहुत होती है उसकी वजह से पानी का बहाव जब कम होता है तो पानी जमीन पीने लगती है और स्प्रिंग लेविल ऊपर उठ आती है। कुआं खोदा जाता है तो थोड़ी दूर पर पानी निकल आता है। पिछले जमाने में जो ऊपर के इलाके थे जिनमें जंगल वगैरह थे वह कटे। बागात जो लगे हुये थे, जमींदारी जब खत्म हुई तो वह भी खत्म हुए। बरसात के जमाने में पानी का बहाव इन कारणों से बहुत तेजी से होता है और थोड़ी-थोड़ी दूर में पानी निकल नहीं पाता। खास तौर पर घाघरा और राप्ती में बड़ी सिल्ट आती है और जब दरिया उसको छोड़ देता है तो हर साल दरिया का जो पेटा है वह तंग होता जाता है और ऊपर को उठता चला आता है, यह बड़ी तकलीफ देने वाली चीज है। इन दरियाओं की मिट्टी निकाली जाय तो न मालूम कितना रुपया खर्च होगा, फिर सवाल है कि मिट्टी को ले कहां जाय। इत्तफाक से दरिया राप्ती, घाघरा और नारायणी बहुत बड़े दरिया हैं। घाघरा और राप्ती तो बहुत ही बड़े हैं। ३–४ साल पहले, आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में ३६ या ४८ घंटे में ४४ इंच वर्षा हुई। अब बताइये कि जब इतनी वर्षा एकदम होती है तो वह पानी कहां जायेगा ? कौन-सी जगह होगी जहां पर बाढ़ नहीं आयेगी। उतने पानी का नतीजा यह हुआ कि सारा मुजफ्फरनगर बरबाद हो गया।

यही नहीं, पश्चिम की तरफ, मेरठ आदि जिलों में, जहां इतनी बाढ़ आदि आने की सम्भावना नहीं होती, वहां पर भी कैसी-कैसी बाढ़ें आईं। पंजाब में भी आपने देखा, जहां पर कि ज्यादा बारिश नहीं होती, कैसी-कैसी बाढ़ आईं। अत्याधिक वर्षा के लिये कौन इन्सान पहले से जान सकता है, या कौन सरकार उसकी पहले से कल्पना कर सकती है। कौन कह सकता है कि १० साल बाद इतना पानी बरसेगा। यहां पर भी, लखनऊ में, जो १००, १०० साल के आदमी हैं, उनका कहना है कि जो बाढ़ दो साल पहले लखनऊ में आई, वैसी बाढ़ कभी पहले नहीं देखी। आपने देखा कि वह बाढ़ कितनी भयंकर बाढ़ थी, जितने भी आसपास के जिले थे, सभी जगह ३६ घंटे में २०–२२ इंच वर्षा हुई। अब वह पानी कहां जायेगा, सब जगह फैल जायेगा और बाढ़ आ जायेगी।

कहा गया कि एक जगह सांप भी बैठ गया और आदमी भी बैठ गये, यह ठीक है। मैंने भी यह कैफियत एक जगह देखी लखनऊ में, हैदराबाद के इलाके में एक छत पर आदमी भी बैठे थे, बकरी भी बैठी थी और एक गाय का बछड़ा भी था। मुश्किल के वक्त सब समझ लेते हैं कि

हम मुश्किल में हैं और उस वक्त न आदमी सांप पर हमला करता है और न सांप आदमी पर हमला किया करता है।

देखना यह है कि जब से स्वराज्य हुआ बाढ़ की तकलीफों को दूर करने हेतु कुछ किया गया या नहीं। सन् १९३८ में, जब स्वराज्य नहीं मिला था, इस तरफ सरकार की कुछ तवज्जह गयी थी और सरकार ने एक कमेटी बैठायी थी, लेकिन वह एक कानफ्रेंस होकर रह गयी, कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर सन् १९४७ में जब स्वराज्य हुआ तो स्वर्गीय पंडित पंत ने एक कानफ्रेंस बुलाई और उसमें पड़ोसी स्टेट्स के लोग भी बुलाये गये, लेकिन उसमें भी कोई कारामद चीज तय नहीं हो पायी। सन् १९५४ में जब देश भर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी, प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों ने उसको देखा, फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक इसके लिये अलग इन्स्टीट्यूट कायम किया। हमारे प्रदेश में भी एक फ्लड बोर्ड कायम किया गया और एक टैक्नीकल कमेटी भी बनायी गयी। तब से जो कोई भी मसला आता है, माननीय सदस्य जो भी शिकायत या सुझाव लिख कर भेजते हैं वह हम उसी टैक्नीकल कमेटी को रेफर कर देते हैं और उसकी जांच कराते हैं। जब किसी स्कीम को फ्लड बोर्ड पास कर देता है, तभी हम उसको कार्यान्वित करते हैं।

मैं आपको बताऊं कि पहली प्लान में इस संबंध में हमने करीब पौने ३ करोड़ रुपये खर्च किया। उसमें करीब ६ लाख एकड़ भूमि लाभान्वित हुई और करीब ५०० गांवों को ऊंचा भी उठाया गया।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—मगर वे सब गांव ध्वस्त हो गये, इसको मानकर चलिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपस में कृपया बात न कीजिये।

श्री राममूर्ति—खैर मैं यह मान कर ही चलता हूं, मगर गांव हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से उनको देखा है, जो उस गांव के रहने वाले हैं वे उससे इनकार नहीं कर सकते (व्यवधान) तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि सरकार के जरिये से पहली योजना में कुछ काम हुआ। कुछ बांध भी बनाये गये, जहां वाटर लागिंग हो जाया करता था, जो रास्ते तंग थे, उनको भी कुछ ठीक किया गया, ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक कराया गया, करीब ४५ ड्रेन्स बनायी गयीं, ताकि वाटर लागिंग न हो (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग शांति से सुनिये।

श्री राममूर्ति—जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का सवाल है उस योजना में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से ११ करोड़ रुपया बाढ़ के कामों के लिये रखा गया, लेकिन बाद को उसमें कुछ कमी की गयी और वह ८ करोड़ रह गया। उसमें कई बड़े मार्जिनल बांध बनाये गये, साढ़े ४ हजार गांव को ऊंचा किया गया। हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में गांव को उठाने का सवाल कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे ही प्रदेश के इंजीनियर्स ने पहले पहल इस बात को सोचा और शुरू शुरू में जब यह बातचीत चली तो सब जगह इसकी तारीफ हुई। कोई भी आदमी आज इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गांव को ऊंचा उठाने से प्रदेश के लोगों को आराम नहीं हुआ है। हर साल भारी संख्या में लोगों की यह मांग आ रही है कि उनके गांव को ऊंचा उठाया जाय।

मैं आपसे निवेदन करूं कि तीसरी योजना में भी हमने करीब पौन ६ करोड़ रुपया मंजूर किया इस काम को आगे बढ़ाने के लिये। बाद को हमने इसमें करीब ढाई करोड़ रुपया और बढ़ा दिया। इस योजना में करीब १ हजार गांव को और ऊंचा उठाया जायेगा। हमारे पास एक फेहरिश्त है और उसके मुताबिक, जब यह बाढ़ खत्म हो जायेगी हम करीब नवम्बर या दिसम्बर के महीने में, गांव को उठाने का काम फिर से शुरू कर देंगे।

[श्री राममूर्ति]

पिछले जमाने में चूंकि यह काम कभी हुआ नहीं, यह ख्वाहिश थी कि यह काम किया जाय। मुझे इसमें इनकार नहीं है कि हमारा बहुत-सा पैसा बरबाद भी हुआ, इसलिये कि हमारा उस काम में पहले का कुछ तजुर्बा नहीं था। पैसा बरबाद हुआ, और उससे हमने कुछ तजुर्बा सीखा, कुछ सबक लिया। अब जितने हमारे पास ओवरसियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी तादाद के मुताबिक हम काम करते जा रहे हैं, ताकि लोगों को यह शिकायत न हो कि हमारा काम खराब हुआ (व्यवधान)।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी जरा यह भी बतायें कि नैपाल बांध कब तक बन जायेगा?

श्री राममूर्ति—मेरे दिमाग में वह चीज है और मैं उस पर भी अर्ज करूंगा। आप सुनिये तो।

मैं अर्ज कर रहा था कि हम करीब १ हजार गांव को तृतीय योजना में ऊंचा उठाने जा रहे हैं, मार्जिनल बांध भी बनाने जा रहे हैं। बांध बनाने के संबंध में, मैं आपसे निवेदन कर दूं, दो राय हैं। कुछ का कहना है कि बांध बनाने से फायदा होता है, कुछ इस राय के भी हैं कि इससे नुकसान होता है। जो आपके इंजीनियर्स हैं उनकी भी दो राय हैं। कुछ का कहना है कि बांध बनाने से दरिया की सतह ऊपर उठ जाती है, और फिर धीरे-धीरे कुछ सालों के बाद एक ऐसा समय भी आ जायेगा जबकि वह बांध टूट जायेगा और उससे बड़ा भारी नुकसान होगा किन्तु इससे आराम भी बहुत है। बहराइच में हमने एक बांध बनाया जिस पर ४७ लाख रुपया खर्च हुआ। उस बांध के बनने से वहां बहुत फायदा हुआ, लोगों को बहुत उससे आराम हुआ। मैं जब बहराइच गया था, वहां पर मंडी में लोगों ने मुझे बताया कि इस बांध के बनने से इस साल जितनी मक्का हमारे यहां पैदा हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। फिर भी अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन-सी राय ठीक है। इस संबंध में अब तक रुकावट सेंट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन की सैंक्शन लेने की भी पैदा हो गयी है। अब जब भी हम कोई बांध बनायेंगे, उनके आफिसर्स उसको आकर देखेंगे कि उस बांध को बनाने से पानी के दबाव पर उसका क्या असर पड़ेगा (व्यवधान)। इस तरह से एक रुकावट हमारे काम में पड़ गयी है लेकिन इंजीनियरों की राय है कि अगर इस प्रकार से जगह-जगह ठोकरें लगीं तो दूसरे इलाकों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। यह बात सही है कि हम अपने इलाके में इस तरह के बांध बांधते चले जायं और इस तरह से जो पानी भर जायगा उसका प्रेसर कहीं जाकर तो पड़ सकता है और वहां तकलीफ हो सकती है। इसलिये इंजीनियरों की राय से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बारे में कुछ रुकावट डाली है। वह हमारे ही ऊपर नहीं सब राज्यों पर है।

मैं एक बात और अर्ज कर दूं, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया है कि हमारे यहां फ्लड बोर्ड की तरफ से एक मास्टर प्लान बनायी गयी है जिस पर करीब ६७–६८ करोड़ रुपया खर्च होने को है। जिसमें से ११ करोड़ के करीब हम पहले व दूसरे प्लान में, और ८, साढे आठ करोड़ तीसरे प्लान में खर्च कर रहे हैं। उसके बाद यह और भी बढ़ सकता है। इस मास्टर प्लान को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मान लिया और एक स्टेट के मास्टर प्लान से दूसरी स्टेट पर जो असर पड़ता है उसको देखकर वे एक सामूहिक मास्टर प्लान तैयार करने की सोच रहे हैं। अब पता नहीं उसमें कितना वक्त उनको लगेगा।

एक बात का और जिक्र कर दूं। यहां जिक्र किया गया कि चीन के अन्दर फ्लड को रोकने का पूरा प्रबन्ध कर लिया गया फिर यहां क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं। वहां पर दो दरियाओं को बांधने का प्रयत्न

किया गया एक हांगो को और दूसरा जिसे येलो रिवर कहते हैं, लेकिन दोनों को रोकने के बारे में वे नाकामयाब रहे और अब भी वहां बाढ़ आती है। नुक्सान होता है। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स में भी मिसीसिपी दरिया है, जिस पर ८ बांध बांधे गये हैं, लेकिन फिर भी जब बड़ी भारी वर्षा वहां होती है तो हम सब को मालूम है कि हजारों इंसानों की जानें वहां जाती हैं, लोगों की जायदाद भी तबाह होती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार अपने ढंग से कोशिश जरूर कर सकती है कि इस प्रकार की दिक्कत लोगों को न हो, लेकिन यह कहना कि वह बाढ़ को रोक ही दे, इस समस्या को खत्म कर दिया जाय, यह बात समझ में नहीं आती है।

इसके अलावा एक बात और है। हमारे पूर्वी जिलों में दो प्रकार की दरिया हैं एक तो वे जो हमारे ही इलाके से निकलती हैं और दूसरी वे जो दूसरे देशों से आती हैं। इस प्रकार से राम गंगा, गंगा और जमुना हमारे ही इलाके से निकलती हैं, लेकिन घाघरा, राप्ती और बड़ी गंडक ये नैपाल से आती हैं। जब पिछली बार बजट के समय बहस हुई थी तब इस नैपाल बांध का जिक्र माननीय पांडेय जी ने किया था। ठीक बात है, यह होना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उस ओर से हम आंख बन्द करके बैठे हुये नहीं हैं। उस समस्या की ओर हमारा ध्यान है, लेकिन कारण यह है कि यह मामला दूसरे राज्य का है। नैपाल एक दूसरा मुल्क है। बगैर उसकी मंजूरी के कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। (श्री उग्रसेन के कुछ कहने पर) उग्रसेन जी आप बेकार बीच में बोलते हैं। खामखाह बोलना कुछ अच्छा नहीं है। आप अपने सामने किसी की बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं। बीच में न बोलें। बिराजिये।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी हमको भुलावे में नहीं डाल सकते। इस प्रकार भुलावे में डालकर सदन का समय नष्ट नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—सदन का समय नष्ट नहीं हो रहा है। आप बिराजिये।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला जालौन)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो बीच में किसी दूसरे सदस्य को नहीं बोलना चाहिये और किसी को बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिये। माननीय उग्रसेन जी की यह आदत है कि वे दूसरे माननीय सदस्य के भाषण में बाधा डालते हैं और बजाय आपके मार्फत प्रश्न करने के वे डायरेक्ट प्रश्न करते हैं और बाधा उपस्थित करते हैं। इस पर कृपया आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह चीज अच्छी नहीं है। माननीय सदस्य को इसका ध्यान रखना चाहिये। यह व्यवस्था अच्छी नहीं है।

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, मैं जब आपकी इजाजत से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो उस वक्त यह कहना कि समय बरबाद हो रहा है, क्या मतलब है इसका?

श्री उग्रसेन—इसका मतलब यह है कि आप सदन को भुलावा देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी आप बिराजिये, यह बिलकुल कायदे के खिलाफ आप बात कर रहे हैं।

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर जोर की आवाज में बोलेंगे तो दूसरों पर रोब पड़ जायगा।

श्री उग्रसेन—आप का रोब पड़ेगा, क्योंकि आप मंत्री हैं।

श्री राममूर्ति—मैं भी इस हाउस के अन्दर १५–२० साल से सदस्य हूं, और सबके बोलने सुनने का ढंग देखता रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय मंत्री जी कृपया यह बतला दें कि नारायणी नहर के लिये नैपाल सरकार ने स्वीकृति दी थी या नहीं दी थी ?

श्री राममूर्ति—नारायणी नहर नैपाल के अन्दर नहीं है, हमारे गोरखपुर जिले के अन्दर ही है। इसलिये नैपाल सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन—पश्चिमी गंडक नहर से मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष—आपको मौका मिलेगा तो कहियेगा। उन्हें अभी बोलने दीजिये, फिर पूछ लीजियेगा।

श्री राममूर्ति—पांडेय जी, आपने जो बातें पूछी हैं, पहले मेरी पूरी बात आप सुन समझ लें और उसके बाद कोई चीज रह जाय तो आप पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—एक प्रश्न में जानकारी के लिये पूछ लेना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी उसी सवाल के बारे में कहने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसका स्पष्टीकरण हो जाय तो बेहतर है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी बड़ी-बड़ी कई योजनाएं थीं और उन्होंने यह भी कहा कि नैपाल बांध के संबंध में नैपाल सरकार ने हुक्म नहीं दिया जिससे यह नहर नहीं बन सकी। तो मैं पूछता हूं कि सन् १९५४ में नारायणी नहर योजना बनी और उस समय नैपाल के साथ हमारा संबंध अच्छा था, क्योंकि त्रिभुवन भी उस समय यहीं थे और उस समय मंत्री जी जो भी चाहते करा सकते थे, तो उस समय इसकी स्वीकृति नैपाल से क्यों नहीं ले ली ? और आज जब कि स्थिति इतनी गम्भीर है, तो माननीय मंत्री जी इसका एलान करेंगे कि जिस तरह से नैपाल बांध बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष—जो यह मुनासिब समझेंगे बतलायेंगे।

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, मैं बतला दूं कि नारायणी नहर पिछले जमाने में गोरखपुर जिले से निकली, इसलिये उस नहर के लिये किसी सरकार से पूछने की कोई ही जरूरत नहीं थी। उसके बाद दूसरी योजना बनी ग्रेट गंडक से नहर निकालने की जो नैपाल की हद से निकलती है। इस दरिया पर भैंसालोटन के पास से नहर निकलेगी। पश्चिमी नहर हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया से होते हुये बिहार के सारन जिले को जायगी जब नहर बनाने का सवाल आया तो उस समय कोई नैपाल बांध बनाने का प्रश्न नहीं था। परसौनी गांव जो नैपाल के हद में था वह इस दरिया के पीछे रुकावट था और उस रुकावट की वजह से दरिया अपनी जगह बहता था। पिछले साल यह गांव कट गया और गंडक दरिया की एक शाख गोरखपुर जिले में दोबहा नाले और छोटी गंडक से मिल गई और बाढ़ आई इस वर्ष गंडक नदी से दो शाखें निकल पड़ीं। गंडक में ४ लाख क्यूसेक्स पानी आया और १ लाख क्यूसेक्स पानी इन दोनों से निकल कर छोटी गंडक में भर गया जिसके कारण जिस इलाके में कभी बाढ़ नहीं आयी थी आई सिसवा बाजार, निचनौल आदि पानी से भर गये। तमाम रेल की पटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें डूब गईं। अब हमारे सामने यह सवाल है इसको कैसे ठीक करें। एक ही तरीका है और वह अब इतना भी नहीं रहा कि महज नैपाल बांध बना दिया जाय बल्कि दरिया को ऊपर से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर ट्रेन नहीं किया गया तो नैपाल बांध जो मिट्टी का होगा वह यह बह सकता है। समस्या यह है कि दरिया को वहीं से ट्रेन किया जाय इसलिये भी कि अगर ग्रेट गंडक से नारायणी नहर निकालनी है और दरिया को ट्रेन नहीं किया गया तो वह नहर कामयाब नहीं हो सकती और

बांध भी नहीं रुक सकता। इसलिये वह मसला दोनों सरकारों के बीच में है। जैसा मैंने पहली मर्तबा बताया था हमारे इंजीनियर्स जब सर्वे को गये तो गिरफ्तार कर लिये गये। अब इतनी इजाजत मिल गई है कि जैसे ही बरसात खत्म हो तो नैपाल चीफ इंजीनियर और बड़े हाकिम साहब हमारे इंजीनियर्स के साथ मिल कर सर्वे करेंगे। हमने यह भी आग्रह किया कि आप हवाई जहाज से सर्वे कर लें, क्योंकि हवाई जहाज से अच्छा सर्वे होता है, लेकिन हमारी दरख्वास्त के बावजूद वह राजी नहीं हुये। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं जाड़ों में हमारे साथ सर्वे करेंगे। और यही नहीं, यह तो बदकिस्मती की बात है कि पहले हमारे इस पड़ोसी राज्य से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इधर कुछ शुबहे हो गये हैं जिसके कारण यहां के लोगों की कुछ शरारत समझी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं और अधिक तो कह नहीं सकता, क्योंकि सब मुझे जानकारी भी नहीं है, हम बराबर कोशिश में हैं अपने ताल्लुकात उनसे अच्छे बनाये रखें। जब महाराजा नैपाल यहां आये थे तो प्रधान मंत्री जी से हमने दरख्वास्त की थी तो उन्होंने महाराजा से जिक्र किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह नैपाल में जाकर इस बात की कोशिश करेंगे कि बांध बनाने की इजाजत दे दी जाय। हम कोशिश में हैं और जो गंडक बोर्ड के सेक्रेटरी श्री टी०पी० सिंह हैं वह हर महीने में १,२ दफा चक्कर लगाते हैं और उनकी कोशिश की वजह से अब इजाजत मिल गई और सर्वे का काम शुरू होने वाला है। यह बात तय है कि गंडक नहर के लिये दरिया को ट्रेन किया जाय और मैं उम्मीद करता हूं वह काम शुरू होगा और एक दफा काम शुरू हो जाय तो ३०,४० लाख खर्च करके इसी साल जिस प्रकार छितौनी बांध १ लाख ६२ हजार एकड़ जमीन को फायदा पहुंचाता है उसी प्रकार हैंगिंग स्पर्स के जरिये से हम उस दरिया को ट्रेन करेंगे और हमारे चीफ इंजीनियर्स ने उम्मीद दिलायी है इजाजत मिल जाने पर इसी साल कोशिश करेंगे जिससे यह तकलीफ न हो जो इस साल हुई। हमारी कोशिश है कि छोटी गंडक को कैनेलाइज करें, इसकी सफाई करें और इस काबिल बनायें कि कभी कोई फ्लड आये तो इसकी क्षमता बढ़ जाय ताकि वह पानी को ले जाकर दूसरे दरिया में पहुंचा सके। मैं समझता हूं कि मेरे इस जवाब से माननीय ऊदल जी और नरसिंह नारायण जी को संतोष हुआ होगा। इसके अलावा और कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर हमारे अपने मुल्क का मामला होता, फिर अगर हम कोई काम न करते तो कहा जा सकता था कि हम गुरेज कर रहे हैं काम करने में। लेकिन यह हमारे राज्य का अकेले मामला नहीं है, दूसरे मुल्क का भी मामला है।

एक भाई ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्वी जिलों के अन्दर आबादी बहुत घनी है और यह भी सबको मानना चाहिये कि खतरनाक चीज से हर एक दूर रहना चाहता है। हमारी बदकिस्मती यह है कि जो खतरनाक चीज है उसके पास हम पहुंच गये और फ्लडेड एरिया में जाकर बस गये हैं। इसलिये तकलीफ उठानी पड़ती है। राजस्थान की जो बहुत बड़ी कैनाल बन रही है अगर वह कैनाल जैसी कि उम्मीद है कामयाब हो गयी तो वहां भी लाखों एकड़ जमीन ऐसी निकलेगी जिस पर जाकर लोग बसेंगे। माननीय सदस्यों को मैं बतलाना चाहता हूं कि एक मर्तबा जब बीकानेर में गंगा केनाल निकाली गयी और पानी उस इलाके में छूटा तो वह जमीन हजारों, लाखों साल से यों ही पड़ी हुई थी, उसके एक एक एकड़ के अन्दर ५०,५० मन गेहूं पैदा हुआ। यह भी कोशिश होनी चाहिये कि हम अपने प्रदेश से १०,५ लाख आदमियों को उधर ले जा सकें तो उनका हित होगा और हमारा भी हित होगा।

हमारे मित्र देवरिया के राजा साहब इस समय नहीं हैं। उन्होंने एक पुल का जिक्र किया जो सलीमपुर इलाके में पड़ता है। वह पुल एक खास काम के लिये नहर के महकमे ने बनाया। उस पुल के पार हमें कुछ ट्यूबवेल्स बनाने थे और उसके लिये हमें उस पार हैवी मशीन्स ले जानी थीं और जो दरिया से जा नहीं सकती थीं। कम से कम खर्चा कर के छोटा-सा पुल बना कर किसी तरह से हम मशीनें उस पार ले गये। वहां के लोगों का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि जो बाकी हिस्सा रह गया है उसे तोड़ दिया जाय। उसमें दिक्कत पड़ती थी। नाव निकल नहीं पाती थी। बहुत दिनों तक उस पुल से काम हम

[श्री राममूर्ति]

लेते रहे। यों पुल बनाने का काम सिंचाई विभाग का नहीं है कि थोड़े से रुपये से हम उस काम को अपने मुहकमे से कर दें। पी० डब्ल्यू०डी० ही उसे बनायेगा और उसीका काम है पुल वगैरह बनाने का। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिये कि कोई आमदोरफ्त के लिये वह पुल बनाया गया था। इसलिये इसका जिक्र मैंने कर दिया।

राजा साहब ने कुछ चना, नमक बांटने के बारे में मजाक उड़ाया। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है। सरकार ने कोई खैरात बांट रही है और न बांटा करती है। जो साधन हैं, जिनका जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ब्योरेवार करेंगे, उनके मुताबिक हर जिले में जो कुछ बन पड़ता है वह सरकार करती है। मकान की मरम्मत के लिये, जानवरों को खरीदने के लिये, तकावी वगैरह के लिये। ऐसी बात नहीं है कि कहीं कम चना बटा। यह आपको समझना चाहिये कि जो सरकार के रिसोर्सेज हैं उनकी बुनियाद पर काम किया जाता है। उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले खास तौर से जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी चन्द सीमायें हैं। जितना धन हमको मिल जाता है, जितनी भी सलाह हमको सेंट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन फ्लड बोर्ड और इंजीनियर्स के जरिये से हमको मिल पाती है उसके जरिये हम इस बात की कोशिश करते हैं कि लोगों की तकलीफ दूर करें, गांवों को ऊंचा करें, मार्जिनल बांध बनावें और हर चीज की जांच पड़ताल करें और जितनी भी मदद कर सकते हैं उसे करें और हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करते हैं, बल्कि इस बात की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—बड़ी गंडक के बारे में सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि उसको ट्रेन करने की कोशिश की जायगी। तो क्या उनका ध्यान इस तरफ है कि जहां पर वह यू० पी० में चलती है वहां पर कई स्थानों पर ऐसा हुआ है तो क्या उन का ध्यान जहां तक अपनी सरहद है वहां तक पूरे हिस्से को ट्रेन करने की तरफ है और वहां तक यह चीज की जायगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने जो ट्रेनिंग का जिक्र किया वह नेपाल की हद तक की बात थी जहां पर कि पच्छिमी नहर बनेगी। गंडक का जो पानी छोटी छोटी नदियों म चला जाता है उस को रोकने के लिये यह ट्रेनिंग की जायगी ताकि उन इलाकों की बरबादी न हो।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता कि छतौनी के दक्खिन की तरफ यह बरबादी होती है और शायद उस तरफ भी पानी फाड़ कर बाढ़ का पहुंच जाय तो क्याउस तरफ भी उनका ध्यान गया है ? तो क्या उस ओर जो प्रवृत्ति पानी की हुई है उसको रोकने की भी कोई कार्यवाही वह करेंगे ?

श्री राममूर्ति—छतौनी बांध के बारे में यह बात सही है हर साल काफी रुपया खर्च होता है और इस साल भी इस बांध पर पूरा खतरा हो गया था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने अपनी कोशिश से इसको बचा लिया और अब जैसे ही मौसम बरसात का खत्म होगा उस को हम फिर मजबूत करा देंगे। उस के आगे के इलाके के बारे में इस वक्त मेरे पास इत्तिला नहीं है अगर वह चाहेंगे तो मैं मालूम कर के बता दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—इस बाढ़ के सम्बन्ध में कल से विवाद चल रहा है और कल आप की कृपा से आधे से अधिक समय दूसरे काम में लग गया और अब प्रश्नोत्तर का मौका देकर सारा समय नष्ट किया जा रहा है और बलिया आदि और भी जिले ४-५ और हैं जो बाढ़ से अधिक प्रभावित हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोगों की ही सहूलियत के लिये दो चार प्रश्नों की इजाजत दे दी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो अपनी नदी बड़ी नारायणी है उस ने अपना रास्ता बदल दिया है और छोटी गंडक में मिल गई और वह मिलकर अब पयास के द्वारा रोहिनी और राप्ती में आ रही है तो इसको रोकने के लिये क्या प्रबंध हो रहा है?

श्री राममूर्ति—बात ऐसी नहीं है जैसा कि बताया गया कि बड़ी गंडक छोटी गंडक में आ गई है। मैंने उस जगह को देखा है। बड़ी गंडक की कुछ टेंडेंसी बदल रही है और ४ लाख क्यूजेक्स पानी से १ लाख क्यूजेक्स पानी गंडक व दोबहा नाले में या है। ऊपर से दरिया को ट्रेन करने की बात सोच रहे हैं, जैसे ही बरसात खत्म होगी उसके दोनों स्पेशल्स को रोकने के लिये दरिया के हेड से ट्रेन किया जायगा।

श्री उग्रसेन—मैं तो श्रीमन्, जब से मंत्री जी सिंचाई विभाग के मंत्री हुये हैं तभी से उनसे सम्पर्क स्थापित करता रहा हूं। मैंने १६-९-६१ को उनको एक पत्र भी लिखा और अखबार में भी उसको दिया और उस में मैंने मांग भी की थी .....

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न करें।

श्री उग्रसेन—मैंने यह मांग की थी कि पश्चिमी गंडक नहर नैपाल बांध के बिना बेकार हो जायगी। तो मंत्री जी ने नैपाल बांध को मंजूर कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से क्या कोशिश की और जब कि उनके इंजीनियर्स ने भी सलाह दी थी कि नैपाल बांध को स्वीकार कर लिया जाय, नहीं तो पश्चिम गंडक नहर बेकार हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—यह काम बिहार सरकार के जरिये से हुआ, हमारे जरिये से नहीं हुआ।

श्री उग्रसेन—तो बिहार सरकार ने इस बात को रखा या नहीं ?

श्री राममूर्ति—इसका जवाब तो बिहार की सरकार दे सकती है मैं क्या दे सकता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—मंत्री जी ने पश्चिमी जिलों में बाढ़ को माना और यह भी माना कि वहां बाढ़ के सम्बन्ध में कोई विशेष काम नहीं कर पाये हैं। तो जो नवझील बांध है वहां ७ मील लम्बा बंधवा रहे हैं और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम के जिलों में कोई काम नहीं हुआ है। जिसका जिक्र आपने किया है, मथुरा जिले में बड़े बड़े ड्रेन्स बने हैं जिससे वहां की वाटर लागिंग दूर हो। कुछ गांव भी उठाये हैं। नवझील बांध जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया वह बन रहा है, लेकिन वहां लेबर नहीं मिलता है जिसकी वजह से देरी हो रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा—मंत्री जी को याद होगा कि करीब ८-७ पत्र मैंने उनको और उनके विभाग को लिखे और हमें यही जवाब मिला कि आवश्यक कार्यवाही करवा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई विवाद नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि नवझील बांध कब तक बन जायगा।

श्री राममूर्ति—मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता।

श्री रामपुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा की बाढ़ की रोकथाम करने के लिये हाहानाला बांध अब नदी के कटाव में आ रहा है। उसकी रोकथाम के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति—मैंने पहले भी अर्ज किया था कई मर्तबा इस सदन में कि अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है कि दरिया को शुरू में आखिर तक बिल्कुल कैनलाइज कर दिया जाय। जहां जहां पर मुनासिब समझा गया है मार्जिनल बांध बना दिये गये हैं और लोगों को उनसे फायदा हुआ है। आगे, जैसा मैंने जिक्र किया जो मास्टर प्लान है उसमें आगे जो तजवीजें आयेंगी घाघरा के बारे में या जहां कहीं मुनासिब समझा जायगा बांध बांधा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर) अब ये सवाल हो जायं और विवाद चले तो ज्यादा अच्छा हो।

(कुछ ठहर कर)

खैर, श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय एक सवाल कर लें। बस एक सवाल होगा।

***श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय**—जो नदियां शहरों के बीचोबीच जाती हैं जैसे गोमती नदी जौनपुर के बीचोबीच बहती है। चार पांच सौ साल पहले पुल बना था, लेकिन उसका मलवा उसी में पड़ा हुआ है और सिल्ट जम गया है इस तरह से बेड बहुत ऊंचा हो गया है जिसके कारण साधारण पानी बरसने पर भी बाढ़ आ जाती है और आज भी जौनपुर बाढ़ के ग्रिप में है। मियांपुर, ओलनगंज, हनुमानघाट में चारों तरफ से पानी आ गया है और नदी की कुछ टेंडेंसी ऐसी हो रही है कि पचतक्खा की तरफ हो कर पानी जाने से ओलनगंज और कचहरी का सारा इलाका नष्ट हो जायगा, क्या ऐसी सूरत में उस मलवे और सिल्ट को निकलवाने के लिये कोई योजना माननीय मंत्री जी के पास है जिससे नगर बच सके ?

श्री राममूर्ति—यह मसला मेरे सामने पहली बार आया है। मैं यह समझूं कि पुल के नीचे को दर हैं, जिनमें से पानी निकलता है वह बन्द हो गये हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जी नहीं। काफी ऊंचे तक सिल्ट जमा हो गयी है।

श्री राममूर्ति—तो माननीय सदस्य मेरे पास लिख कर भेज दें कि क्या ऐक्चुअल प्राबलम है। अगर महज सिल्ट की सफाई की बात है तो उसकी कोशिश करूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, बाढ़ हमारे देश की सार्वभौमिक समस्या हो गयी है। बाढ़ का प्रकोप प्रदेश के पूर्वी अंचल में हो रहा करता था। लेकिन कुछ वर्षों से दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश के पश्चिमी हिस्से दक्षिणी भाग और मध्य भाग भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। मेरा अपना विचार है कि बाढ़ का प्रकोप और इसका उत्तरोत्तर बढ़ता जाना उतना ही मनुष्यकृत है जितना प्रकृतिकृत है, आदमी की भूल भी इसकी उतनी जिम्मेदार है जितनी प्रकृति की, क्योंकि इधर दस वर्षों से हमारे देश में और प्रदेश में योजनायें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, इतनी ही मात्रा में बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ के पानी का बहाव, बाढ़ के पानी का नीचे स्थानों में ठहराव बढ़ता जा रहा है। इसलिये मेरा विचार है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के लिये एक जनरल सर्वे, जनरल जांच करने के लिये किसी नारायणी, गंडक, राप्ती या घाघरा के लिये नहीं, बल्कि जनरल पूर्वी अंचल के लिये एक हाईपावर कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये जो इस पूरे मसले को समग्र रूप में अध्ययन करके सरकार को सुझाव दे और सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुये, जिन जिन योजनाओं को जिस जिस रफ्तार से ले सके ले। मैं सिंचाई मंत्री से इस बात में सहमत हूं कि हर साल भीख मांगते जाना, दियासलाई, मिट्टी का तेल, नमक और गल्ला बाटने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। या तो हम यह मान लें कि इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। वे मनुष्य ने नेचर को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। मनुष्य सफल हुआ है और उसके कंट्रोल करने की गति आगे भी बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। इसलिये बाढ़ को जितना भी सम्भव हो सके रोकने के लिये बुनियादी तौर पर हमारी सरकार के प्रयास जारी रहने चाहिये। माननीय सिंचाई मंत्री की बातों से मुझे कुछ टोटैलिटी में यह असर पड़ा कि मानो बाढ़ अवश्यम्भावी है या रोकी जा ही नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि यह एक निराशावाद पैदा करेगा हमारे प्रदेश के अन्दर और इस सदन के अन्दर दोनों ओर जो सदस्य बैठे हैं उनके अन्दर भी एक निराशा पैदा करेगा। मान्यवर, पिछले दस ग्यारह वर्षों में लगातार बाढ़ के ऊपर बहसें यही हुई हैं। किसी-किसी साल दो-दो बार बहस हुई है। बातें बहुत कुछ कही जा चुकी हैं। उन्हीं को दोहाराया जा रहा है। बहुत कम नयी बातें आ रही हैं चाहे वह इस ओर से हों चाहे उस ओर से हों। मैं एक बात नहीं समझ सका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जितने भी सुझाव सरकारी पक्ष से या विरोधी पक्ष से दिये गये इन पिछले वर्षों में उन पर क्या कार्यवाही हुई। सिवाय इसके कि सरकार कुछ आंकड़े पेश कर दे, हम उन आंकड़ों को कुछ हद तक चैलेंज कर सकते हैं, पूरे हद तक तो नहीं, लेकिन हमारे सुझावों पर कहां तक अमल हुआ इसकी जानकारी माननीय सिंचाई मंत्री की ओर से या माननीय माल मंत्री की ओर से हमको नहीं दी जा सकी। जो सुझाव सरकारी पक्ष की ओर से ही दिये जाते हैं जिनमें कुछ तात्कालिक होते हैं कुछ बड़ी योजनाओं से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ छोटी योजनाओं से सम्बन्ध रखते हैं, उन पर कितना अमल हुआ, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं हो सकी है। इसलिये हम बड़े अंधेरे में हैं कि हम आज जो कुछ कहें उस पर कितना अमल होगा।

मान्यवर, मुझे इस बाढ़ के सिलसिले में पांच जिलों की जानकारी हुई। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ में मैं स्वयं गया और जितना भी सम्भव हो सका मैंने घूमकर देखने की कोशिश की। बलिया और बस्ती जिलों की जानकारी कुछ रिपोर्टों की बुनियाद पर और कुछ दूसरे जरियों से भी मैंने की उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं बिना किसी मुगालते के कि गोरखपुर और देवरिया में जो बाढ़ की हालत थी और कुछ हिस्सा बस्ती का भी था, वह एक खंड प्रलय का दृश्य था। उसको देखने से ही उसका एहसास हो सकता था, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, कम से कम मेरे वश का तो वह नहीं है। मैं गोरखपुर के जिलाधीश, देवरिया के जिलाधीश और माननीय रामलाल जी चतुर्वेदी, एम० एल० ए० देवरिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देवरिया और गोरखपुर जिले की बाढ़ को देखने में हमें पूरी सुविधा दी, जितनी कुछ सहायता वह दे सकते थे उन्होंने हमें दी। गोरखपुर और देवरिया जिले की बाढ़ के लिये आज जिलाधीश से लेकर एक मामूली किसान तक एक आवाज से यह कह रहा है कि यह नारायणी का प्रकोप है। अगर नारायणी को कंट्रोल नहीं किया जा सका तो उन जिलों के बाढ़ की भीषणता दिन पर दिन बढ़ेगी और वह शायद एक दिन इतनी बढ़ जाय कि गोरखपुर शहर और सैकड़ों गांव इस दुनिया से मिट जायं। इसलिये गोरखपुर और देवरिया की इस जनवाणी के ऊपर सरकार को बड़ी गहराई से विचार करना होगा। वहां के उनके अधिकारियों से लेकर एक साधारण किसान और मजदूर तक आज इस बात को कह रहा है कि अगर नारायणी को नहीं बांधा गया तो यह समस्या आये दिन आकर रहेगी।

माननीय सिंचाई मंत्री ने बताया कि अगर नैपाल सरकार न राजी हो और आजकल जैसा झगड़ा नैपाल से चल रहा है, जितने उनके मंत्री दिल्ली आ रहे हैं उनसे जिस तरह की अन्दरूनी बातें हो रही हैं, उनको देखते पता नहीं क्या स्थिति हो और हमको संदेह है कि ऐसे वक्त में नैपाल सरकार राजी हो या न हो तो सरकार को और मंत्री जी को यह सोचना होगा कि उस हालत में क्या किया जाय। एक आलटरनेट विकल्प भी सोचना होगा। मैंने जिलाधीश गोरखपुर से बातचीत की उन्होंने पूरे नक्शे के साथ हमें समझाया। मैंने उनसे भी सवाल किया था कि अगर नैपाल की सरकार नहीं राजी हुई तो इस बाढ़ की भीषणता को रोकने का आपके पास क्या उपाय है। उन्होंने कहा था कि नैपाल की सीमा पर उस पूरे हिस्से में बांध बांधा जाय, सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को नोट करे और एक विकल्प की बात भी सोचे, क्योंकि नैपाल से जो हमारा आजकल नाता है उसमें हमें सन्देह है।

मान्यवर, नारायणी के बारे में एक बात कह दूं। मुझे एक बात की इत्तला है और मैं उसकी सफाई माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मलौनी साहब, जिनके नाम पर गोरखपुर में बांध बांधा गया है उन्होंने एक योजना बनाई थी नारायणी से एक नहर निकालने की।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन जो नहर अब निकली है वह नहर उस स्थान से, जहां से वह निकालनी चाहिये थी, ११, १२ मील नीचे निकाली गई है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ है नारायणी के पानी को इधर उधर ढकेलने का। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जब इस बात का जवाब दें या जो भी मंत्री जवाब दें तो वह इस बात को भी साफ कर दें कि मलौनीसाहब की स्कीम छोड़ी गई तो वह किस कारण से और इसका परिणाम जो इतना भयावह हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है।

[श्री झारखंडेराय]

एक बात और कह दूं कि पिछले वर्षों में जब नैपाल के साथ हमारे देश के सम्बन्ध बड़े अच्छे थे उस समय कुछ ऐसा लगता है कि इस योजना के कार्यान्वयन में बड़ा ढीलापन किया गया। यह ढीलापन क्यों किया गया ? क्या दिक्कत थी इस बात पर सरकार से मैं सफाई चाहता हूं क्योंकि यह बुनियादी बात है। हम लोगों को चने की शिकायत नहीं है वह तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उन बुनियादी बातों को पकड़ें जिससे बाढ़ की विभीषिका काफी दूर तक पूर्णरूप से सफल हो सके।

मान्यवर, देवरिया जिले में सरकारी आंकड़ों से मुझे लगता है कि वहां की स्थिति को कुछ कम आंका गया है। मकानों के गिरने के बारे में जो आंकड़े थे मैंने उनका मुकाबला किया है, अपनी जानकारी से तो सरकारी रिपोर्ट में मुझे बहुत कम मालूम हुये। जैसे कि मैं एक मिसाल बतलाऊं कि मैं श्री चन्द्रबली जी के रुद्रपुर कछार इलाके में गया और १,२ को नहीं, बल्कि ९ गांवों को नाव से देखा तो वे गांव बिलकुल पानी से घिरे थे और वे एक टापू की तरह से लगते थे। मैं नाव से वहां गया और जिस गांव में मैं उतरा उसका नाम डाला गांव था। उसमें २०० घर थे और १५० घर उसमें गिर चुके हैं। १०० घर तो आंशिक रूप में गिरे हैं और ५० घर बिलकुल ध्वस्त हो गये हैं। केवल ५० घर बचे हुये थे। मैं उस गांव में और दूसरे ८,९ गांवों में घूमा तो उन सब का यही कहना था कि अगर ये गांव ऊंचे नहीं किये गये होते तो यह गांव बिलकुल विनष्ट हो गये होते। अगर वे थोड़े बहुत बचे रहे तो वे गांव ऊंचे किये जाने की वजह से। इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि कागज में चाहे गांवों को ऊंचा करने की स्कीम न छोड़ी गई हो, लेकिन व्यवहार में या कम से कम रफ्तार में वह चीज ज्यादा छोड़ी गई। गत वर्षों माननीय कमलापति त्रिपाठी ने एक बड़ी स्कीम गांवों को ऊंचा करने की वहां पर शुरू की थी और बड़े पैमाने पर शुरू की थी, लेकिन वह स्कीम डिफैक्टो पूरी तरह अमल में नहीं लाई गई या बहुत कम कर दी गई। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गांवों को ऊंचा करने की स्कीम वार लेविल पर लें और उनको इतने ऊंचे किया जाय कि जितनी कल्पना में पानी आ सकता है उस अन्दाजे से ऊंचा किया जाय, ताकि गांव बचे रहें और बाढ़ से हानि का इमकान न रहे। मान्यवर, माल मंत्री जी स्वयं गये थे। जिन गांवों को उन्होंने देखा होगा वह हवाई जहाज से देखा होगा या मोटर से देखा होगा। मकानों के गिरने का खमियाजा कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। कई पीढ़ी के बाद, ३,४ पीढ़ी के बाद एक मकान बनकर तैयार होता है। मध्यम वर्ग के लोगों के और लोगों के पूरे-पूरे मकान गिरे हैं, वह कहां से बनायेंगे जबकि हरएक चीज इतनी मंहगी है कि छोटा सा मकान बनना भी मुश्किल हो गया है। इसलिये जहां पर बाढ़ का भय है वहां पर गांवों को ऊंचा किया जाय। इस काम को प्रायोरिटी दी जाय। तभी मकानों के गिरने की समस्या पर कंट्रोल हो पायेगा।

श्री राममूर्ति—झारखंडे राय जी की इत्तला के लिये मैं एक बात बतला देना चाहता हूं। जब गांव ऊंचे किये जाते हैं तो उस इलाके का जो फ्लड लेविल होता है जहां तक पानी पहुंचा हुआ है उस लेविल से ऊंचे लेविल पर गांव ऊंचे किये जाते हैं, ताकि फ्लड आये तो उससे नीचा रहे और ऊपर न जाये।

श्री झारखंडेराय—यही बात मैंने कही कि हाइऐस्ट फ्लड लेविल का जैसा आप अंदाजा बनाते हैं वह अंदाजा कभी-कभी फेल हो जाता है। इस साल भी हो गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गांवों को ऊंचा किया जाय तभी उनकी रक्षा हो पायेगी। मैंने तो लोगों को बाढ़ों के इलाके में छप्परों पर, और पेड़ों पर अपने परिवार के साथ २-२ हफ्ते तक लटके हुये देखा है। जब वहां नाव पहुंची तो वह लोग सुरक्षित स्थानों में पहुंचाये गये। इसलिये मेरा कहना है कि नावों की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिये। देवरिया में दोहरीघाट में बहुत-सी नावें भेजी गईं, परन्तु वे संख्या में पर्याप्त नहीं थीं। बाढ़ में फंसे हुये आदमियों को बचाने और जानवरों को बचाने के लिये वे नगण्य हैं। वे बाढ़ की विभीषिका को देखते हुये बहुत ही कम हैं।

मैं आपका ध्यान अब रुद्रपुर-नदवा रोड की ओर ले जाना चाहता हूं। यह सड़क हर साल बह जाती है। ऐसा क्यों है। इससे साफ जाहिर है कि वहां सरकारी सम्पत्ति और श्रम का अपव्यय होता है। उसको पक्का बनाया जाना चाहिये जिससे कि वह न बह सके। वह ऊंची बननी चाहिये और उसमें काफी पुल होने चाहिये ताकि वह सुरक्षित रह सके। ऐसा इसलिये जरूरी है कि विभिन्न भागों में जो मीन्स आफ कम्यूनिकेशन हैं वह दूर के इलाकों के बने रह सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसी मुख्य सड़कें जो बाढ़ में सहायता कार्य के लिये बहुत ही जरूरी हैं उनको पक्का बनाया जाय। इससे जनता का जीवन सुरक्षित होगा।

आप श्रीमन्, देखें कि जो बाढ़ में गांवों के कटाव का सवाल है, वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवरिया में १ दर्जन गांव ऐसे स्थानों में हैं जो अपनी सफेहस्ती से मिट चुके हैं या मिट जायेंगे। उनकी रोकथाम का काम बहुत जरूरी है। इसलिये सरकार को उस ओर बहुत शीघ्र ध्यान देना चाहिये। आप १०-१२ गांवों में ही सही पर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गांवों का कटाव रुक जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुछ स्थानों का तो नाम ही लोप हो जायगा।

मैं आपका ध्यान अब आंकड़ों की ओर ले जाना चाहता हूं। बलिया की जो सरकारी रपट है, पशु, मकान और फसल आदि को मिलाकर दिखाया गया है वह बहुत कम है। वास्तव में इससे अधिक प्रायः ३ करोड़ का नुकसान हुआ है। देवरिया और गोरखपुर में आप देखिये कि २० और २५ करोड़ के बीच में नुकसान हुआ है और करीब ३० हजार घर गिरे हैं, लेकिन सरकारी रपट में यह संख्या भी बहुत कम दिखाई गई है। मेरा अंदाजा है कि ढाई हजार से कम गांव नहीं प्रभावित हुए हैं। सरकार के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं।

मैं एक बात और कहूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाते हैं उनके साथ जन-प्रतिनिधियों को भी जाना चाहिये। ऐसा आदेश सरकार की ओर से होना चाहिये। यह कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कानूनगो के साथ लेखपाल और एस० डी० एम० के साथ चले गये। सही और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ जाना चाहिए। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जब मैं और कुछ सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र में नाव से जा रहे थे तो बहुत कम जगहों पर उनका और मेरा मतभेद रहा और वह भी गांव वालों से बात करने के बाद समाप्त हो गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा आदेश दे कि बाढ़ग्रस्त एरियाज में विधायक या ऐसे लोग जो जाने माने लोग हों, जनता जिनका सम्मान करती हो, उनको लेकर कर्मचारी जायें। इससे कार्य अधिक सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से होगा। इस तरह से सरकारी रिपोर्ट पर मतभेद भी समाप्त हो सकता है और मतैक्य के लिये अधिक गुंजाइश हो सकती है।

अब मैं बिहार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां की सरकार ने बाढ़ की विभीषिका को देखते हुये अपने यहां लैंड टैक्स जो लगने वाला था उसको रोक दिया है। यह सरकार उसको मुल्तवी करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं। चाहिये तो बिहार का अनुकरण (लाल बत्ती होने पर) मुझे थोड़ा समय और दिया जाय, मैं तो कम बोलता हूं। ५ मिनट और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वैसे सवा चार हो चुका है। अच्छा ५ मिनट और बोल लीजिये।

श्री झारखंडेराय—मेरी एक शिकायत है कि जो ताल और खाल एरिया हैं उनकी उपेक्षा अधिकारियों तथा सरकार की रही है। वहां वाटर लागिंग होता है और रबी की फसल नहीं बोई जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार आदेश दे कि हर जिले में जो नीचे के एरिया हैं या ताल क्षेत्र हैं वहां बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिये भी उपाय सोचे जायं, क्योंकि पैसा भी उसमें कम लगेगा और लाभ ज्यादा होगा। हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में यहां भी ऐसे कई ताल हैं। पकड़ो, गोफा, हरघोली और जमिण वहां बहुत-सा क्षेत्र घाघरा के पानी में डूब जाता है और जब पानी हटता है तो जमीन उभर आती है, लेकिन रबी की फसल की बुवाई

[श्री झारखण्डेराय]

तक वह पानी से भरा रहता है। हमारे क्षेत्र में नदी के कटाव के कारण दोहरीघाट पम्प नहर का शीर्ष खतरे में हैं। उसके हेड के पास सरयां ग्राम है जो कट रहा है। कई घर पहले गिर चुके और एक दो घर हर साल गिर जाते हैं। इस साल भी गिर जायेंगे तो नदी की धारा बदल जायगी और पम्प कैनाल का हेड खतरे में पड़ जायगा। दोहरी घाट के पास रामपुर धनौली गांव है जिसको नदी काट रही है। अगर नदी की धारा बदल गयी तो पूरी नहर नदी के बीच में आ जायगी। इन दो जगह कटाव को रोकने के लिये थोड़ा खर्चे में लाखों रुपये की बचत होगी और लाखों रुपये की बरबादी बचेगी।

आखिर में सुझाव के रूप में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैं चाहूंगा कि पूर्वी अंचल की पूरी जानकारी के लिये एक हाई पावर कमीशन नियुक्त किया जाय जो नारायणी, गंडक, राप्ती, घाघरा को देखे और जहां उचित हो वहां सर्वे करके सुझाव दे। गांवों को ऊंचा करने वाली बात की तरफ मुस्तैदी से सरकार ध्यान दे, जैसे कि पहले ध्यान था। मैं बड़ी नदियों की बात नहीं करता, लेकिन छोटी-छोटी नदियों को एक एक, दो दो करके सरकार जितनी क्षमता की हो वह ले, और उनको गहरा किया जाय तो हमारे मुल्क की बहुत हानि बच सकती है। एक सुझाव फिर दोहराता हूं कि विभिन्न विभागों की योजनाओं में आज भी कोई संबद्धता और ताल मेल नहीं है। रेलवे की अलग है, नहरें अलग बन रही हैं, सड़कें अलग बन रही हैं, कोई इंटर-कनेक्शन है ही नहीं। प्रदेशीय सरकार के विभागों में भी एक राय नहीं है। इसका नतीजा होता है कि वाटर-लागिंग होता है, पानी का बहाव रुक जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बहुत बड़ी कमी को जिससे हानि बहुत ज्यादा हो गयी है उसको रोकना चाहिये। आखिरी बात यह है कि बाढ़ काल में उसी रफ्तार से सिंचाई मंत्री और पी० डब्लू० डी० मंत्री जाया करें। आंखों से देखें कि सड़क कहां कटी है, आंखों से देखें कि पानी कहां रुका है। हमारे चीफ इंजीनीयर पी० डब्लू० डी० और सिंचाई अपने दफतरों में बैठे रहते हैं। दौड़ते हैं हमारे माल मंत्रीजी और उनके दूसरे जिले के अधिकारी। इसलिये मैं चाहूंगा कि आंखों से देखकर काम किया जाय और आवश्यकतानुसार तुरन्त सहायता दी जाय और आगे की बाढ़ निरोधक योजनायें बनाई जायं।

अन्त में एक सुझाव और देकर मैं खत्म करूंगा। दो मुल्क ऐसे हैं जो हमारी जानकारी में, बाढ़ के रोकने के सिलसिले में सफल हुये हैं---अमरीका और सोवियट यूनियन। मैं चाहूंगा कि इस सरकार का एक एक डेपुटेशन दोनों देशों में जाय और वहां का अध्ययन करे कि कैसे उन्होंने बाढ़ की समस्या को हल किया है। मंत्रीजी भी उसमें जरूर रहें। मेहनती आदमी हैं। उससे हम लाभ होगा।

श्री उग्रसेन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री, श्री राममूर्तिजी, जब भाषण कर रहे थे तो उस समय माननीय उग्रसेन जी ने बीच में कई बार खड़े होकर हस्तक्षेप किया और बिना उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा के इन शब्दों का प्रयोग किया कि आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं बोल करके। इस संबंध में मुझे ज्ञात है कि आप एक व्यवस्था भी दे चुके हैं कि इस प्रकार कहना सदन का अवमान है। इसलिये मैं उग्रसेन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद (क्रमागत)

*श्री राजदेव (जिला देवरिया)---श्रीमन्, बाढ़ संबंधी विवाद में मेरे भी कुछ सुझाव हैं। बाढ़ ऐसा मसला है जो पूर्वी जनपद पर हर साल बड़े जोरों से आया करता है, लेकिन इधर कुछ सालों से ऐसी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है, इतना खतरनाक रूप धारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर लिया है, कि आज पूर्वी प्रदेश तबाह है और मुसीबत और बरबादी का शिकार बना हुआ है। देवरिया में बड़ी गंडक, त्रिवेणी, नारायणी से लेकर सरयू के किनारे तक तहसील हाटा और सलीमपुर के तमाम गांव क्षतिग्रस्त हैं। तहसील हाटा में ३०० गांव ऐसे हैं जिनमें २० हजार मकान ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार को भी इस बात को मानना पड़ा है कि युद्धकाल की समस्याओं में जैसे कोई सरकार सहायता करती है ठीक उसी तरह से हमारी सरकार को करना पड़ा है। फौज को वहां बुलाना पड़ा, मोटर बोट मंगानी पड़ी, किसान की खतरनाक हालत को देखते हुये। यह सही है कि इस कठिनाई के समय में जो सहायता सरकार की ओर से मिली उसे लेकर सरकारी कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से काम किये और नगर निवासियों को नाव से, पीपे की नाव बनाकर, जैसे भी हो, उन्हें निकाला। लेकिन सरकार का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि जो सहायता मिली थी वह अल्प-कालीन सहायता थी और बहुत कम थी। इस साल हाटा में ही इतने मकान ध्वस्त हैं कि तीन पुश्त से बने हुये मकान धराशाई हो गये हैं। मोइन नाला है और उसके और छोटी गण्डक के बीच में कितने ही गांव ऐसे हैं जहां सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंच पाये हैं। पता नहीं कि वहां कोई आदमी बाकी है या नहीं। नदियों का बहाव और कटाव ऐसे मसले हैं कि प्रकृति के कोप का मुकाबला करना साधारण सी बात नहीं है। मैं तो उधर के बैठनेवाले मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि वे अपने सुझाव सरकार को दें, ताकि किसानों की इस मुसीबत में तात्कालिक सहायता हो। केवल आलोचना करने से कोई समस्या हल होनेवाली नहीं है। सवाल यह है कि नदियों को कैसे रोका जाय। इनमें जो हिमालय का पानी आता है, जिससे आज कई हजार गांव ध्वस्त हैं और धराशाई हैं, मकानों का पता नहीं है, उसे कैसे रोका जाय, यह सवाल हमारे सामने मुख्य है।

सबसे बड़ी समस्या बाढ़ खत्म होने के बाद पैदा होती है। बाढ़ के बाद गिर हुये मकानों की मरम्मत का और उन्हें फिर से बनाने का सवाल हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। मैं माननीय माल मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जंगलों से लकड़ी का इन्तजाम वहां के किसानों के छप्पर बनाने के लिये होना चाहिये। तकावी का प्रबन्ध होना चाहिये और छोटी गण्डक के किनारे सबसे बड़ी समस्या गांव का लैविल ऊंचा करने की है। कमलापति जी और माननीय हुकुमसिंहजी वहां गये थे? मैं कमलापति जी को एक गांव को दिखाने के लिये ले गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे। ४६ मकानों का वह डाला था और केवल एक मकान वहां बचा। वहां ऐसी हालत हो गई कि जैसे जलजला आया हो। पानी ही पानी गांव में दिखाई पड़ता था। वहां की धान की सारी फसल बरबाद हो गई। पार साल भी हमारे क्षेत्र में बड़ी मुसीबत आई और उसका सरकार ने मुस्तैदी के साथ मुकाबला किया था। इस साल भी वही स्थिति पैदा हो गई है, बल्कि उससे भी गम्भीर है। इसके लिये आवश्यक है कि नेपाल की सरकार से जल्दी समझौता करके नैपाल बांध का निर्माण हो। जब तक उसका निर्माण नहीं होगा और गांवों का लैविल ऊंचा नहीं किया जायगा, किसानों का उद्धार होने वाला नहीं है। बड़ी गन्डक की धारा में आज कई सौ गांव विलीन हो गये हैं। उनका अस्तित्व नहीं है। वहां की सारी खेती खत्म होचुकी है और वहां के किसान मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिये मैं ठाकुर हुकुमसिंहजी का ध्यान उन किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके लिये कपड़े-लत्ते और खाने का इन्तजाम होना चाहिये। जो उनके घरों में अन्न का दाना मौजूद था वह भी और खेतों का भी बरबाद हो गया है। आने वाली फसल भी खत्म हो गई है। बाहर भी खत्म और घर की भी खत्म। इसलिये मैं मुसीबत के समय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनकी राहत के लिये जितनी जल्दी उपाय हो होना चाहिये। सलेमपुर के हिस्से को आपने देखा होगा। त्रिवेणी से जब दरिया आगे बढ़ा तो बीच के भागों को डुबाता हुआ सलेमपुर आ गया और सलेमपुर के कई सौ गांव बरबाद हो गये, तबाह हो गये। सड़कों पर वहां छाती छाती पानी था। कई जगह पर लोगों ने सड़कों को काटा। हाटा की सड़क को काटा। इस सड़क पर ३-४ जगह पुलिया बनाने की आवश्यकता है। अगर नहीं बनायी जायेंगी तो हर साल यही हालत होगी। हर साल इसी प्रकार से पानी भर जाता है और हर साल सड़क काटी जाती है। गोरखपुर को जो रेलवे लाइन जाती है, नदी ने उसकी

[श्री राजदेव]

काट दिया वहाँ पर ६० फुट पानी था। आगे दूसरी जगह ४० फुट पानी था। यहाँ एक कस्बा है जो टाउन एरिया है। उसके चारों तरफ सड़कें कटी हुई हैं। कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। एक टापू सा वह बना हुआ है। इस तरह से देवरिया और गोरखपुर की समस्या की ओर आपको ध्यान देना चाहिये। माननीय हुकुमसिंह जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं। बाढ़ के समय तो आपने उस इलाके का दौरा किया था, लेकिन वहाँ की जो खराब स्थिति है अब मालूम पड़ती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्य कुछ आहिस्ता बोलें तो उनकी बात कुछ समझ में भी आये।

श्री अध्यक्ष—राजदेव जी, आप जरा धीरे बोलिये। माइक को छोड़ दीजिये और उससे दूर बोलिये।

श्री राजदेव—माननीय माल मंत्रीजी अब उस इलाके की बरबादी को देखें तब उनको पता चलेगा कि किस प्रकार की बरबादी वहाँ हुई। कई हजार घर टूटे पड़े हैं, रेलवे लाइन और सड़कें कटी पड़ी हैं। चारों तरफ मुसीबत और तबाही दिखाई पड़ रही है। किसान बरबाद हो गये हैं उनकी फसल नष्ट हो गयी है। सरकार जितनी जल्दी उनको सहायता पहुंचा सके, पहुंचायें। उनको लकड़ी, छप्पर छाने के लिए फूस, सीमेंट, लोहा, टीन आदि की जो भी सहायता हो सके, शीघ्र दे।

सबसे बड़ी गंभीर समस्या रबी की फसल की है। उसके लिये बीज का प्रबंध करना चाहिये। बोने के समय अगर बीज न मिला तो फसल अगली भी चौपट हो जायगी। इसलिये बीज और दवाओं का जल्दी से जल्दी इन्तजाम होना चाहिये।

श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ जैसी गंभीर समस्या पर जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लाखों परिवारों के आर्थिक ढांचे को चकनाचूर कर दिया है, मुझे उस पर कुछ कहने के लिये आपने जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, यों तो मैंने सुना है कि पिछले वर्षों में भी जब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से संतप्त हुआ, इस माननीय सदन के सदस्यों द्वारा उसका विवेचन हुआ और तत्कालीन माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य प्रमुख सुझाव इस समस्या के समाधान के लिये दिये। लेकिन मुझे खेद है कि उन सुझावों के बावजूद भी समस्या दिन प्रति दिन गुरुतर होती जा रही है। श्रीमन्, इस वैज्ञानिक युग में जब कि लाखों मील दूर आकाशीय नक्षत्रों में मानव जाने के अपने स्वप्नों को साकार कर रहा है, ऐसे युग में आपके इंजीनियरों और टेकनालाजी का ज्ञान रखने वालों का ज्ञान बेकार हो रहा है, यह महान चिन्ता का विषय है। यदि मैं यह कहूं कि पिछले १५ वर्ष में जब से यह देश स्वाधीन हुआ है तब से इसी बाढ़ कि विभीषिका को रोकने के लिये हमारे इंजीनियरों ने नदियों से छेड़छाड़ करके इस समस्या को और भी गम्भीर कर दिया है तो गलत न होगा। जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तीन सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस बाढ़ की समस्या को एक दैवी अभिशाप समझ कर यों ही छोड़ दिया जाय या इसके लिये सरकार भी उत्तरदायी है? दूसरा सवाल यह है कि इस बाढ़ के संबंध में तात्कालिक रिलीफ के लिये सरकार जो कुछ कर रही है क्या वह सन्तोषजनक है? तीसरा सवाल यह है कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल भी निकल सका है?

मान्यवर, जहाँ तक मैं समझता हूं, इस वैज्ञानिक युग में यह कहना कि यह समस्या एक दैवी-अभिशाप है, न केवल अपने अविवेक का प्रदर्शन करना है बल्कि देश की कोटि कोटि जनता को धोखे में रखना है। आज अभी भी हमारे माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने इस पर कुछ प्रकाश डाला था लेकिन वे अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सके हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की विभीषिका व्याप्त है उसका कारण केवल नेपाल बांध का न बनना है।

[* * * *]

श्रीमन्, मैं यह बतला दूं कि जो रिलीफ का काम हो रहा है उसको मैंने देखा है। मैं एक एसे क्षेत्र से आया हूं जहाँ की आधी जनसंख्या और आधा क्षेत्र बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है। वहाँ पर मैंने यह भी देखा है कि आपकी जो इमरजेंसी रिलीफ कमेटीज बनी हुई हैं वे साल भर तो सोयी रहती हैं। इन १३ वर्षों में इस स्थाई फ्लड की समस्या को हल करने के लिये कोई भी प्रयत्न जिला स्तर पर नहीं हुआ है। आज वहाँ पर जहाँ मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं, नावें पूरी नहीं हैं। जैसी सरकारी रिपोर्ट है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि १६०० गाँव गोरखपुर जिले में प्रभावित हैं और ४०० नावें वहाँ काम कर रही हैं आप स्वयं समझ सकते हैं कि १६०० गाँवों में ४०० नावें या ४ गाँवों पर एक नाव कहाँ तक काम कर सकती है और कैसे रक्षा हो सकती है वहाँ केवल नावों का प्रश्न ही नहीं है बल्कि बाढ़ के समय जो मुट्ठीभर अन्न बाँट देते हैं उस से कोई काम नहीं चल सकता। बाढ़ के समय में थोड़े से चने बाँट देने का प्रश्न नहीं है वह सहायता तो इस तरह से होती है जैसे गर्म तवे पर पानी डालें और उसका फौरन ही कहीं पता नहीं चलता। इससे उनकी भूख नहीं मिटती बल्कि हम उन को और गिराते हैं, इससे जनता में नैतिक गिरावट होती है और भिक्षावृत्ति की भावना जागृत होती है। इस से तो यही अच्छा है कि आप उनको नावें दे दें और पहले से प्रबन्ध कर दें। १३ साल से फ्लड कमेटी बनी हुई है लेकिन आजतक कहीं भी नावें उपलब्ध नहीं हैं। जब बाढ़ आ जाती है तब मीलों दूर से नावें मंगाई जाती हैं, और नतीजा यह होता है कि आप उन को नहीं बचा पाते। अगर वह बचते हैं तो भगवान की कृपा से बच जाते हैं। सब से पहले नावों का प्रबन्ध होना चाहिये। इस साल भी जब बाढ़ आई हुई थी तो हम एस० डी० एम० को लेकर नाव द्वारा एक गाँव में जाना चाहते थे और वहाँ के लोग वहाँ से हटना नहीं चाहते थे, हम ने कहा कि हम उनको समझायेंगे लेकिन उस देशी नाव से हम वहाँ पानी की तेजी की वजह से न पहुंच सके। वह भले ही बच गये, गाँव बह गया, लेकिन हम उनकी कोई मदद न कर सके। वह इतना बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है लेकिन नाव न होने के कारण कुछ नहीं कर सके। वहाँ एक भी पावर बोट नहीं है। एक है भी जो रेल के पुल से, जहाँ बरसात में पानी ऊंचा हो जाता है दूसरी तरफ नहीं जा सकती, एक तरफ ही रह जाती है और कन्ट्री बोट से बाढ़ में जाया नहीं जा सकता। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं तो वहाँ पावर बोटों का भी प्रबन्ध करें और अन्य साधन वहाँ बाढ़ के आने से पहले ही रक्षा के लिये जुटायें ताकि समय से सहायता पहुंच सके।

अब इस समस्या का स्थायी हल क्या है? (लाल बत्ती होने पर) हमें श्रीमन् अभी समय मिलना चाहिये क्योंकि मैं ऐसे बाढ़ क्षेत्र से आता हूं कि सारा क्षेत्र उससे ग्रस्त हो जाता है, वहां न तो नावों का इंतजाम है न कोई पावर बोट है, और न जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं उन की फीस माफ की गई है। वहाँ चारे की भी भारी समस्या है। जो गाँव जंगल के नजदीक हैं वहाँ के जानवरों का काम किसी प्रकार चल जाता है किन्तु जो दूर जंगलों से है उनके ओर की व्यवस्था होनी चाहिये। अभी भी उस क्षेत्र का वाटर लेविल खतरे के बिन्दु से ऊपर है। वहां मवेशियों के लिये चारे की व्यवस्था होनी चाहिये। अब रबी की फसल की बुआई आरम्भ होने वाली है उसके लिये पहले से बीज का प्रबन्ध होना चाहिये। इस तरह से वहां की नाना प्रकार की दिक्कतें हैं और अगर सरकार उनकी रक्षा करना चाहती है तो यह सब इंतजाम शीघ्र वहां के लिये होना चाहिये।

अब कुछ स्थिति भी बदल गई है। अब राजनैतिक बांध ज्यादा बनते हैं बनिस्बत इसके कि बचाव बांध बनें। मिनिस्टर साहब से कुछ अनेक लोगों ने कहा जिनके कहने से बांध बन गया। इस तरह से तमाम छोटे मोटे बांध बन जाते हैं, और चूंकि वह अनप्लान्ड होते हैं इसलिये पानी का स्वाभाविक डिसचार्ज रूक जाता है और पानी नहीं निकल पाता। मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय, जो देखे कि कौन कौन से बांध उपयोगी हैं कौन बांध समाप्त होने चाहिये। दूसरे नेपाल से संबंध सुधारने के बाद जब तक नारायणी का बांध नहीं बनेगा तब तक पूर्वी यू० पी० की बाढ़ समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक हाई पावर कमेटी इन बांधों को देखे।

[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नैपाल जब फारेन कन्ट्री है उसके बारे में कोई बातचीत सदन में की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—कोई सजेशन तो नहीं हो सकता। लेकिन माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—जो माननीय सदस्य ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का प्रश्न है, जिन्होंने कहा कि नैपाल के लोग हिन्दुस्तान में आकर नैपाल के विरुद्ध बगावत करते हैं, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है निकाल दिया जायगा।

श्री अवेद्य नाथ—इसी प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी एप्रीच करना चाहिये कि रेल के जो पुल हैं वे पुराने समय के बने हैं उनके स्पैन को चौड़ा किया जाय ताकि पानी ज्यादा निकल सके। दूसरे राजघाट से सहजनवा जो सड़क जाती है पहले उस पर ७ पुलियां थीं जहां से पानी जल्दी डिसचार्ज हो जाता था लेकिन उनको बन्द कर दिया गया इस लिये उन पुलियों को खुलवाना चाहिये। एक हाई पावर कमेटी जब इन चीजों को देखेगी तो यह हमारी समस्या हल हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—नैपाल से संबंधित जो बातें हैं वे प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायंगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद का जिक्र मंत्री जी ने किया है और उसमें हसनपुर तहसील भी है। मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है वह सही है, उसमें कुछ कमी अवश्य है। एक वास्तविकता इस रिपोर्ट से आज मैं सदन के सामने रख सकूंगा, जो मैंने पहले भी रखी है और मैं समझता हूं माननीय माल मंत्री और सिंचाई मंत्री जो दोनों मौजूद हैं, उनके सामने मैं स्पष्ट रखूंगा उन्होंने लिखा है मुरादाबाद में २३ गांव अमरोहा तहसील में और २४ गांव हसनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए और राम गंगा से बाढ़ आयी। यह बात सत्य है। लेकिन रामगंगा से अमरोहा में क्षति हुई। तहसील हसनपुर का रामगंगा से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो यह विशेष परिस्थिति है। किसी दरिया में बाढ़ नहीं आयी, वहां ज्यादा वर्षा नहीं हुई फिर भी बाढ़ आ गई। यह है जो सोचने की है। वास्तविकता यह है रामगंगा में बाढ़ नहीं आयी उस तहसील में। पूरे जिले में इतनी वर्षा नहीं हुई कि बाढ़ आवे, मगर फिर भी ४० गांव ऐसे हैं जो डूब में आ गये। परिस्थिति यह है तहसील हसनपुर ४२ मील लम्बी है और उसके बीच का क्षेत्र गंगा के किनारे से नीचा है। गंगा ४२ मील तक तहसील के बराबर बहती है जिसका परिणाम यह होता है कि जब कभी गंगा में १ इंच भी पानी ऊपर उठ गया तो तमाम पानी अन्दर चला जाता है और ३, ४ स्थान पर ऐसा हो गया कि गंगा का किनारा कट गया है और फिर गंगा को अपने किनारे से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं है और तहसील में पानी भर जाता है। एक स्थान ऐसा है जहां इतना किनारा कट गया है और अन्दर का लेविल नीचा है, वहां बाढ़ न भी आवे, वर्षा न हो लेकिन जिला बिजनौर और सहारनपुर में या पहाड़ी इलाकों में वर्षा होगी तो तहसील हसनपुर में बाढ़ आ जायगी। इसमें लिखा है वहां का पानी बहुत जल्द निकल गया। परन्तु कुछ गांव ऐसे हैं जैसे पफ़री, देवीपुरा, शाजहांपुर, मुरादपुर आदि जिनका इसमें जिक्र नहीं किया गया है। वहां एक महीने तक पानी भरा रहा। पिछले साल तो मैंने यह हालत देखी थी कि ५ घंटे में नाव से पहुंच सके और तीन ऐसे चेनेल्स एक नदी और दो नाले पड़ते थे वहां आदमी तैर कर नहीं जा सकता है। यह वहां की स्थायी परिस्थिति है। इस का इलाज जब तक नहीं किया जायगा तब तक उस तहसील में बाढ़ आये बगैर बच नहीं सकती, चाहे वर्षा न हो। उनको यह दुआ मांगनी पड़ती है कि जिला बिजनौर, और सहारनपुर में वर्षा न हो। इसका केवल एक इलाज है गंगा के किनारे बांध बनाना और सिंचाई मंत्री जो उसके

विषय में जानकारी अच्छी तरह से रखते हैं, एक सर्वे हुआ तहसील का और २४ लाख कुछ हजार का तखमीना था इसलिये उसे नहीं लिया गया, क्योंकि वह बड़ी रकम थी। अगर वह चाहें कि वहां के ब्लाक्स से कुछ चंदा हो जाय, कुछ गनागदी के रूप में, श्रमदान के रूप में, यह मैं कराने में समर्थ हूंगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब जो स्टाफ वहां सर्वे कर रहा है उसका यह भी विचार है कि जितने ऊंचे बंधे का तखमीना बनाया गया था उतना ऊंचा न बनाया जाय और हाई फ्लड में ऊपर को पानी उतर जाय तो भी उस तहसील की रक्षा हो सकेगी, इससे हम सहमत हैं। इसमें आधा ही रुपया खर्च होगा और तहसील की तकलीफ का भी समाधान हो जायगा। लिहाजा इस तरफ माननीय मंत्री जी सोचें।

इस रिपोर्ट में तिगड़ी गांव का जिक्र है। जब गंगा से वह कटने लगा तो संयोग से स्वर्गीय पन्त जी वहां पहुंच गये और उन्हें रहम आया। दयालु थे, गांव की दशा देख कर रहम आया। उन्होंने कुछ रुपया स्वीकृत करके एक बंधा बनवा दिया और तब से उस बंधे से उस गांव की रक्षा हो रही है, यही नहीं कि उक्त बांध ने तिगड़ी को बचाया बल्कि गंगा की धार को उस तरफ को फेंक दिया। लेकिन इधर ३, ४ वर्ष से यह हुआ कि विभाग ने बंधे की रक्षा करना बन्द कर दिया है और कह दिया है कि तिगड़ी को बचाना है तो दूसरी जगह बसाओ। अब तिगड़ी न दूसरी जगह बस सकती है और न बंधे की रक्षा हो सकती है। बसाना रेवेन्यु विभाग का काम था लेकिन वह पास नहीं आया। वहां पर १० हजार रुपये का पत्थर पड़ा हुआ है। उसको विभाग दूसरी जगह ले जाना चाहता है जिसके ले जाने में २, ३ हजार रुपये खर्च हो जायंगे। गांव सभा ने यह कहा कि इस पत्थर को हमें दे दो और हम अपने खर्चे से १० हजार रुपया और लगायेंगे और सब बंधे में लगा देंगे लेकिन विभाग ने आज तक आज्ञा नहीं दी।

एक चेतावनी और दे दूं कि यदि इस बंधे के सम्बन्ध में बहुत दिनों तक प्रबन्ध नहीं किया गया तो संभव है दो, तीन साल में या अधिक में गंगा अपनी चैनल छोड़ जाय। मेरा यह अन्दाज है कि उसके नीचे जो दो पुल हैं। एक रेलवे का और दूसरा नया गढ़मुक्तेश्वर वाला पुल जिस पर १ करोड़ और कुछ लाख लागत आई है बेकार हो जायेगी। तहसील का लेविल नीचा है और गंगा अपने चैनल को छोड़ कर तहसील में आ जायगी। इसका प्रबन्ध नहीं किया तो आप देखेंगे कि दोनों पुल बेकार हो जायंगे। आप को गंगा के लिये प्रबन्ध करना पड़ेगा। इन चीजों की तरफ आप ध्यान दें यही मेरी प्रार्थना है।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय निश्चित वक्त से दो घंटा और बढ़ा दिया जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी है। सभी माननीय सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जला देवरिया)—मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हमने कुछ प्रोग्राम बना लिये हैं साढ़े ५ बजे के बाद और यह पहले से निश्चित हो चुका था कि दो रोज इस पर विवाद किया जायगा। पूरे दो रोज हो चुके हैं और अब हम यह वक्त बढ़ाने के विरोध में हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रश्न उपस्थित करने के पहले मेरा निवेदन आप सुन लें। सरकार जो कह रही है कि हमारा प्रोग्राम बना हुआ है तो आप को याद होगा कि यात्री-कर विधेयक पर तीन घंटा समय बढ़ाया गया था। आज जब इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर विचार करने के लिये सरकार के पास समय नहीं है और सरकार समय देने से मुकर रही है। कल तीन, चार घंटे का समय और कामों में लगा और आज भी ऐसा ही हुआ। इस तरह से पूरे एक दिन भी इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का मौका हमको नहीं मिल सका है।

श्री उग्रसेन—दो दिन के मतलब हुए १० घंटे और कल साढ़े ३ या पौने चार बजे से इस पर विवाद शुरू हुआ था। तो १० घंटे कहां हुए?

श्री अध्यक्ष—मेरे अख्तियार में १५ मिनट हैं। दो घंटे नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—आखिर उनके भी सदस्य बोलेंगे, उन्हें रोशनी मिलेगी। यही तो समय है रोशनी लेने और देने का।

श्री अध्यक्ष—अब मैं प्रश्न को रख दूं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—श्रीमन्, यदि आप हम लोगों की पैरवी नहीं कर सकते तो मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि आगे समय के बारे में आप मध्यस्थता न करियेगा हमारे और उनके बीच में और यह देखा जायगा कि सरकार कितना काम अपने मन से चलाती है।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है। प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)— श्रीमन्, कल आपने आश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष—मैनेजर सिंह जी, कल भी माननीय राजस्व मंत्री ने उसका विरोध किया था। तब मैंने कहा था कि आज विरोध है तो कल सम्भव है बढ़ जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, आपके आश्वासन के बाद राजस्व मंत्री का विरोध कोई माने नहीं रखता।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—५२,

विपक्ष में—७५।)

श्री उग्रसेन—यह सरकार अपनी संख्या के बल पर हठधर्मी पर तुली हुई है। प्रदेश की बाढ़ स्थिति पर हमें बोलने और कहने का मौका नहीं देती है और टैक्स बढ़वाने के लिये यह सरकार नौ, नौ बजे तक सदन चलवाती है संख्या सुर के बल पर। इसके विरोध में हम सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन का त्याग करते हैं और यह भी कहते हैं कि आगे कभी भी सदन का समय नहीं बढ़ने देंगे।

(इसके उपरान्त श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिससे लाखों जनता परेशान है और लाखों आदमियों का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सभी लोगों ने कई बार सरकार और आपके आग्रह पर अपनी इच्छा के विरुद्ध तीन-तीन घंटे अधिक सदन में बैठ कर अपनी राय जाहिर की है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब कि हम निवेदन करते हैं कि दो घंटे आप समय बढ़ायें, माननीय सदस्यों की अपनी राय जाहिर करने दें। आप उनकी राय को सुनें तो सरकार समय देने के लिए तैयार नहीं। इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार संख्यासुर के बल पर अपने विचारों को हमारे ऊपर लादना चाहती है। इसलिए मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह नित्य प्रति देखा जाता है कि रोज कभी सी० आई० डी० की पुलिस को लेकर कभी किसी दूसरे विषय को लेकर दो-दो घंटे यहां विवाद छेड़ देते हैं। ऐसे प्रश्नों को लेकर यह स्वयं बाढ़ पर बहस के लिए समय नहीं देना चाहते। यह कहना कि सरकार समय नहीं देना चाहती यह न्यायसंगत नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री दो घंटे समय बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। पी० एस० पी० इसका विरोध करती है और सदन का त्याग करती है।

(श्री मैनेजर सिंह को छोड़ कर अन्य सभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री ने दो घंटे के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। टैक्स के लिए हम लोगों को नौ-नौ बजे तक बिठाया जाता है तब उनका प्रोग्राम नहीं रहता है। इस विषय पर जब लोग बोलना चाहते हैं तो उनको अवसर नहीं दिया जाता। मैं इसका विरोध करता हूं और जन संघ दल आज सभा का त्याग करता है।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री मैनेजर सिंह—आज जो बाढ़ का आंकड़ा पेश किया गया है उसमें बलिया का चौथा, तीसरा और पांचवां क्षेत्र पुल, जनसंख्या, क्षति के आधार पर नम्बर आता है। बलिया के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। राजस्व मंत्री को मैं बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने समय नहीं बढ़ाने दिया। जब टैक्स का बिल आता है तो कई-कई घंटे समय बढ़ाया जाता है। इस रवैये का हम सख्त विरोध करते हैं और किसी दिन अब समय बढ़ने नहीं देंगे।

(इसके उपरान्त श्री मैनेजर सिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद—(क्रमागत)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस समय बाढ़ के विषय पर चर्चा चल रही है। यह विषय कोई नया नहीं है, प्रति वर्ष एक समस्या लेकर आता है और जन-जन को परेशान कर देता है। और खून के आंसू रुला कर लोगों को तबाह कर देता है।

सर्वप्रथम यह समस्या केवल पूर्वी जिलों की थी लेकिन अब पश्चिमी जिले भी नहीं बचते। यहां तक कि लखनऊ राजधानी का सौ वर्ष का इतिहास है उसमें कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई लेकिन यहां भी अब बाढ़ की विभीषिका आ गयी। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया जिलों की है, जहां पर हजारों की संख्या में गांव बह गये हैं, घर गिर गये हैं करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां का दौरा किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में काफी क्षति हुई है और इसका कारण गंडक योजना का पूरा न होना भी है। इन तीन चार जिलों में मिला कर, श्रीमन् आप देखें, लगभग १५ करोड़ रुपये की क्षति हुई है। विभाग द्वारा बनाये गये एक दर्जन बांध टूट गये। ११ लाख एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है और साढ़े सात लाख एकड़ भूमि पर जो फसल थी वह नष्ट हो गयी है। २१ हजार मकान गिर गये हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी ओर हमारा ध्यान खास तौर से जाना चाहिए। माननीय सिंचाई मंत्री ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो यहां पानी बरसता था और चला जाता था। उस पर भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब अपनी सरकार ने जो निर्माण-कार्य किये हैं, उन बांध, पुलों आदि से पानी के प्राकृतिक बहाव में कुछ कावट होती है। जहां तक इन बांध वगैरह का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि शायद विरोधी पक्ष के लोगों को और जनता को यह शिकायत थी कि जो इंजीनियर व ठेकेदार हैं वह सही ढंग से काम नहीं करते हैं, लेकिन आज सिंचाई मंत्री जी को भी यही शिकायत है उन्होंने यह स्वीकार किया कि जिस समय इंजीनियर बांध, पुल वगैरह बनाते हैं तो वह इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो पानी बरसेगा वह बराबर निकल पायेगा या नहीं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

मंत्री जी इस प्रदेश के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि वह इंजीनियरों को यह आदेश प्रसारित करें कि इस प्रकार से जो इंजीनियर कार्य करेंगे उन्हें बर्खास्त किया जायगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई एक स्थान की समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्र की समस्या है और सरकार को इसके लिए एक अलग आयोग की स्थापना करनी चाहिये जो कि प्रति वर्ष आने वाली इस बाढ़ की विभीषिका के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करे और सुझाव दे कि किस तरह से यह समस्या हल की जाय। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि पानी का निकास सही ढंग से हो जाय। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारी समस्यायें दिन पर दिन बढ़ती जायेंगी। लाखों रुपया नमक, तेल दियासलाई के नाम पर खर्च होता रहेगा और यह हमारी समस्यायें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार एक आयोग की स्थापना अवश्य करे, जो कि पूरे प्रदेश में और खास कर पूर्वी जिलों में जहां पर कि प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग बाढ़ से परेशान होते हैं, उनके स्थायी हल के लिए एक ठोस योजना बनावें और उसे कार्यान्वित किया जाय।

मैं बाराबंकी जिले में घाघरा नदी से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन्, इस नदी से २६१ गांव प्रभावित हुए हैं और १ लाख ६६८८ एकड़ भूमि जलमग्न हुई है। ८०९७१ व्यक्ति, घाघरा और उसकी सहायक नदियों से प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई इस वर्ष की समस्या नहीं है। बराबर प्रति वर्ष यह समस्या खड़ी होती है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम उसके लिए नहीं उठाया है जिससे कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाय। मैं मान्यवर, आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए वह जगह-जगह फ्लड पोस्ट्स की स्थापना कराये और वहां पर छोटे-छोटे मकानों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जहां कि बाढ़ग्रस्त लोग लाये जा सकें। जब बाढ़ आ जाती है तब एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ती है। इसको हल करने के लिए सरकार को योजना बद्ध होकर ठोस कदम उठाना चाहिए।

अब श्रीमन्, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़ से गुजरने वाली गोमती नदी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष गोमती नदी से हमारे हैदरगढ़ क्षेत्र के १३० गांव प्रभावित हुए जिनमें १०,६६२ एकड़ भूमि जलमग्न हुई है, ५,३८२ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और ४६ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा ३,२५० रुपये की क्षति हुई है। जहां तक सरकारी व्यवस्था का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अधिकारीगण काफी सतर्क हैं और बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए बिल्कुल कृतसंकल्प हैं। लेकिन जहां तक एक स्थायी रूप से समस्या के हल का प्रश्न है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कुछ गांवों की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। पूरे ललक (मझार), भीतरी, चकोरा और शरीफाबाद यह तहसील हैदरगढ़ स्थित बाराबंकी जिले के गांव हैं। यह ऐसे गांव हैं जो कि मामूली बरसात होने पर भी चारों तरफ से घिर जाते हैं। चारों ओर पानी भर जाता है। इसी सिलसिले में पूरे ललक (मझार) और भीतरी के लोगों ने प्रार्थना-पत्र भी भेजा है कि इन गांवों को अलग बसाने के लिए जमीन दी जाय और हमें कुछ ऐसी सहायता दी जाय कि हम लोग वहां बस कर के अपनी जीविका चला सकें। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इनको ऊंचे पर कहीं बसाने के लिए कोई ठोस कदम उठावे। जब तक इनको बाहर किसी ऊंचे स्थान पर बसाने की योजना नहीं होती है तब तक यह परेशानी बनी रहेगी। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अब समय हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दो दिन बाढ़ पर विवाद के लिए मुकर्रर किये गये थे। आज दो दिन पूरे हो गये लेकिन हमारे मित्र जो उधर बैठते हैं उनका यह आग्रह था कि दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय लेकिन आज और कल दो दिन कुछ ऐसे विवादों में वक्त का सरफ़ा किया गया जिसके लिये ऐसी जरूरत नहीं थी। सरकार के भी काम होते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम की रू से हम लोगों को असुविधा थी कि सदन का दो घंटे का समय बढ़ाया जाय। हमारे मित्र चले गये। मुझे अफसोस है कि हमारे मित्र सामने नहीं हैं लेकिन मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वह गवर्नमेन्ट के पक्ष की बात सुनना नहीं चाहते थे नहीं तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था। न मालूम कितनी मर्तबा ऐसी बातें हुई हैं कि जब टाइम बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो हमारी तरफ़ से विरोध हुआ और हमारी तरफ से प्रस्ताव आया तो उनकी तरफ से विरोध हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर वाक आउट के हथियार को गुट्ठल नहीं करना चाहिये। हमारी सलाह हमारे भाइयों ने नहीं मानी। हमने तो केवल अपने मित्रों को इशारा ही किया था।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है मैंने अपना एक मुफस्सिल बयान हर जिले की स्थिति का वर्णन करते हुये, जहां-जहां सैलाब आया है, सदन की मेज पर रखा है वह काफी लम्बा चौड़ा बयान है। घंटे भर में वह पढ़ा गया था क्योंकि बहुत तफसील के साथ उन बातों को उसमें बतलाया गया था। हमारे कुछ मित्रों ने इस विवाद में भाषण करते हुये कहा कि जो नुक़सानात के फीगर्स उस बयान में दिये गये हैं वे ठीक नहीं हैं। किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि ठीक नहीं, यह मैं नहीं जानता और मेरा दावा भी नहीं है कि वे ठीक हैं। कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि ऐसी परिस्थिति में वह ठीक हो सकते हैं, जिन परिस्थितियों में आंकड़े तैयार किये जाते हैं। उस समय तमाम पानी भरा होता है, सैलाब का जोर होता है, किश्ती से या मुख्तलिफ जरिये से लोग बड़ी मुश्किल से उन मुकामात पर पहुंचते हैं। तो ऐसी हालत में जब कि लोग पानी से घिरे होते हैं उनको निकालने का प्रयास रहता है, ऐसी सूरत में यह कहा जाय कि आंकड़े बिल्कुल सही सही हम दे सकते हैं तो ऐसा दावा मैं नहीं करता। मेरे पास इतने साधन होते हुये भी मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता। इसलिये जिन महानुभावों ने यह कहा है कि उनको जो इत्तिला है वह उस आधार पर कह सकते हैं कि सरकारी आंकड़े गलत हैं। मैं समझता हूं कि उनके साधन सीमित होते हुये जब कि उनको ऐसी सुविधा नहीं है कि वे सही सही आंकड़े दे सकें तो वे किस तरह से कहते हैं। इन आंकड़ों को ठीक ठीक जानने का अन्दाजा जब सैलाब खत्म होगा तभी हो सकेगा और उसी वक्त सर्वे के बाद सही आंकड़े लगाये जा सकते हैं। मैंने ऐसा दावा नहीं किया कि वे बिल्कुल ठीक ही हैं। हमारे मित्रों को कुछ शिकायत है लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनके आंकड़े भी सही नहीं हैं।

जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है, राजस्व विभाग गवर्नमेन्ट का एक डिपार्टमेन्ट है। उसका मैं खादिम इंचार्ज हूं। रिलीफ मेजर, सैलाब के आने पर जो सफरर के लिये मदद होनी चाहिये, वह रेविन्यू विभाग से तुरन्त की जाती है। मुझे इस बात के कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसा हमारे मित्रों ने उस तरफ से कहा, सदन में नहीं कहा बल्कि सदन के बाहर हमारे भाइयों ने कहा, जब मैं दौरे पर गया था तो भाई मेंदा सिंह जी और उग्रसेन जी ने कहा, लखनऊ में भी मुझसे कहा और देवरिया में भी मुझसे कहा कि इस सैलाब के जमाने में अफसरों ने बड़ी सर्तकता के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ काम किया है।

एक सदस्य—मैंने कहा था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपने भी कहा था और कई लोगों ने कहा था। कुछ ने कहा था कि बड़ी लापरवाही की गई है। मैं किसकी बात मानूं। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हीं लोगों ने यह बात कही। मैं तो सब की बातें सुनता हूं और सुन कर पी जाने के लिये तैयार रहता हूं। मैंने जो बातें देखी हैं, उस दौरे में, उस मुकाम पर हमारे साथ उस दल के माननीय सदस्य भी थे। वहां उन लोगों ने मुक्त कंठ से तारीफ की। यह मैं नहीं जानता हूं कि उनकी तारीफ सही थी या नहीं। परन्तु काफी सराहना की गई। मैं यह भी जानता हूं कि यह किसी

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

सरकार के वश का नहीं है कि जितने नुकसानात हों, उनको वह पूरा कर सके और उनका पूरा-पूरा मुआवजा दे सके और लोगों को कम्पेन्सेट कर सके। सरकारी इमदाद जो होती है वह इसलिये होती है कि जब आदमी मुसीबत में हो तो डूबते को तिनके का सहारा जैसे होता है, वैसे ही सरकारी इमदाद भी होती है। मुसीबत में आदमी को तनिक-सा सहारा भी बहुत होता है। जो थोड़ी बहुत मदद उनको दी जाती है वह इसलिये कि वे अपनी डिफीकल्टीज को टाइड ओवर कर सकें। मैं भी समझता हूं कि चना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परन्तु वह लोगों को सैलाब के मौके पर, जब वे पानी से चारों तरफ से घिरे होते हैं, दिया जाता है। वे उसको पानी में उबालकर नमक के साथ खाकर किसी तरह से गुजर करते हैं। उनको और भी दूसरी तरह की चीजें दी जाती हैं, जैसे दियासलाई और मिट्टी का तेल वगैरह। यह सहायता इसलिये उनको नहीं दी जाती है कि वे अपनी जिन्दगी उससे काट सकें। बल्कि उस मुसीबत के वक्त को रफा करने के लिये ही यह सब उनको दिया जाता है।

मैंने अपने स्टेटमेन्ट में सारे फिगर्स दे दिये हैं। लगभग ५० हजार रुपये लोगों को तकावी और दूसरे मिसलीनियस कार्यों के लिये दिये गए। साथ ही इस बात के भी आदेश हैं कि सैलाब खत्म होने के बाद टेस्ट वर्क खोले जायं और लोगों की गरीबी को कम करने के लिये उन्हें काम दिया जा सके ताकि वे अपना किसी तरह से जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी मुसीबत के दिन काट सकें। हमने यह भी डाइरेक्शन्स दिये हैं कि लोगों को मेडिकल एड आदि की सुविधायें दी जायें। इसका कारण यह है कि बाढ़ के बाद एपिडेमिक शुरू होने का खतरा रहता है। उसके लिये हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरी हिदायतें दी जा चुकी हैं कि वह इस परिस्थिति के लिये सतर्क रहे। यही नहीं, दवाइयां आदि भी बंटवाने का इन्तजाम किया जा चुका है ताकि ऐसा न होने पाये।

कुछ हमारे मित्रों ने चारे के बारे में कहा। हमारा यह तजुर्बा रहा है कि चारा अगर हम मंगाते हैं और उसे देते हैं तो कोई लेने के लिये तैयार नहीं होता है। हमने तो नो प्राफिट और नो लास की बेसिस पर भी चारा पहुंचाने का इन्तजाम भी करने की कोशिश की परन्तु लोग लेते ही नहीं हैं। सड़ जाने के कारण हम नहीं मंगाते हैं। दूसरी बात और इसी सम्बन्ध में है। हमने जंगल की घास का भी इन्तजाम किया लेकिन वह पूरब के पशु नहीं खाते हैं। वह शायद रिसाले के घोड़े खाते हैं और बैल और गाय नहीं खाते हैं। इसलिये वह भी बेकार ही साबित हुआ हालांकि हमने एक ठेकेदार को यह आदेश दे दिया है कि यदि कोई मांगे तो फौरन ही उसके लिये भूसे का इन्तजाम करे। जहां-जहां हो सका है हमने वहां पर सरकारी रकम की वसूली भी बन्द कर दी है और फीस के बारे में भी अभी तो मैं कुछ डेफिनिट रूप से नहीं कह सकता हूं परन्तु फीस की माफी के लिये भी हम कुछ न कुछ करेंगे।

एक और बात मैं कहूंगा। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नदियों को ट्रेन किया जाय। अब क्या बताऊं, बदकिस्मती से मैं एक लेमैन हूं। उन्होंने इस टोन में बात की कि मालूम होता था कि बड़े एक्सपर्ट हैं, सारी इंजीनियरिंग उन्होंने खत्म कर दी। मैं तो ऐसा दावा कर नहीं सकता, मैं रायजनी करने से मजबूर हूं। लेकिन हमारे भाई श्री राममूर्ति जी, इरिगेशन मिनिस्टर के मातहत बहुत बड़ी फौज इन्जीनियरों की है। यह उनका बिजनेस है। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं और हमारी मुश्किलात को आसान कर दिया। कहां बन्धा हो, कहां नाली बने, नदी की खुदाई हो यह वही बता सकते हैं।

गोरखपुर के बाबाजी ने हाई पावर कमीशन की बात कही। एक पहले से ही फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड कायम है, उससे ज्यादा हाई पावर आयोग क्या होगा, इसलिये दूसरे आयोग की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुःख है कि सैलाब का मामला हर साल आता है। दिक्कत एक यह है कि आबादी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है और लोगों को आबाद होने के लिये

ऊंची जमीन न मिलने पर दरियाओं के किनारे आबाद हो जाते हैं कछार एरिया, जहां बाढ़ आना लाजमी है, इस वजह से भी बाढ़ से मुतास्सिर लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है।

हम से एक साहब ने कहा कि ड्रेजिंग कराइये नदियों का, लेकिन उसकी बालू मिट्टी कहां ले जाऊं? क्या वह वहीं पड़ी रहने दी जाय ताकि बाढ़ आने पर फिर उसी में भर जाय और लाखों रुपये बरबाद हो जायं?

एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ मित्रों ने इस हद तक कहा कि नुकसानात को सप्रेस कर रही है सरकार। अब यकीन न मानिये तो दूसरी बात है, लेकिन हमारी हिदायत है कि अन्डर-एस्टीमेट हरगिज न किया जाय और जो सही आंकड़े और नुकसानात हों ऐप्रोक्सीमेट वह दिये जायं ताकि मुतास्सिर लोगों को हम कम्पेंसेशन दें। मालगुजारी में जो कायदे हैं उनके मुताबिक हम छूट देते हैं।

श्री झारखंडेराय—मेरा अनुभव है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर जाते हैं तब तो एस्टीमेट में फर्क नहीं करते, लेकिन जब दूर से सुनकर लिखते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हवाई जहाज से जरूर गड़बड़ी पड़ेगी, इसमें कौन सी कहने की बात है? हिदायत है कि फील्ड टु फील्ड सर्वे करें तब एस्टीमेट बनायें और यह उनको करना होगा और यही करना चाहिये। अगर कोई माननीय मित्र प्वाइंट आउट करें कि फलां गांव के फलां पटवारी ने गड़बड़ी की तो हम उसकी बाज-पुर्स करेंगे और मुनासिब कार्यवाही करेंगे। प्रिजम्पशन यह है कि वह कायदे के मुताबिक कार्य करते हैं। तो हमारा कोई मोटिव नहीं है कि नुकसानात को कम दिखाया जाय। 'दानी धन दे और भंडारी का पेट फूले'। जनता का पैसा है, उसे हम उन्हीं के काम में खर्च करना चाहते हैं। विदेशियों की हुकूमत में भले ही यह रहा हो लेकिन आज की हुकूमत में यह मुमकिन नहीं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हर अफसर को यही हिदायत है। सरकार की तरफ से खाद्य विभाग को यह आदेश दे दिये गये हैं कि जहां जरूरी हो वहां ग्रेन शाप्स खोली जायं, फ्री राशन के कैम्स भी खोले जा रहे हैं। सेक्रेटेरियट में भी हमारी यह हिदायत है कि कलेक्टर की जितनी मांग आये उतनी मदद टेलीफोन से तुरन्त पहुंचाई जाय ताकि मन्जूरी के अभाव में, पैसे की कमी की वजह से उनकी रिलीफ पहुंचाने में गड़बड़ी न हो, सरकार इसको पसन्द नहीं करती।

लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हमारे पास ला तादाद रुपया है। ऐसी बात नहीं है। हम उतने ही पैर फैलायेंगे जितनी हमारी चादर है। किसी के कहने से ज्यादा पैर हम नहीं फैलायेंगे। और फिर हम वैसा कर भी तो नहीं सकते। हमारी भी तो कुछ मजबूरी है। जितनी रकम हमारे पास है उसमें हम कोताही नहीं करेंगे। सरकार का तो हर तरह से यही प्रयास रहता है कि हमारे किसानों पर जो मुसीबत आ गयी है, उसमें हम उन लोगों की मदद करें और जो कुछ उसके द्वारा हम कर सकते हैं करने की चेष्टा करते हैं। यही हमारा प्रयास है।

यह कहना ठीक नहीं है कि हम पक्षपात करते हैं। जिसको जितने की आवश्यकता होती है, उतना उसको हम देते हैं, उसके नुकसान को मद्देनजर रख कर देते हैं। जहां ज्यादा जरूरत होगी, वहां ज्यादा देंगे और जहां कम जरूरत होगी वहां कम देंगे, चाहे वे पश्चिम के जिले हों या पूर्व के हों। अक्सर लोग कहते हैं कि फलां जिले को कम दिया और फलां को ज्यादा दे दिया। नुकसान के हिसाब से वहां के जिला मजिस्ट्रेट जितनी मांग करते हैं, उतना रुपया हम देते हैं।

रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा कि उन्होंने हमें एक पत्र लिखा था, उनकी उस शिकायत का हमने कोई जवाब नहीं दिया। यह शिकायत तो हमारे घर वालों को हमसे बहुत पुरानी

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

है और इस उम्र में वह कैसे ठीक की जा सकती है। अगर उनको काम कराना है तो फौरन मुझसे मिलें और अपना काम करा लें। हां खतो-किताबत से कोई रिकार्ड रखना हो और काम कराना न हो, तब बात दूसरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और सोमवार १७ तारीख को १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर सोमवार, १७ सितम्बर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

[देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ सितम्बर, १९६२।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर]

सूची "अ"

बालिका जीनियर बेसिक स्कूल्स

१—संदपुर
२—रेवतीपुर
३—गहमर
४—मुहम्मदाबाद
५—शेरपर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची "ब"

वर्तमान बालिका प्रारम्भिक पाठशालायें

१—डढवल
२—करण्डा
३—मैनपुर
४—गहमर
५—बारा
६—रेवतीपुर
७—दिलदारनगर
८—बद्धुपुर
९—मरदह
१०—सिगेरा
११—बालापुर
१२—वीरपुर
१३—कासिमाबाद
१४—ग्रायकडीह
१५—मिर्जापुर
१६—गोसेंदपुर
१७—चाड़ीपुर
१८—बरही
१९—पिपनार
२०—सरायमुबारक
२१—हरिहरपुर
२२—लकूडीह
२३—जलालाबाद
२४—बरहट
२५—खालिसपुर
२६—पाली
२७—पचोसर
२८—कुण्डेसर
२९—रामपुर बेलभद्र
३०—सुहवल
३१—शेरपुर खुर्द
३२—महेन्द
३३—बहरियाबाद
३४—मोजापुरा
३५—सेवराई
३६—जंगीपुर
३७—खानपुर
३८—कटरिया
३९—गंगोली
४०—नौली
४१—यूसुफपुर
४२—राजापुर
४३—मदरा
४४—ढढनी
४५—ताजपुर
४६—बरहपुर
४७—जमानिया
४८—करीमुद्दीनपुर
४९—देवल
५०—सादात
५१—बन्हऊ
५२—पृथ्वीपुर
५३—ग्रवधही
५४—बरविन खास
५५—बहिरार
५६—नारो
५७—दिलदारनगर खास

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सूची 'ख'

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६१–६२ में प्रारम्भ की गयी बालिका विद्यालयों की सूची

(१)	दिल्दारनगर खास	
(२)	नायकडीह	
(३)	मिर्जापुर	
(४)	गौसन्देपुर	भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है परन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
(५)	चांडीपुर	
(६)	सुखडेहरा	
(७)	सुहबल	
(८)	बरही	
(९)	हरिहरपुर	
(१०)	लठूडीह	
(११)	जलालाबाद	
(१२)	बरहट	
(१३)	खालिसपुर	
(१४)	पाली	
(१५)	पचोखर	
(१६)	पिपनार	
(१७)	कुण्डेसर	
(१८)	सराय मुबारक	
(१९)	रामपुर बेलभद्र	
(२०)	शेरपर खर्द	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

तृतीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष १९६२–६३ में खुलने वाली प्रारम्भिक पाठशालाओं की सूची

(१)	गोड़उर	
(२)	परसा	
(३)	भीमपार	
(४)	रामपुर	
(५)	मुड़कुड़ा	अभी भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, यद्यपि भूमि खंड विकास अधिकारी को दे दिया गया है।
(६)	नरियाव उर्फ उमरगंज	
(७)	उसिया	
(८)	बहादुरगंज	
(९)	बिजौरा	
(१०)	दिनापुर	
(११)	देवकली	
(१२)	सरायगोकुल	
(१३)	फतुल्लहपुर	
(१४)	उतरौली	
(१५)	उतराव	
(१६)	भड़सर	
(१७)	बाराचौर	
(१८)	गदाईपुर	
(१९)	मानपुर	
(२०)	बरविन बाजार।	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर]

कर्मचारियों की संख्या और उनक पद

कर्मचारियों के पद	कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या हरिजन कर्मचारी
१—सहायक आबकारी कमिश्नर	१७	..
२—सुपरिन्टेन्डेंट एक्साइज	२३	..
३—आबकारी निरीक्षक	२३६	१३
४—लिपिक	१५७	३
५—ताड़ी सुपरवाइजर	२४	२
६—सब-इंस्पेक्टर आफ एक्साइज	१५	१
७—आबकारी चपरासी	८८०	८४
८—ड्राइवर	१६	२
९—चौकीदार	९	..
१०—दफ्तरी	२	..
११—फर्राश	१	..
१२—जमादार आर्डली	[illegible]	..
१३—पानी वाला	[illegible]	..
१४—मेहतर	[illegible]	[illegible]
योग ..	१,[illegible]	[illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४८ पर]

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	प्रभावित क्षेत्र	रकबा नुकसानी	मालगुजारी की छूट
		एकड़	एकड़	रु० न०प०
१	नकटापार	१३८	५४	६३.१९
२	जोकहा खास	१०५	९५	३२.६८
३	परसा जोकहा	२४	८	१०.५२
४	उसरा बाजार	११५	९६	१५९.३५
५	परसा जंगल	४२	२९	७७.६९
६	विदिई	५५७	४८९	३५६.०५
७	कोइल गट्टा	४८३	४०४	३०२.३२
८	टरडी नदुलवा	३१	२९	१०३.२१
९	गोपलपुर	१०	६	१८.३२
१०	बड़हरा	१७	१३	२९.३७
११	रमेल बनरही	८७	६४	२२०.७१
१२	जंगल इमिलिया	७६	५२	१६०.३४
१३	कतपुरा	८२	६७	१८४.१२
	योग ..	१,७६७	१,४०६	१.७१७.८७

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

सूची

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४१ व ४२ के उत्तर पीछे पष्ठ ४४९ पर]

एडिश्नल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत के वर्तमान कर्मचारियों के नाम, पद, वेतन क्रम इत्यादि नीचे दिये गये हैं :

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	अस्थायी अथवा स्थायी	वेतन-क्रम	कार्य करने की अवधि	वेतन	वेतन दिया गया या नहीं
१	२	३	४	५	६	७	८
						रु०	
१	श्री रामआसरे,	पेशकार	अस्थायी	६०–४–८०–५–१२०	१९–६–६२ से	७२	वेतन दिया गया
२	श्री आर० बी० जेम्स	अहलमद	,,	६०–४–८०–५–१२०	१०–८–५७ से	७६	,, ,,
३	श्री पीर-मुहम्मद	स्टेनोग्राफर	,,	१००–२००	१०–८–५७ से	१२०	,, ,,
४	श्री जमुना प्रसाद	चपरासी	,,	२७–१/२–३२	१–६–५४ से	३१	,, ,,
५	श्री आरिफअली	,,	,,	२७–१/२–३२	१०–८–५५ से	३०	,, ,,

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५० पर]

क्रम-संख्या	पद का नाम	कुल संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	क्लर्क	३०९	८
२	चपरासी	४२५	३६
३	कलेक्शन अमीन	१८१	३
४	सुपरवाइजर कानूनगो	१८	..
५	रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार तथा एडिशनल नायब रजिस्ट्रार, कानूनगो ..	२३	..
६	मिर्दहा (चेनमैन)	१८	..
७	सदर कानूनगो	१	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर)

परिशिष्ठ 'क'

१ जुलाई, सन् १९५९ से लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित डिग्री कालेजों के अध्यापकों के लिये निम्नलिखित वेतन-क्रम स्वीकृत किये गये :

१—प्रिंसिपल	.. ..	६५०—४०—८५०—५०—९००
२—विभागाध्यक्ष व प्रोफेसर	..	३००—२०—५००—२५—६००
३—असिस्टेंट प्रोफेसर	..	२७५—१५—४१०—२०—५५०
४—लेक्चरर	.. ..	२२५—१५—३६०—१५—४५०

विधान सभा पुस्तकालय

परिशिष्ट 'ख'

प्रश्न संख्या १३

१—डी० ए० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता।
२—कान्यकुब्ज बोकेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ ..	सन् १९५४ से ८ रु० प्रति मास महंगाई भत्ता दिया जाता है।
३—कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ ..	सन् १९५८ से वेतन का ३ प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है।
४—विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ ..	जुलाई, १९६१ से महंगाई फीस वसूल की जाती है किन्तु नियम निर्धारित न होने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया।
५—शिया डिग्री कालेज, लखनऊ ..	केवल लिपिकों एवं निम्न कर्मचारियों को दिया जाता है।
६—लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ..	पिछले १० वर्षों से २० रु० प्रतिमास महंगाई भत्ता दिया जाता है।
७—महिला विद्यालय, लखनऊ ..	महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।
८—खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।
९—करामत हुसेन गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	१९६१–६२ में २५ रु० २४ न० पै० अध्यापिकाओं को महंगाई भत्ता दिया गया।
१०—जुबली गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	सन् १९५५ से ५ रु० प्रति मास तथा वर्ष के अन्त में अवशेष महंगाई फीस को भी अध्यापिकाओं में बाँट दिया जाता है।
११—शशिभूषण बालिका विद्यालय, लखनऊ	इस वर्ष से महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
१२—आई० टी० कालेज, लखनऊ ..	महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।
१३—लोरेटो कानवेन्ट कालेज, लखनऊ..	महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट 'ग'

प्रश्न संख्या १४	उत्तर
१—डी० ए० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस वसूल नहीं की जाती, अतः उसके वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।
२—कान्यकुब्ज वोकेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ	महंगाई फीस वसूल की जाती है और अध्यापकों को बाँटी जाती है।
३—कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस वसूल की जाती है और बाँटी जाती है।
४—विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस वसूल की जाती है पर वितरण क सम्बन्ध में नियम निर्धारित न होने के कारण महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है।
५—शिया डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस ली जाती है और लिपिकों तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को बाँटी जाती है, क्योंकि उनके वेतन-क्रम कम हैं।
६—लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस वसूल की जाती है और बाँटी जाती है।
७—महिला विद्यालय, लखनऊ ..	महंगाई फीस नहीं वसूल की जाती है, अतः बाँटने का प्रश्न नहीं उठता।
८—खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ. .	महंगाई फीस नहीं वसूल की जाती है, अतः बाँटने का प्रश्न नहीं उठता।
९—करामत हुसेन गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	महंगाई फीस वसूल की जाती है और अध्यापकों, लिपिकों तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को बाँटी जाती है।
१०—जुबली गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस वसूल की जाती है और कर्मचारियों में बाँटी जाती है।
११—शशिभूषण बालिका विद्यालय, लखनऊ. .	इस वर्ष से महंगाई फीस वसूल की जा रही है इस सत्र से महंगाई भत्ता बाँटा जायगा।
१२—आई० टी० कालेज, लखनऊ ..	नाम मात्र की महंगाई फीस ली जाती है और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में बाँटी जाती है।
१३—लोरेटो कानवेन्ट कालेज, लखनऊ ..	महंगाई फीस नहीं वसूल की जाती है, अतः बाँटने का प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर)

AUDIT AND INSPECTION NOTE ,ON THE ACCOUNTS OF CITY HIGHER SECONDARY SCHOOL, GHAZIPUR

PART I

Part I contains cases of embezzlements, both temporary and otherwise. Part II of this reports contains other irregularities and misuse of funds.

Preliminary—A special audit of this institution was taken up on the request of District Inspector of Schools, Ghazipur vide his letter no. 732/XVI 1-60-61, dated June 23, 1960. The Audit commenced on 17th and concluded on 28th August, 1960. It related to the period from April 1, 1959 to June 16, 1960.

2. *Administration*—The post of Manager of this institution was held by the District Inspector of Schools, Ghazipur and that of the Principal by Sri R. D. Nagaich during the period of audit except during Summer vacation (from May 29, 1959 to July 6, 1959) during which period Sri R. R. Tewari has worked as Incharge Principal.

The Maintenance fund and all the Boys fund were checked by the audit and the following irregularities were found which resulted in embezzlement in the various college funds as detailed below :

3. *Temporary Embezzlement*—The examination of Bank Ledger accounts and cash book revealed that two sums of Rs. 780 and Rs. 440 were withdrawn from the Games fund and Audio-Visual fund respectively on 25th May, 1959. These amounts were not noted in the relevant Cash Books and remained unaccounted for from 25th May, 1959 to 3rd June, 1959 in the case of Audio-Visul fund and up to July 13, 1959 in the case of Games fund when the following a amounts were deposited in the relevant funds on the dates noted against each.—

Rs. 80 in Games fund on 3rd June, 1959.

Rs. 700 in Games fund on 13th July, 1959.

Rs. 440 in Audio-Visual fund on 3rd June, 1959.

(ii) Further examination of the account records pertaining to all the college funds revealed that amounts noted in Appendix "A" were drawn on different dates and were not accounted for in the relevant account records. Thus the various amounts remained unaccounted for in relevant funds for a considerable time. Thus temporary embezzlement of the various amounts shown in the above noted appendix "A" took place and the amounts remained unaccounted for from 23rd July, 1959 to 16th June, 1960 on which day a part of the embezzlement sum amounting to Rs. 7,400 was deposited in the bank in various funds. The remaining sum amounting to Rs. 1,058.33 has still not been deposited and has, therefore, been embezzled.

The following is a statement showing the difference of amount in bank balances according to cash books and actual balances according to the Bank Ledgers supplied by the Bank on 16th June, 1960 and deposits in the various funds on 17th June, 1960 which was made to cover up the shortage.

Sl. no.	Name of fund	Shortage up to 16-6-1960	Deposit on 17-6-1960	Balance of shortage after 17-6-1960
		Rs. np.	Rs. np.	
1	Examination	260.00	260.00	..
2.	Extra	632.38	632.38	..
3.	Games	2,827.83	2827.83	..
4.	Science caution money	1770.50	763.03	1007.47
5.	Audio-visual	112.54	112.54	..
6	Magazine	236.99	236.99	..
7	Poor boys	535.00	535.00	..
8	Reading room	539.68	539.68	..
9	Refreshment	610.15	610.15	..
10	Maintenance	933.26	882.40*	50.86
	Total	84,58.33	7,400.00	1,058.38

*Rs. 513.76 in Maintenance fund and Rs. 368.64 in Science fund which is a part of Maintenance fund.

From the above statement it will be seen that efforts were made to deposit the unaccounted for amount, but it could not be fully accomplished.

4. *Temporary embezzlement* (*Maintenance fund*)—It was noticed that bills were encashed from treasury and remained unaccounted for a considerable time. Thus the amounts involved in these bills had been temporarily embezzled. The following are some of the instances of this type:

Date of encashment	Treasury Voucher no.	Amount	Nature of bill	Date of entering in college cash book
		Rs.		
11-6-59	49	168	Special increment	30-7-59.
,,	50	270	D.A. grant	7-8-59
,,	51	360	Grant-in-aid under Plan	,, ,, ,,
1-9-59	23	360	Ditto	12-12-59
14-9-59	91	261/94	D.A. Grant	22-3-60
30-9-59	196	360	Grant-in aid under Plan	19-3-60
8-10-59	63	500	Non-recurring grant	12-12-59
2-12-59	28	251183	D.A. Grant	22-3-60
12-12-59	27	2038.65	Reimbursement bill on account of remission of fee of schedule caste students.	5-1-60 and 20-2-60
	Total	4570.42		

From the foregoing paras it will be seen that a sum of Rs. 14,248.75 n. P. has been temporarily embezzled in various funds as shown in Appendix "B"

5. Embezzlements in various funds from the cash in hand—The following is a statement which will show the cash in hand according to cash books in various funds and as found in the safe on physical verification on June 19, 1960 by the staff of the District Inspector of Schools, Ghazipur in the presence of Sri H. S. Gupta, Incharge Principal and Sri J. P. Singh, Dey. Inspector of Schools, Ghazipur:

Name of fund	Balance in hand as per cash book	Amount found in safe	Difference
	Rs. nP.	Rs.nP.	Rs. nP.
Maintenance	2228.39	..	2228.39
Punkha	33.87	33.87	..
Science caution	89.15	67.15	22.00
Extra	14.12	14.12	
Examination	54.66	54.66	
Poor boys	6.83	6.83	
Magazine	0.76	0.76	
Audio-visual	0.48	0.48	
Games	41.93	0.54	41.39
Reading room .	20.38	5.68	14.70
P.E.C.	156.60	..	156.60
Co-operative	200.50	200.50	
Total	2,847.66	354.58	2,463.08

		Rs.np.
Cash in hand on 15th June, 1960		1,555.26
Income on 16th June, 1960		1000.00
	Total	2,555.26
Less amount		326.87
		2,228.39

Disbursed as D.A. on 4th June, 1960 (Entry for which has not been made in cash book).

From the above noted statement it will be seen that there is a difference of Rs. 2.463.08 n.P. between the cash stated to be in hand according to the various cash books and cash found in safe on actual physical verification. This amount has therefore been embezzled.

6. *Amounts drawn from the Government Treasury and not accounted for College record*—The Audit verified from the Government Treasury, Ghazipur the amounts drawn by the City Higher Secondary School, Ghazi-

pur during the period April 1, 1959 to June 30, 1960 and found that the follwing amounts were drawn from the Treasury and had not accounted for in the cash book or any other college record and thus had been embezzled.

(i) A bill for Rs. 436 was cashed on 28th April, 1960 vide voucher no. 83 on account of college maintenance account under scheme no. 77 of Second Five-Year Plan and did not find place in any of the college records and was thus embezzled.

(ii) Another bill for Rs. 2014-65 nP. on account of remission of fee of schedule caste students was cashed on 2nd June 1950 vide voucher no. 2 from Government treasury. It was not accounted for in the college records put up before audit and thus has been embezzled.

(iii) A bill amounting to Rs. 7,860.00 only was cashed on 16th June, 1960 vide Vr. no. 113 in respect of second quarter maintenance grant of the college. It was not entered in the college account books and has thus been embezzled. It is alleged that a forged bill was prepared and drawn from the Treasury putting thereon forged signatures of the Principal, Manager and District Inspector of schools. An enquiry in this respect is being conducted by the Police authorities and the true facts will be known in due course. However, this amount was drawn and embezzled.

(iv) *Embezzlement in fee caccount*—The fee account for the period from April, 1959 to June, 1960 was checked and it was found that fee noted in Appendx "C" of this report, amounting to Rs. 134.46 was not credited in the college accounts and has thus been embezzled. The name of the person by whom this amount was received from the class teacher is noted against each.

(v) *Amount on account of sale of khadi Hundis not deposited*—It is stated by the District Inspector of Schools, Ghazipur that Khadi Hundis worth Rs. 800.00 only were given to college and were received by Sri Bashir Ahmad clerk on the following dates and are stated to have been sold to the staff of the college and amount realised from them. The amount so realised was not deposited in the District Inspector of Schools office inspite of reminders nor was it accounted for in any of the college account register.

	Rs.
5th January, 1959	200
6th November, 1959	400
7th November, 1959	200
Total	800

This amount of Rs. 800 has also been embezzled.

(vi) *P .E. C. fees* Provincial Educational Corps fee was introduced in this institution from 11th December, 1959. Total income derived in this behalf amounted to Rs. 300.60 up to 13th May, 1950 as could be ascertained from the records made available to audit. Out of this a sum of Rs. 144 was shown in the account register as have been deposited in the Government Treasury on 27th January,

1960. The chalan in question was not put up in audit. The District Inspector of Schools should, therefore, confirm its deposit. The remaining amount of Rs. 156.60 has been shown as balance in hand.

(vii) *Embezzlement in Science Caution money account*—It was stated that science caution money realised at Rs. 5 and Rs. 10 from each of science students of High School and Inter classes respectively. This amount was refundable to students on the completion of their session or when they leave the institution. According to the entries of the Science Caution money account register a total sum of Rs. 2,257.55 nP. as detailed below was returned to the students concerned during the period under audit.

Amount refunded	*During the month*
Rs.	
10	April ,1959.
25	May, 1959.
105	July, 1959.
530	August, 1959.
215	September, 1959.
152.55	October 1959.
170	November, 1959.
100	December, 1959.
10	February, 1960.
930	March, 1960.
10	April, 1960.
Total 2257.55	

However on a scrutiny of the Science caution money disbursement register it wss revealed that only a total sum of Rs. 1,435 had actually been refunded to 212 students. In other words acknowledgments of only 212 studnets duly attested by the Principal was put up in audit. A list of students together with the amount refunded to each student is noted in Appendix"D".

It, thereffore, seems that a sum of Rs. 822.55 being the difference of this amount noted as paid and that for which actual receipt could be put has been embezzled.

Conlcuding note regarding embezzlement The above noted paras will indicate a sum of Rs. 15,587.07 nP. only has been embezzled in various funds as has been shown in Appendix "E".

Reasons which led to Embezzlement—The temporary embezzlement was first noticed in the Audio-visual and Games fund when the examination of cash books and Bank ledger accounts pertaining to these fund revealed a difference of Rs. 440 and Rs. 780 in both the funds respectively. Four cheques amounting to the precise amount of difference shown above in Games and AudioVisual funds were drawn from the bank on 25th April, 1959. These cheques were issued from the cheque book bearing serial no. which was not in use and was not issued to the Principal by Bank. It was stated that these cheque were issued from the private cheque book of Sri Kamla Prasad, Head Clerk of the institution. The Pass Books of both the aforesaid funds were stated to be missing and the Principal vide his letter no. PER/M-R-59,

dated 4th June, 1959 requested the Bank to issue fresh Pass books in respect of Games and Audio-visual funds for the period March, 1959 to up-to-date.

The bank supplied the ledger accounts showing the withdrawals and deposits for the above noted period. The ledger account supplied by the bank on 16th June, 1950 to the institution revealed that Rs. 780 was withdrawn from Games Fund and has not been credited in the college cash book. The amount of Rs. 440 withdrawn from Audio-visual fund was however not shown in the ledger supplied by the bank on 16th June, 1959 but was shown in the copy of ledger obtained by the District Inspector of Schools in one course.

It may be stated here that cash books of both these funds were also reported to be missing during the period in which the pass book were missing and this is a very significant future. These cash books were subsequently found behind the office Almirah by one Sri Amer Nath Srivastava on 31st May, 1959 in a torn conditions stated by the Head Clerk in his letter of 31st May, 1959 addressed to the District Inspector of Schools. The responsibility of tearing away the pages of cash books was fixed on one Hemraj, peon whose services were terminated with effect from 31st May, 1959 vide order dated 3rd June, 1959 from In charge Principal Sri Raja Ram Tewari. Further examination of file relating to the termination of the serivces of Sri Hem Raj revealed that the permanent Principal Sri R. D. Nagaish had alredy passed an order on 29th May, 1959 for the termination of the services of said peon, on the grounds that his work has not been satisfactory. The subsequent order regarding termination of services passed by the In-charge Principal on 3rd June 1959 on account of his destroying the Boys fund registers are, therefore, inconsistent with the actual state of affairs and the responsibility fixed on Sri Hem Raj appears to be doubtful in view of the fact that orders had already been passed for the termination of his services by the permanent Principal.

A remark in rsepect of torn pages of the Games fund was written by the In-charge Principal on 3rd June, 1959 on page 21 of the games fund register which reads as follows :

> "Details of the account from 15th January, 1959 to 14th May, 1959 having been destroyed by the mischief of office peon Hemraj vide file on subject the torn pages which were found out from his possession have been pasted with the respective pages, but in respect of last five pages whose torn portions are lost and not traceable are to be rewritten heareafter on the basis of the records available in the office."

The Head clerk recasted the cash book for the period May to June, 1959 which includes the transaction of withdrawal of Rs. 780 from the Games fund but this entry was not recorded in the cash book. Despite this lapse the following certificate was recorded in the cash book by the In-charge Principal which is incorrect in view of the fact that the entry of Rs. 780 had not been noted in the cash book.

"Certified that I have scrutinized the relevant records and the vouchers and satisfied myself on their accuracy and genuiness and the best of my belief only correct position has been shown hereupto."

25th June, 1959. (Sd.) R. R. TEWARI,

In-charge Principal.

Had the Incharge Principal scrutinized the relevant entries with the bank ledger, the omission would have easily come to light.

The above noted affiar led to further temporary embezzlement and subsequently to embezzlement in all the college funds through out the period under audit. A statement vide Appendix "A" of this report will show the embezzled on a particular date.

The cash books were not verified with the Pass Books not efforts were made to verify the actual position in bank account from the bank.

It was due to the fact that no steps had been taken by the authorities concerned to satisfy themselves about the accuracy of the balances that the embezzlements of funds in the various accounts was facilitated.

It was stated that it was the practice to keep the cheque books in office and put them upto the Principal whenever money was required to be withdrawn from the bank. This practice is against elementary commonsense as the cheque books are always expected to remain in the personal custody of the drawing officer. Issue of cheques on forged signature would not have been possible if the Principal who operated on the bank had kept the cheque books in his personal custody.

PART II

Last Auidt—The accounts of this institution was last audited by the Departmental Auditors in the month of January 1958. The compliance report has not yet been submitted to the Department. The accounts for the year 1959-60 have now been checked. General irregularities noticed during the course of audit are noted bleow:

Maintenance Fund

1. *Purchase of new furnitures*—The following amounts have been paid on the dates noted against each for the supply of new Desks and chairs. These have not been purchased in replacement of old furniture and as such is not a change on this fund.

Vr. no.	Date	Amuunt	Remarks
		Rs.	
37/9	22-9-59	600.00	Advance to M/S Madandas.
48/9	28-9-59	1307.50	Ditto.
20/12	17-12-59	647.50	Ditto.
		2555.00	

Such purchases can not be made from the maintenance fund. This amount should be refunded to the maintenance fund from the Managements own resources and such expenditure, should not be diverted to this fund in future.

2. *Construction of new room*—The following amounts have been paid out of maintenance fund for the construction of a new room.

Vr. no.	Date	Amount	Remarks
		Rs.	
5/1	5-1-60 ..	250.00	Paid to Ram Janam Sharma for the preparation of an auditorium.
6/1	8-1-60	400.00	Paid to Dwarika Das for the construction of room.
38/3	25-3-60	773.87	Paid as cost of iron for building.
69/3	31-3-60	886.30	Paid as cost of bricks.
60/3	,,	140.00	Laoding charges.
61/3	,,	41.52	Cost of cement.
62/3	,,	19.80	Cost of iron rods.
63/3	,,	0.90	Paid as wages.
64/3	,,	28.00	Cost of sand.
65/3	,,	173.70	Cost of gitee.

Such expenditure is not an approved charge on the Maintenance fund and should be met from the Non-recurring grant. The amout so spent would be refunded to the Maintenance fund from the Management own resources and such expenditure should not be allowed to be debited to this fund.

3. *Conversion of Drill shed into Room*—The following amounts have been paid to Deo Nath Mistri for the conversion of the drill shed into a room.

Vr. no.		Date		Amount
				Rs.
2/7	..	9-7-59	..	200.00
4/8	..	5-8-59	..	150.00
,,		1-9-59	..	46.00
				396.00

This is not an approved charge on the Maintenance fund and as such this amount should be refunded from the management own resources.

4. It has been noticed that Principal, Sri R.D. Nagachi has acknowledged his salary in person on 1st June 1959 and 4th June, 1960 when he was out of station and had handed over charge to the Ist Assistant. The circumstances under which he has acknowledged his salary in person on these dates may be explained.

Boys Fund—Accounts of the various Boys fund maintained in the institution were checked. The following irregularities were noticed which should be removed and noted for compliance in future.

(i) Payment order on most of the vouchers has not been recorded. Wherever payment orders were written, they were either in words only or in figures only. This is irregular. Payment orders should be endorsed on the vouchers both in figures and words after ascertaining that the article purchased has been duly entered in the relevant stock books.

(ii) A sum of Rs. 1.86 was paid to Sri Satya Narain on 20thAugust, 1959 from the following funds that no receipt or bill could be put up to audit. The payment, therefore, needs justification.

Poor Boys fund	..	..	0.06
Refreshment	..	..	0.12
Magazine	..	..	1.50
Audio-Visual	..	..	0.06
Reading room	..	..	0.12
			Rs. 1.86

(iii) A sum of Rs. 3,000 was paid to Messrs. Thanawala Stores Trading Corporation, Kanpur on 14th April, 1960 from Punkha fund on account of their bill. no. K-205, dated 8th March, 1960. The amount was acknowledged by the firm vide their receipts nos. 111 and 113, dated 19th April 1960. The bill in question, however, has not produced in audit. It should be traced out and verified, by the District Inspector of Schools under intimation to the audit.

(iv) Vide vr. no. 6G/IX, one tea set costing Rs. 58 has been purchased from Messrs. J. Jamel Ahmad & Co., Calcultta on 8th September, 1959 since purchasing of tea set is irregular from Games fund. This amount should be recovered from the official responsible and refundable to this fund.

(v) As per verbal orders of the Principal Rs. 42.44 nP. was paid from Games fund to Sri J. Porter, School teacher on 19th November, 1959 in order to meet expenses of U. S. Course competition held at Varanasi. Adjustment bill should be obtained and shown to next audit.

(vi) A total sum of Rs. 3,787 as detailed below was paid as loan from the funds on dates noted against each to Punkha fund.

		R.s	
Audio Visual	..	1,500	on 14-4-60.
Ditto ..	..	337	on 26-4-60
Examination fund	..	50	on 25-3-60
Ditto ..	..	100	on 28-3-60.
Ditto ..	..	50	on 12-4-60
Ditto	..	150	on 28-4-60
Games fund	..	1,500	on 14-4-60
Ditto ..	..	100	on 26-4-60
Total ..		3,787	

No approval for these advances was taken from the D.D.R. not it could be shown to audit. It should be obtained now and the loans should be refunded as early as possible to the funds concerned.

(vii) One servant, Sri Prem Shanker has been paid Rs. 30 each month from refreshment fund. Engaging of servant from this fund is irre-

gular vide D. E.'s order no. G(2)/CD/713/XXII—5 (17) 51-52, dated 13th June, 1952. His services should, therefore, be terminated and the responsibility for this irregular expenditure be fixed.

(viii) On 18th April, 1959, Rs. 9.82 nP. has been spent for Board's Examination. This expenditure was not allowed by the Board as it was irregular. It should now be realised from the Boards Examination incharge and refunded to examination fund under intimation to audit.

(ix) One old Remington standard typewriter no. 12569056 has been purchased from Messrs. General Typewriter House, Varanasi for Rs. 790 on 24-4-1959. One Portable typewriter was also sold to the same firm for Rs. 110 with the result that Rs. 680 was only spent from Examinatioon fund in order to purchase for the former one. No prior approval to this effect was taken from the Dy. Director of Education, Varanasi nor it could be shown to audit. Approval of the Dy. Director of Education should now be obtained and intimated to audit.

(x) Vide vr. no. 1-x, 1/2 gross Brass Ink pot have been purchased for Rs. 20-10 nP. from Messrs, Roshan Brothers, Aligarh on 1st October, 1959. The expenditure is not appropriate to Examination fund, hence it needs refund.

(ix) A sum of Rs. 9,768 has been deposited in State Bank of India, Ghazipur on October 22, 1959 from Examination fund on account of Boards Examination fee. The treasury chalan in question was not made available to audit. It should be traced out and verified by the District Inspector of Schools

(xii) A non-recurring grant for Rs. 500 was sanctioned by Government of India under G. O. no. A/1327/XV—300(38)-59, dated 22nd March, 1960. It was cashed on 31st March,1960 and was to be utilised by 30th June, 1960 for sports equipments. Neither the sports equipments were purchased nor any progress reports as desired in the said G. O. was submitted to Government of India till the date of the audit. This needs attention of the District Inspector of Schools who should make report regarding utilisation under intimation to audit.

(Sd.) H. N. DOBHAL,
Assistant Accounts Officer,
for *Director of Education, U.P.*

(V.B. KAKKAR),
(K.N. RAI),
(M..L. YADAV).

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९–३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

तालिका—क

इन्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल के लिए कृषि वर्ष में मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की सूची तथा उनके पास कितनी जमीनें हैं ।

इन्टरमीडिएट कालेज

		एकड़
१—पूर्वोत्तर नेशनल इन्टर कालेज, मरदह, गाजीपुर	..	२५
२—श्री महन्त रामबरन इन्टर कालेज, भुड़कुडा, जमनिया, गाजीपुर	..	२०
३—मुस्लिम राजपूत इन्टर कालेज, दिलदार नगर, गाजीपुर	..	१५

हाई स्कूल

१—बापू विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, सादात काजीपुर	..	१५
२—गांधी मेमोरेरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहादुरगंज, गाजीपुर		२०
३—श्री शिवकुमार हायर सेकेंडरी स्कूल, जंगीपुर, गाजीपुर	..	५
४—आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर, गंगोली, गाजीपुर	..	१०
५—श्री हनुमान सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, देवकली, गाजीपुर	..	८
६—टाउन नेशनल इन्टर कालेज, सैदपुर, गाजीपुर	..	५
७—महाबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, मलिकपुरा, गाजीपुर	..	१०
८—श्री शिवपूजन इन्टर कालेज, मसता, गाजीपुर	..	१२

तालिका—ख

गाजीपुर जिले के कृषि वर्ग में हाई स्कूल व इन्टर के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालय की सूची जिन्हें कृषि, बैल तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिये अनुदान दिया गया

१—महन्त राम बरनदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भुड़कुडा, गाजीपुर को कृषि फार्म की समुन्नति हेतु २,५०० (पच्चीस सौ रुपया) तथा २,००० (दो हजार रुपया) कृषि फार्म की फेंसिंग और कृषि यन्त्रों के हेतु दिया गया ।

२—बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सादात, गाजीपुर को बैलों की जोड़ी खरीदने के लिये ५०० रु० (पांच सौ रुपया) अनुदान हेतु दिया गया ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

देवरिया जन पद के उन संस्थाओं की सूची जिन्हें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के छात्रों की छात्रवृत्ति के रूप में वितरण करने के निमित्त रुपया दिया गया है

क्रम-संख्या	शिक्षा संस्थाओं का नाम	छात्रों के विवरण हेतु दी गई धन-राशि
		रु०
१	एस० एस०का० एस० माध्यमिक विद्यालय, देवरिया ..	६८२
२	उ० ना० क्षा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडरौना ..	६५१
३	श्री गान्धी स्मारक माध्यमिक विद्यालय हाटा ..	६१०
४	बाबा राघवदास ,, ,, देवरिया ..	६०५
५	मारवाडी उच्चतर ,, ,, देवरिया ..	५६९
६	श्री नेत उच्चतर ,, ,, देवरिया (इन्दूपुर)	५६८
७	एस० डी० उच्चतर ,, ,, भटलार देवरिया	५३४
८	बुद्ध उच्चतर ,, ,, बुसोनगर देव	४९९
९	म० मो० मा० ,, ,, भाटपाररानी देव	५४३
१०	लोकनाम ,, ,, जानकीनगर, देवरिया	४३९
११	श्रीकृष्ण ,, ,, बरहज, देवरिया ..	५०५
१२	शिवाजी ,, ,, खुखुन्दू देवरिया ..	४२६
१३	बापू ,, ,, सलेमपुर देवरिया ..	४२५
१४	प० एन० एम० ,, ,, पाजिलनगर देवरिया	३६७
१५	सतासी ,, ,, रुद्रपुर देवरिया ..	४२२
१६	हर्षचन्द ,, ,, परहज देवरिया ..	४२२
१७	जनता ,, ,, रामकोला देवरिया ..	४२४
१८	प० मैं० ,, ,, तमकुही देवरिया ..	३२५
१९	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिन्डी देवरिया	४०८
२०	भ० गा० ,, ,, सेखवनिया देवरिया ..	११२
२१	बी० एन० ,, ,, मझौलीराज देवरिया..	३३३
२२	ब० रा० दा० कु० ,, ,, पाटपार देवरिया ..	३१२
२३	पं० जा० ला० ,, ,, महुआरी देवरिया ..	२५१
२४	श्री अ० ला० ,, ,, गनियारी देवरिया ..	२८८
२५	ओ० के० ,, ,, लार देवरिया ..	२४१
२६	श्री गान्धी ,, ,, कप्तानगंज देवरिया ..	२६३
२७	आ० न० दे० ,, ,, पथरदेवा देवरिया ..	२२०
२८	श्री अनन्त ,, ,, सतराव देवरिया ..	१५८
२९	खैतान ,, ,, लक्ष्मीगंज देवरिया ..	२३५

क्रम-संख्या	शिक्षा संस्थाओं का नाम			छात्रों के विवरण हेतु दी गई धनराशि
३०—शं० रा०	,,	,,	बसन्तधूसी देवरिया ..	१८७
३१—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छितौनी, देवरिया			..	२६९
३२—जनता	,,	,,	बनकटा स्टेशनदेवरिया	१६९
३३—उच्चतर	,,	,,	तुरपटी महुवा देवरिया	१६८
३४—श्री कृष्ण	,,	,,	सेमरा देवरिया ..	१६४
३५—बी० बी० एम०	,,	,,	भागलपुर देवरिया ..	२३७
३६—दे० वा०	,,	,,	देवरिया देवरिया ..	२१५
३७—सुभाष माध्यमिक विद्यालय भटनी, देवरिया			.. ..	३४६
३८—उ०चतर माध्यमिक विद्यालय, खारीवारी देवरिया			.. ..	१६४
३९—	,,	,,	मझगावा, देवरिया ..	१३४
४०—ए० आर० डी०	,,	,,	बननी देवरिया ..	१२१
४१—च० शे० आ०	,,	,,	देवगांव देवरिय ..	११६
४२—अशोक	,,	,,	रामपुर कारखानादेवरिया ..	१०७
४३—कृष्ण	,,	,,	बलटिकरा देवरिया ..	१०६
४४—आ० रा० शु०	,,	,,	सराव देवरिया ..	१४९
४५—किसान	,,	,,	साखापार देवरिया ..	९७
४६—मणिनाथ	,,	,,	मोना पार देवरिया ..	१०२
४७—श्री गान्धी	,,	,,	रेवली देवरिया ..	८४
४८—श्री कि०	,,	,,	खड़ा देवरिया ..	११७
४९—सत्य प्रकाश	,,	,,	मुसहरी देवरिय ..	८४
५०—वा० ग० टा०	,,	,,	वरहज. देवरिया ..	५५
५१—श्री आरा०	,,	,,	बाबू बन्धीमट देवरिया ..	४२
५२—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरिया			.. ..	३००
५३—उप विद्यालय निरीक्षक देवरिया			.. ..	२,५००
				विवरण के लिये देखिये नत्थी 'ख'
५४—अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् देवरिया			.. ..	२०००
				विवरण के लिये `खिये नत्थी 'ख'
			योग ..	२०,०००

बाढ़ग्रस्त परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों को दी गई धनराशि की विवरण तालिका

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	धनराशि जो छात्रों में विवरण हेतु दी गई
		रु०
१	भाटपार रानी	८०—००
२	खामपार	८०—००
३	बघउचघाट	८०—००
४	बरहज	११०—००
५	महेन	१००—००
६	रुद्रपुर	१००—००
७	नरायनपुर	८०—००
८	नगवा	८०—००
९	कुन्डौली	८०—००
१०	मझौली	१००—००
११	सलेमपुर	१००—००
१२	पडरौना	१००—००
१३	नौरगिया	८०—००
१४	मंसाछापर	११०—००
१५	केकुन्टपुर	१००—००
१६	रामकोला	१००—००
१७	चकिया बादरवार	८०—००
१८	रामपुर कारखाना	१००—००
९१	नटौली	१००—००
२०	बेधई दुधई	८०—००
२१	कचसुइयां	८०—००
२२	अकटहां	८०—००
	योग ..	२,०००—००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बाढ़ ग्रस्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल को दी गई धनराशि का विवरण तालिका

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	धनराशि जो छात्रों में वितरण हेतु दी गई है
		रु०
१	गांढा	८५-००
२	साहनपुर	८५-००
३	नेमा	७५-००
४	कैप्टनगंज	७५-००
५	मक्खी विरभद्र	३५-००
६	भाणौली	५०-००
७	तिवारी पटी	३०-००
८	बघड़ा महुआरी	४५-००
९	घाटी	४५-००
१०	वलुवा अफगान	३०-००
११	सवरेजी	४०-००
१२	तलुवानी	५५-००
१३	परौसी	७०-००
१४	सोहसा मटिया	७०-००
१५	सिरसिया नं० २	७०-००
१६	रूद्रपुर	९०-००
१७	सोरमा	४५-००
१८	पचलड़ी	९०-००
१९	मदनपुर	९०-००
२०	विजयपुर	३०-००
२१	मिशन वरहज	६०-००
२२	खडा	७५-००
२३	कुरौली सेमही	१००-००
२४	अहीरौली तिवारी	३०-००
२५	नन्दपुर	४०-००
२६	लाहौलपार	२५-००
२७	वरवापटी	४५-००
२८	पनिका	७०-००
२९	करमरवा	४०-००
३०	वेलही मट	३५-००
३१	मटलार	३०-००
३२	मटलार	८०-००
३३	सूतावार	९५-००
३४	जिरासो	७५-००
३५	बैटुपार	७५-००

विधान सभा पुस्तकालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	धनराशि जो छात्रों में वितरण हेतु दी गई है
३६	विशुनपुरा	३०—००
३७	कन्टीपरा	३०—००
३८	तुलसी विद्यालय पडरौना	४५—००
३९	रामपुर गढ़	६०—००
४०	पुजौली प्रमुख	२५—००
४१	पडरी मेहदिया	२५—००
४२	रामपुर अवरही	७०—००
४३	नरायनपुर काटी	४५—००
४४	मधुरिया	४५—००
४५	कन्हौली	८५—००
	योग ..	२५,०००—००

विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

अनुसूची

१९५३–१९६१ तक निम्न धनराशि सिंचाई विभाग तथा नगरपालिका सहारनपुर ने व्यय की :—

(१) सिंचाई विभाग द्वारा व्यय :—

		रु० न० पै०
१—	१९५३–५४	२,६७४.००
२—	१९५४–५५	५,३९३.००
३—	१९५५–५६	शून्य
४—	१९५६–५७	शून्य
५—	१९५७–५८	२,१६०.०
६—	१९५८–५९	१२,८९४.००
	योग (१) ..	२३,१२१.००

(२) नगरपालिका, सहारनपुर द्वारा व्यय :—

१—	१९५६ से १९६० तक १०,००० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से. .	५०,०००.००
२—	१९६१	१,००,०००.००
	योग (२) ..	१,५०,०००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६८ पर)

बेसिक पुस्तकों के मूल्य की तालिका

(क) कक्षा १ से ५ तक के लिये

					हिन्दी मूल्य
१—प्रवेशिका				.. .. ..	४१ न० पै०
२—बेसिक	रीडर	भाग	१	.. .. ..	४१ न० पैसे
३— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	७५ न० पैसे
४— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	८६ न० पैसे
५— ,,	,,	,,	४	.. .. ..	८५ न० पैसे
६— ,,	,,	,,	५	.. .. ..	६२ न० पैसे
७—बेसिक	अंकगणित,	भाग	२	.. .. ..	८१ न० पैसे
८— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	८४ न० पैसे
९— ,,	,,	,,	४	.. .. ..	९० न० पैसे
१०— ,,	,,	,,	५	.. .. ..	९० न० पैसे
११—कृषि और सरल विज्ञान,		भाग	१	.. .. ..	४२ न० पैसे
१२— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	४८ न० पैसे
१३— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	६१ न० पैसे

उर्दू

१—बेसिक	रीडर,	भाग	१	.. .. ..	७२ न० पैसे
२— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	६६ न० पैसे
३— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	८० न० पैसे
४— ,,	,,	,,	४	.. .. ..	५६ न० पैसे
५— ,,	,,	,,	५	.. .. ..	५९ न० पैसे
६—बेसिक	अंकगणित,	भाग	२	.. .. ..	८१ न० पैसे
७— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	८४ न० पैसे
८— ,,	,,	,,	४	.. .. ..	९० न० पैसे
९— ,,	,,	,,	५	.. .. ..	९० न० पैसे
१०—कृषि और सरल विज्ञान,		भाग	१	.. .. ..	४२ न० पैसे
११— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	५२ न० पैसे
१२— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	६१ न० पैसे

(ख) कक्षा ६ से ८ तक के लिए

हिन्दी

१—हमारे	पूर्वज,	भाग	१	.. .. ..	५३ न० पैसे
२— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	६९ न० पैसे
३— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	६९ न० पैसे
४— कृषि	विज्ञान,	भाग	१	.. .. ..	८६ न० पैसे
५— ,,	,,	,,	२	.. .. ..	९४ न० पैसे
६— ,,	,,	,,	३	.. .. ..	९४ न० पैसे

विधान सभा पुस्तकालय

उर्दू

१—कृषि और सरल विज्ञान, भाग				१	..	..	४२ न० पैसे
२—	"	"	"	२	..	..	५२ न० पैसे
३—	"	"	"	३	..	..	६१ न० पैसे

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर नीचे पृष्ठ ४७० पर)

जिले का नाम	राप्ती, रोहिण व नारायणी आदि नदियों से प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसल को अनुमानित हानि	जीव हानि	
			मनुष्य	पशु
१—गोरखपुर ..	१,६४९	लगभग १०० नये पैसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में।	८	२
२—देवरिया ..	१,३३६	७५ न० पैसे से अधिक।	१०	१
योग ..	२,९८५	..	१८	३

नोट :—फसल को पहुंची हानि का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक नदियों में बाढ़ थी। हानि का अनुमान बाढ़ समाप्त होने पर ही सम्भव होगा।

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

तालिका

अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा में ३१-३-१९६२ तक प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

		प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग
अध्यापक	..	१,५४०	९५१	२,४९१
अध्यापिकायें	..	२४	२३३	२५७
योग	..	१,५६४	१,१८४	२,७४८

अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की योग्यता का विवरण:—

		ग्रेजुएट	हाई स्कूल अथवा इन्टर	नान मैट्रिक	योग
अध्यापक	..	२७	३७६	१,१४७	१,५४०
अध्यापिकायें	..	१	९	१४	२४

अप्रशिक्षित अध्यापक-अध्यापिकाओं की योग्यता का विवरण :—

अध्यापक	..	३	५८६	३६२	९५१
अध्यापिकायें	..	१	२१	२११	२३३

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

देवरिया जिले में तीसरी योजना में निम्नलिखित सड़कें पक्की की जा रही हैं

(अ) १—ओ० डी० आर० का पक्का करने का कार्य

	मील	फ.
१—लार गुयनीमार्ग	४	०
२—बरहज लार रोड	१२	०
श्रमदान मार्ग		
१—पाडेचक मुहआडीह मार्ग	४	०
सी० सी० ट्रैक		
१—बेतालपुर—बैजनाथपुर	०	४
२—भटनी तुलसीवारी	५	०
३—रामपुर रतसीम	१	६
४—कप्तानगंज सिकटा	३	१
५—लक्ष्मीगंज रामबाग	६	०
६—रामकोला सिंघा	३	०
७—खिखिमापुल से पडरी	३	४
८—कठकइमा घोरया	७	१ १/२
९—खड्डा नेबुआ	३	०
१०—छितौनी नौरगीया	६	३
११—देवरिया पठखोली	४	२
१२—रामकोला कसया	१	१ १/२
१३—पड़रौना फैक्टरी खिरकिया पुल तक	०	४
(ब) चीनी मिलों के क्षेत्र में सी० सी० ट्रैक		
१—हरेन्द्रपुर—डुमरी	५	१ १/२
२—सेवरही बाजार लोटवा	२	३
३—मडिया कोटवा	०	७
४—पडरौना परनहवा बाजार	२	१ १/२
५—लक्ष्मीगंज हरपुर	२	७
६—रतनपुर महुआपाटन	३	०
७—परखौली पोखरभीन्डा	३	०
८—रामनगर सोहसा	३	०
९—पराश खांड अहिरौली	४	०
१०—अमवा सेमरायूसी	२	५
११—छितौनी तिनभद्रा	०	७
१२—कठकुइया गंगारानी	०	७
सी० सी० ट्रैक की नई योजना:—		
१—भटनी छठिगांव	४	०
२—रामकोला सिंघा सी० सी० ट्रैक परखोवत कप्तानगंज तमगोही रोड	०	४
३—रामकीला मरवा	१	४
४—लक्ष्मीगंज हरपुर	७	४

संसद्ज्ञान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

उजियारघाट जिला बलिया का प्रबन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत २३ मार्च, १९५० तथा वसूली विभाग के हाथ में अक्तूबर १, १९५० से आयी। इस घाट से आय-व्यय आदि की सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	आय			व्यय			वर्ष के निमित्त धन जो जिला परिषद् को दिया गया		
	रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९५०–५१ ..	४०,४७६			(लगभग)	९,११,७८६	०	०	..		..
१९५१–५२ ..	७२,२६१	५	०		८०,५५८	८	०	..		..
१९५२–५३ ..	८३,८५१	१३	०		७४,५७८	४	३	९,२७३	८	९
१९५३–५४ ..	७६,५२८	९	३		७३,९२१	०	६	२,६०७	८	९
१९५४–५५ से १९६१–६२ तक	इन वर्षों के महालेखापाल द्वारा प्रमाणित आय-व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। अतः परिषद् को भी अनुदान नहीं दिया जा सका।									

इस घाट के प्रान्तीयकरण से हुई क्षति की पूर्ति करने के निमित्त परिषद् को १९५२–५३, १९५३–५४ एवं १९५४–५५ में २०,००० रु० प्रतिवर्ष विशेष अनुदान दिया गया।

(ह०) गिरधारी लाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७४–७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६–४७७ पर)

जौनपुर जिले की स्नातक स्तर के संस्कृत पाठशालायें एवं उनमें अध्यापकों, छात्रों तथा प्राप्त अनुदान की सूची

नाम विद्यालय	अध्यापक संख्या	छात्र संख्या	प्राप्त संख्या
१—सनातन धर्म सं० पाठशाला ..	५	१६८	३३४८
२—संस्कृत महाविद्यालय उकनी, मधुपुर ..	५	१००	२६४०
३—वासुदेव संस्कृत पाठशाला, गुतबन ..	५	६५	३९३६
४—संस्कृत महाविद्यालय, पट्टी नरेन्द्रपुर ..	५	१०६	१८७२
५—भारतीय सं० विद्यालय खेतासराय ..	६	१३०	३९९६
६—लक्ष्मी नारायण संस्कृति महाविद्यालय, भोकलपुर	२	४९	११४०
७—विद्याधर्म वर्द्धिनी सं० महाविद्यालय प्रेमपुरा, वालवरगंज	५	१०६	३५५२
८—जयहिन्द संस्कृत महाविद्यालय, तेजीबाजार	४	५८	१४४०
९—चन्डी मंदिर रामस्वरूप गुप्त सं० विद्यालय, राजाबाजार ..	६	१४०	२१२४
१०—गौरी शंकर सं० महाविद्यालय, सुजानगंज	९	१५५	३८७६
११—हनुमत संस्कृत महाविद्यालय, सिकरारा ..	४	६०	१४५२
१२—हनुमत संस्कृत पाठशाला, उदयचन्दपुर केराकत	७	११०	३१५६
१३—अम्बिकादत्त सं० पा०, रूपली ..	४	२१	१६९२
१४—अलेश्वर नाथ संस्कृत महाविद्यालय, जनवारा, फतेहगंज	३	८९	१७१६
१५—वैष्णव भगवान देशराज सुरी, संस्कृत महाविद्यालय, उदयभीनपुर, शंकरगंज ..	७	११२	२७९६
१६—रादेव सं० मा०, बड़ैरी	४	४८	१७८८

हामिद हसन
सहायक उपशिक्षा निदेशक
(अई) कृति शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर)

इस ब्लाक के लिये ठेकेदारों से जनवरी २०, १९६१ व नवम्बर १६, १९६१ को टेन्डर दिये गये। प्रथम बांड की तिथि अगस्त, ४, १९६१ है तथा द्वितीय बान्ड पहिले १ मार्च, १९६२ को Piece Work Agreement के रूप में बना और अन्तिम रूप से जुलाई २५, १९६२ को बान्ड बना। जिलों के भुगतान की तिथियां इस प्रकार हैं :—

प्रथम बान्ड	भुगतान की तिथि
प्रथम बिल ..	.. अक्तूबर २४, १९६१
द्वितीय बिल ..	.. जनवरी ३१, १९६२
तृतीय बिल ..	.. जुलाई, १९६२ (जुर्माना के एवज में काट ली गई)

द्वितीय बान्ड	भुगतान की तिथि
प्रथम बिल ..	.. मार्च, २८, १९६२
द्वितीय बिल ..	.. अगस्त २, १९६२

विधान सभा प्रदेश मुम्बई

नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, संशोधित करने का। ऐक्ट संख्या ९, १८९४

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या ९, १८९४ की धारा ५७ का संशोधन

२—प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ की धारा ५७ की वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(1) The sentence of imprisonment for life shall be regarded as a sentence of rigorous imprisonment and the prisoners undergoing such sentence may, subject to any rules made under section 59, be confined in fetters for the first three months after admission to prison."

उद्देश्य और कारण

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेन्ट) ऐक्ट, १९५५ द्वारा आजीवन निर्वासन (ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ) का दन्ड समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नये दन्ड अर्थात आजीवन कारावास (इम्प्रिजनमेन्ट फार लाइफ) की व्यवस्था की गयी। वर्तमान विधि में इस बात के लिये कहीं भी कोई उपबन्ध नहीं है कि आजीवन कारावास का दन्ड पाये हुए व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस संबंध में सन्देहों को दूर करने के लिये प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या ९, १८९४) की धारा ५७ (१) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह निर्धारित हो जाय कि आजीवन कारावास का दन्ड कठोर कारावास का दन्ड समझा जायगा।

गोविन्द सहाय,
कारागार मंत्री।

प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ की धारा ५७ की वर्तमान उपधारा (१) की प्रतिलिपि

"57 (1) Prisoners under sentence of transportation may, subject to any rules made under section 59, be confined in fetters for the first three months after admission to prison."

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७३ एल० ए०—१९६२—८४५। (प्रो०)